1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 13] विधान सभा के 13वें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

[2

बृहस्पतिवार

24 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री ओंकार लाल चौहान ।

भवानी मंडी में एस. डी. एम. कोर्ट

1. श्री ओंकार लाल चौहान (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार भवानी मंडी जिला झालावाड़ में एस. डी. एम. कोर्ट स्थापित करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश, झालावाड़ ने एस. डी. एम. कोर्ट भवानी मंडी में स्थापित किये जाने की सिफारिश राज्य सरकार को की है?

राज्य मंत्री राजस्व (श्री मूलचंद मीणा): (1) जी नहीं। वर्तमान में प्रशासनिक एवं मितव्ययता की दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं समझा जाता।

(2) वर्तमान में जिलाधीश, झालावाड़ ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

श्री ओंकार लाल चौहान : झालावाड़ में तीन कान्स्टीट्यूएन्सीज आती हैं, उनका एक ही केन्द्र झालावाड़ रखा है। क्या यह जनता की सुविधा को देखते हुए उनके हित में है?

श्री मूलचंद मीणा : इस पर काफी गंभीरता से विचार विमर्श हुआ, एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार विचार किया गया है, तभी यह निर्णय लिया है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : चुनाव के दौरान आपका आश्वासन था।

श्री ओंकार लाल चौहान : जब राज्य सरकार चाहती है कि जनता को सुलभ व सस्ता न्याय मिले, उस दृष्टि से राज्य सरकार नहीं सोचती कि जो झालावाड़ में मुख्यालय रखा गया है, उसका विकेन्द्रीकरण किया

Page No 2

(श्री ओंकार लाल चौहान)

जाए ? क्या जनता की मांग उचित नहीं है ?

श्री मूलचन्द मीणा : इन सारी बातों पर, जो आप बता रहे हैं विचार किया गया है। कोई बात नहीं रह गई है। वर्क-लोड का भी विचार किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मौजूदा परिस्थितियों में आपको आश्वासन देने में क्या कठिनाई है ?

श्री ओंकार लाल चौहान : मौजूदा वर्क-लोड एस. डी. एम. के पास कितना कितना है और कितने केसेज पैंडिंग हैं ?

श्री मूलचन्द मीणा : मौजूदा कितने केसेज हैं यह तो नहीं कह सकता लेकिन 1971 की स्थिति के आधार पर यह देखा गया कि यदि यहां से एस. डी. एम. का कोर्ट बदल दिया जाए तो झालावाड़ एस. डी. एम. के पास वर्क-लोड कम हो जाता है।

श्री ओंकारलाल चौहान : गत सत्र में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि वर्क-लोड ज्यादा है और डीसेंट्रलाइज करने के लिए एस. डी. एम. का मुख्यालय भवानी मंडी में होना आवश्यक है।

श्री मूलचन्द मीणा : जैसा मैंने निवेदन किया, इस आश्वासन पर विचार किया गया। 17-3-76 को बहस हुई थी उसमें आश्वासन दिया था कि विचार किया जाएगा लेकिन बाद में सारी बातों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि यहां पर अभी खोला जाना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृत लाल गहलोत।

जोधपुर जंतुआलय में पिंजरे का निर्माण का

2. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या जन्तुआलय, जोधपुर में एक नये प्रकार का पिंजरा जिसे 'वाक इन केज' कहते हैं, निर्माणाधीन है जिसमें दर्शक भी पिंजरे के भीतर चल फिर सकते हैं ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त पिंजरे के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और इसे पूरा करने में कितनी धनराशि अतिरिक्त चाहिए ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री मूलचन्द मीणा): (1) जी हां।

(2) इस कार्य पर अब तक 45,000 रुपये व्यय हो चुके हैं। इसको पूरा करने के लिए अनुमानत: 50,000) रुपये की और आवश्यकता है।

(3) आगामी वर्ष मे पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह जन्तुआलय देश में अपने तरीके का दूसरा है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): अब तो बहुत पिंजरे बन रहे हैं, आप पिंजरे के बारे में क्यों सोचते हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): उसमें साथ-साथ चलेंगे।

श्री अमृतलाल गहलोत : आप पूरे मामले पर आश्वासन दे दें, प्रयास किया जायेगा, यह कहिये।

Page No 3

(3)

श्री मूलचन्द मीणा : आश्वासन देने का अलग से प्रश्न है लेकिन जहां तक हमारी कोशिश रहेगी, इस काम को हाथ में लिया जा रहा है ताकि पूरा हो।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : आश्वासन तो देते जाइए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर तहसील में मलेरिया का प्रकोप

3. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इस साल सांचोर तहसील में मलेरिया की बीमारी का भयंकर प्रकोप था ? अगर हां, तो इसका क्या कारण था ? इस बीमारी के उपचार एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम कब-कब उठाये ? इस बीमारी की रोकथाम नहीं होने के क्या-क्या कारण हैं ?

(2) भविष्य में उक्त क्षेत्र में मलेरिया बुखार की रोकथाम के लिए क्या-क्या कदम उठाये जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में उक्त बीमारी से काफी मौतें हुई हैं ? अगर हां, तो कितनी ?

(4) क्या यह भी सही है कि सांचोर तहसील में इस साल खुजली की आम बीमारी का प्रकोप था ? अगर हां, तो इसके क्या कारण थे एवं इसकी रोकथाम एवं उपचार के लिये राज्य सरकार द्वारा कब-कब व क्या क्या कदम उठाये गये ? अब इस बीमारी की इस क्षेत्र में क्या स्थिति है ?

(5) क्या यह सही है कि, सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चीतलवाना डिस्पेन्सरी में पूरी दवाइयों की सप्लाई नहीं की गई ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। वर्ष 1976 में अधिक वर्षा के कारण आवागमन में बाधा रही व डी. डी. टी. का द्वितीय राउण्ड का छिड़काव पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर डी. डी. टी. का प्रभाव कम होता जा रहा है। रोकथाम हेतु डी. डी. टी. का प्रथम दौर 15 मई से 31 जुलाई तक किया गया। इसका दूसरा राउण्ड 1 अगस्त से शुरू किया परन्तु वर्षा के कारण "नेड" क्षेत्र में पूरा नहीं हो पाया। बुखार के बीमार के रक्त की जांच की गई व उन्हें दवा दी गई। मलेरिया पाये जाने पर सम्पूर्ण रूप से इलाज किया गया। रोकथाम नहीं होने का कारण मच्छरों की डी. डी. टी. के प्रति सहिष्णुता का बढ़ना है।

(2) भारत सरकार, आई. सी. एम. आर. के सहयोग से प्रभावी वैकल्पिक कीटनाशक दवा की खोज की जा रही है। केन्द्रीय सरकार की नवीन मलेरिया संशोधित योजना के अन्तर्गत जालौर जिले हेतु एक पृथक् मलेरिया इकाई की स्थापना सन् 1977-78 के वित्तीय वर्ष से सृजित की जा रही है जिससे जन संख्या व स्थिति के आधार पर पर्याप्त जन शक्ति एवं औषधि का प्रावधान है।

Page No 4

(५)

(श्री चन्दनमल बैद)

(3) जी नहीं। किसी की मौत होना राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(4) जी नहीं। जो छुटपुट मामले खुजली के सामने आये, उनका इलाज किया गया।

(5) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर नहरी एरिया है यह आपको ज्ञात है? इतना पता नहीं कि जब आप व्यास मिनिस्ट्री में उपमंत्री बने थे ...

श्री चन्दनमल बैद : वह ज्ञान भूल थोड़े ही गया हूं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहरी एरिया में कोई वर्कर नहीं गया, डी. डी. टी. का छिड़काव नहीं हुआ, गोलियां नहीं गईं और गईं तो भी ऊंची दर पर बेची गई जो फ्री देनी चाहिये थीं, क्या यह सही है?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि पहले दौर में डी. डी. टी. का छिड़काव किया। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि पहले दौर में छिड़काव नहीं किया तो मैं जांच करा सकता हूं। चूंकि आवागमन के रास्ते बन्द थे इसलिए दूसरे राउन्ड में छिड़काव नहीं किया जा सका। जहां तक गोलियां बेचने का सवाल है न केवल विभाग द्वारा बल्कि स्कूल के मास्टरों और पंचायत समितियों द्वारा गोलियां बंटवाईं। आप कहते हैं जो गोलियां फ्री बांटनी चाहिए थीं वे ज्यादा दामों पर बेची गईं। इस तरह की कोई स्पेसीफिक शिकायत मास्टरों के प्रति या पंचायत समिति कर्मचारी के प्रति या हमारे विभाग के कर्मचारी के प्रति हो तो मैं निश्चित रूप से जांच कराने के लिए तैयार हूं।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : हमारे जिले में भी शिकायत है, सब जगह गोलियां बेच दी गई हैं, किसी को नहीं दी गईं। अब जाते जाते क्या जांच करायेंगे?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि क्या आप कलेक्टर द्वारा या चिकित्सा विभाग द्वारा या अन्य किसी निष्पक्ष अधिकारी के द्वारा इस बारे में जो बात मैंने कही, उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं?

श्री चन्दनमल बैद : स्पेसीफिक कहें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पास जो सूचना आई है, क्या परिस्थिति थी, किसी की क्या नेग्लीजेंस रही इस बारे में आप निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं?

श्री माणकचन्द सौगानी (अजमेर पूर्व) : हाई कोर्ट जज बिठाइए।

श्री चन्दनमल बैद : सर्टेन पीरियड मैंने बताया उसमें छिड़काव किया। उसके बाद मैं बता सकता हूं कि इतने स्थानों पर डी. डी. टी. छिड़काव किया। उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं किया तो जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरा छिड़काव इसलिए नहीं हुआ कि आवागमन के रास्ते नहीं थे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : ये कम्बख्त मच्छर नहीं मरते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने ऐसी जगह किया जहां मलेरिया कम है। मैं नहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं जिसमें लूणी का पानी जाता है, मलेरिया पैदा होता है, उस एरिया में मलेरिया विभाग ने उपयुक्त समय में क्या कार्यवाही की ? आपके पास पूरी सूचना नहीं है इसलिए इस बारे में आप विस्तृत इन्क्वायरी करें, मुझे सेटिस्फेक्शन दें। क्या आप जांच कराने के लिए तैयार हैं ? आपके विभाग में सूचना तो आ गयी है। आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है। मैंने जो सूचना दी है वह सही है। आप जांच कराने को तैयार क्यों नहीं होते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि आपने जो सूचना दी है अगर वह सही है तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले ही जांच कराने का कह चुके हैं, अगर सूचना सही है तो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने जो भी सूचना दी है वह सही है। आपके मेडिकल विभाग के डाइरेक्टोरेट का रिकार्ड आप देख लें। आप कह रहे हैं कि आपके पास इसकी सूचना नही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मलेरिया के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मैंने प्रश्न किया है उसका जवाब ठीक तरह से नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : क्या क्वेश्चन है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब पूरा दिया है। इन्होंने प्रश्न पूछा है "क्या यह सही है कि इस साल सांचोर तहसील में मलेरिया की बीमारी का भयंकर प्रकोप था ? अगर हां, तो इसका क्या कारण था ? इस बीमारी के उपचार एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार ने क्या क्या कदम कब कब उठाये ? इस बीमारी की रोकथाम नहीं होने के क्या क्या कारण हैं ?" मैंने इसके जवाब में अर्ज करा है कि डी. डी. टी. के छिड़काव का पहला राउंड फलां तारीख से फलां तारीख तक मलेरिया विभाग द्वारा करा दिया था। इस प्रश्न के उत्तर में तारीख दी हुई है। जहां तक दूसरे राउन्ड का सवाल है, आवागमन के रास्ते बन्द होने की वजह से कहीं पर दूसरा राउन्ड नहीं हुआ। कुछ छुट पुट जगह इसलिए खुजली हो गई। आप कह रहे हैं कि उस एरिया में पहला राउन्ड ही डी. डी टी. के छिड़काव का नहीं हुआ है। अगर इसकी सूचना आपके पास हो तो आप मुझे बता दें मैं इसकी जांच कराने को तैयार हूं। आप कोई स्पेसीफिक केस बता दें। मैं जांच करा लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने तो आपसे पूरा प्रश्न पूछा है। मेरा स्पेसीफिक सवाल है। वहां पर कई लोग मलेरिया से मर गये हैं क्योंकि वहां पर पहला राउन्ड ही नहीं हुआ था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजी अगर पहला राउन्ड हो भी गया होगा लेकिन आजकल कमबख्त मच्छर ऐसे होते हैं जो डी. डी. टी. से भी नहीं मरते हैं।

एक माननीय सदस्य : हाथी घोड़े तो मर गये हैं।

Page No 6

(6)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कुछ टुटपुट खुजली की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कई गांवों में जैसे लेजड़याली, डूंगरी वगैरह कई गांवों में लोग मर गये हैं। वहां पर कोई अस्पताल नहीं है। आपके चिकित्सा विभाग ने वहां पर मलेरिया की दवाइयां नहीं दीं। दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं। आप चाहें तो इसकी जांच करालें।

श्री चन्दनमल बैद : आप मुझे उन लोगों के नाम लेकर बता दीजिये। मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने तो आपको लिख कर भेजा है। आप चाहें तो रेवेन्यू एजेन्सी में पता लगा लें, वहां पर नाम मौजूद हैं। मैंने खुद ने डाइरेक्ट आपके विभाग में अर्जियां दी हैं उसमें मैंने लिखा है कि मलेरिया से लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आपके पास रिकार्ड नहीं है।

दूसरी बात जो है वह यह है कि जो वहां पर नहरी एरिया है वहां पर भी कोई अस्पताल नहीं है। सिर्फ दो अस्पताल हैं सांचौर और चितलवाड़ा में जहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं...

श्री चन्दनमल बैद : आप तो बाहर की बात कर रहे हैं।

श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो यह है कि आप मन्त्री महोदय से यह फर्मायें कि इसके लिये जांच करावें कि कितने लोग मलेरिया की बीमारी से जालोर एरिया में मर गये थे। यह बात कोई सांचौर के क्षेत्र में ही हुई हो यह बात नहीं है। इसके लिये आप जालोर में जांच पड़ताल करावें और उसमें आप हमारे सांचौर एरिया के जो एम. एल. ए. हैं उनको भी साथ में लेवें। साथ में आकर पूरी जांच करा कर देखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह, अध्यक्ष महोदय, शायद उस नहरी एरिया की बात कर रहे हैं जहां पर दवाइयां पूरी नहीं पहुंची होंगी और जो अस्पताल है उसमें मेडिसन का पूरा एलोकेशन नहीं हुआ होगा।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार जो मेडिकल विभाग का उन डिस्पेन्सरियों को मेडिसन का एलोकेशन है वह उसमें सांचौर का जहां 12 हजार रुपये का प्रावधान था वहां पर 15,280 रुपये की दवाइयां दी गयीं चितलवाड़ा में जहां पर 10 हजार रुपये की दवाइयों का एलोकेशन था वहां पर 9546 रुपये की दवाइयां भेजी गयी थीं। इनके अलावा भी अगर उनको दवाइयों की कमी की कोई शिकायत थी तो मुझे बताते मैं कार्यवाही करता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने आपको लगातार लिखा है आपके मेडिकल विभाग के डाइरेक्टोरेट में दर्ख्वास्तें दी हैं, वहां पर मौजूद है आप देख लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हाजी जान मोहम्मद।

श्री रामप्रसाद बोहरा : साहब मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या चार।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

जयपुर-कोटा-झालावाढ-भोपाल मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

4. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-कोटा-झालावाड़-भोपाल मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने के बाद औद्योगिक दृष्टि से झालावाड़ व अन्य क्षेत्रों की प्रगति सम्भव है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सीधा सम्पर्क स्थापित होगा ? यदि हां, तो इसे राष्ट्रीय मार्ग में कब तक ले लिया जावेगा ?

यातायात मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) किसी भी मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग में परिवर्तित करना भारत सरकार के अधीन है।

(2) जी हां। इसका निर्णय भारत सरकार पर निर्भर करता है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। काफी अर्से से राज्य सरकार को निवेदन कर रहे हैं। अगर कोटा-झालावाड और भोपाल मार्ग को राज्य सरकार नेशनल हाईवे डिक्लेअर कर देती है तो लाभ होगा। अभी तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की यह जरा मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने के लिये 24 जुलाई, 75 को लिखा था। भारत सरकार के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब ने इसका जो जवाब राजस्थान सरकार को भेजा है, उसको अगर आपकी अनुमति हो तो चन्द लाइनें मैं सदन में पढ़ कर सुनाऊं। इसके बाद में दूसरी बार इसका रिमाइन्डर राज्य सरकार ने दिनांक 2 जुलाई, 76 को भारत सरकार को भेजा। उसमें यह कहा गया कि कोटा, झालावाड, भोपाल मार्ग को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री राजेन्द्र भारतीय (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप राष्ट्रीयकृत मार्ग को तो जाने दीजिये वह तो पता नहीं आप कब तक करोगे, कोटा में जो पुल बनाने के लिए आपको बार बार निवेदन किया है और आपने आश्वासन भी दिया था लेकिन वह अभी तक नहीं बन सका है। वहां की जनता को भारी दिक्कत हो रही है इसलिए वह तो आप जल्दी पूरा करा दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री हाजी जान मोहम्मद।

तहसील पिडावा की सहकारी समितियों में गबन के मामले

5. श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 8

(8)

(श्री हाजी जान मोहम्मद)

(1) क्या यह नहीं है कि सहकारी समिति पिड़ावा व धरोनिया और तहसील पिड़ावा की करीब सारी सहकारी समितियों में गबन के मामले हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार किसी ईमानदार व्यक्ति से इन सहकारी समितियों का आडिट कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गयी है क्योंकि इस प्रश्न के अन्दर सभी जगहों की सहकारी समितियों के बारे में पूछा गया है। इस प्रश्न की सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 6

श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री हाजी जान मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज पिछले चार वर्षों से इस प्रश्न को स्थगित किया जा रहा है। हमारे एरिया में वैसे ही कोई विकास का काम नहीं हो रहा है• • •

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने मुलतवी करने के लिये दर्ख्वास्त की है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : आखिर यह बात क्या है साहब ? सहकारी समिति पिड़ावा व धरोनिया और तहसील पिड़ावा की करीब करीब जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनमें बड़े बड़े दस दस, बीस बीस, तीस तीस हजार तक के गबन हैं। कोई कार्यवाही उन गबन के केसेज पर नहीं हो रही है वह कब तक मुलतवी कराते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इस सवाल को आगे के लिये मुलतवी किया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आखिर, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को तकलीफ क्या है ? जवाब आने में क्या दिक्कत हो रही है ? वह चाहें तो जल्दी मंगा सकते हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से जवाब नहीं आ रहा है। आखिर कोई समय तो होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री हाजी जान मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न तो मुलतवी कर दिया लेकिन क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर इस सत्र में भी नहीं दे सकेंगे ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या इस प्रश्न का जवाब इसी सदन में आ जायेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न को मुलतवी जवाब नहीं देने की वजह से नहीं किया। मैंने तो एक हफ्ते का समय मांगा है। उसके बाद में आप जो भी तारीख मुकर्रर करेंगे उस तारीख को मैं जवाब दे दूंगा। क्योंकि सभी सहकारी

(श्री हीरालाल देवपुरा)
समितियों की सूचना आने में समय लग सकता है इसलिये समय मांगा था।

श्री हाजी जान मोहम्मद : आखिर कौन सी तारीख को आयेगा।

(अश्रव्य)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में देने मे दिक्कत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आ जायेगा। जल्दी जवाब आ जायेगा। आज इतनी इनायत क्यों हो रही है इस पर !

श्री केदारनाथ : वोइस आफ इन्सीडेन्ट बोल रही है आज।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

फिदूसर खनिज क्षेत्र की सडकों की मरम्मत

7. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा ट्रकों की तुलाई के नाम पर प्रति ट्रक एक रुपया ट्रक मालिकों से कब से वसूल करना प्रारम्भ किया गया ?

(2) अब तक उपरोक्त स्रोत से कितनी धनराशि वार्षिक एकत्रित की गई ? पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखें।

(3) न लाभ न हानि के आधार पर तुलाई का वास्तविक व्यय एक बार में प्रति ट्रक क्या आता है ? उपरोक्त स्रोत से प्रति वर्ष खनिज विभाग को कितना कितना शुद्ध लाभ हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र की सड़कों की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में इन सड़कों की मरम्मत के लिये नगण्य प्रावधान है ? यदि हां, तो उपरोक्त तुलाई के शुद्ध लाभ को इन सड़कों की मरम्मत एवं सुधार पर क्यों नहीं व्यय किया जा रहा है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुंझारसिंह) : (1) यह वसूली सन् 1971 में हो रही है।

(2) ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	धनराशि
1971-72	35,80[illegible].00
1972-73	62,282.00
1973-74	49,560.00
1974-75	61,[illegible]14.00
1975-76	55,445.60
1976-77	5[illegible],845.00

(3) लाभ का प्रश्न ही नहीं है। खर्चा अभी भी आमदनी से ज्यादा है। अन्दाजन प्रति ट्रक 1 रुपये 40 पैसे से 2 रुपये के बीच में पड़ता है।

(4) सड़कों की हालत वास्तव में खराब है लेकिन उसकी मरम्मत के लिये जब तुला यन्त्रों से कोई लाभ नहीं है तो तुलाई से खर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अमृतलाल गहलोत : क्या आप उनकी लागत की, तुलाई की संख्या की विगत बतायेंगे ?

श्री जुझार सिंह : सड़कों की हालत वास्तव में खराब है क्योंकि तुला यन्त्रों से कोई लाभ नहीं है। मैंने आपको विगत बताई है। खर्चा पहले ही आमदनी से ज्यादा है। लागत 1 लाख 25 हजार है।

श्री अमृतलाल गहलोत : अच्छे की लागत 2 लाख 10 हजार है।

श्री जुझारसिंह : जैसा कि मैंने आपको बताया, ओपरेशन पर ज्यादा खर्चा आता है। रेकरिंग खर्चा इतना है कि बचत नहीं हो पाती है। यह भी पौसिबल नहीं लगता है कि नयी सड़कें बनाई जायं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : किस कानून के तहत वसूली की जा रही है? कम्पेनसेट करते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री अमृतलाल गहलोत : रोयल्टी की राशि की आप वसूली करते हैं। कीमत से ज्यादा आपने वसूली कर ली 3 लाख 60 हजार। आदमी वसूली करते हैं, तो डिपार्टमेंट से भी तो उसकी तनख्वाह वसूल हो रही है।

श्री जुझार सिंह : जैसा मैंने निवेदन किया, एक मशीन पर ज्यादा काम करते हैं। तुलाई पर लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। बचत नहीं होती है। जहां मशीन लगी हुई है वहां पर चार्जेज फी ट्रक 1.40 रु. से 2 रु. है फी ट्रक होता है। इसलिए बचत में से खर्च करके सड़कें नहीं बनायी जा सकतीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मेरे प्रश्न का जबाव नहीं आया। मैं आपकी इजाजत से पहले ही रख चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया।

श्री जुझार सिंह : प्राइवेट मशीन पर भी सर्विस लेते हैं तो पेमेन्ट रोयल्टी में होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर तहसील में विद्युतिकरण

8. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सांचोर में अब तक सिवाय सांचोर के कोई भी ग्राम का विद्युतिकरण नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों?

(2) निकट भविष्य में तहसील सांचोर में कौन कौन से ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक कर दिया जावेगा?

(3) रानीवाड़ा से सांचोर तक एवं भीनमाल से देवड़ा भाव होकर सांचोर तक 33 के.वी. विद्युत् लाइनों का प्रसार कब तक कर दिया जावेगा?

(4) क्या यह सही है कि सांचोर पंचायत क्षेत्र में अभी तक कोई ए.आर.सी. या आर.ई.सी. योजना लागू नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? अब इस पंचायत समिति क्षेत्र में आर.ई.सी. योजना कितने ग्रामों की कब तक मंजूर कर दी जावेगी?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां। सांचौर क्षेत्र में अभी उच्च प्रसारण लाइनों का विस्तार न होने के कारण दूसरे ग्रामों का विद्युतिकरण संभव नहीं हो पाया है।

(2) वित्तीय वर्ष 1977-78 में इस क्षेत्र की ग्रा. वि. नि. (आर.ई.सी.) योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(3) रानीवाड़ा से सांचौर तक 33 के.वी. लाइन वर्ष 1977–78 में पूरी करने का प्रस्ताव है। भीनमाल से सांचौर तक एक और 33 के.वी. लाइन के प्रस्ताव का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(4) जी हां, सांचौर क्षेत्र में अभी कोई ग्रा. वि. नि. (आर ई.सी.) योजना लागू नहीं की जा सकी है। राज्य स्तरीय समन्वयन समिति से विचार विमर्श कर शीघ्र आर.ई.सी. योजना का प्रस्ताव तैयार किया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सांचौर एरिया में बिजली के लिए आश्वासन दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। हजारों पंपिंग सेट डीजल से चलते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने साल भर पहले आश्वासन दिया था, उसकी क्रियान्विति कब होगी?

श्री हीरालाल देवपुरा : डीजल पंपिंग सेट बहुत मंहगा होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काश्तकारों ने खुद ने लगा रखे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जालौर एरिया में रानीवाड़ा से सांचौर के लिए 33 के.वी. की लाइन है। डाईरेक्ट भीनमाल को कनेक्ट करने के लिये भी लाइन डाल रहे हैं जब तक कनेक्ट नहीं हो जाता है बिजली नहीं दे सकते हैं। जिनको बिजली देते हैं वहां भी कितनी दिक्कत है वह आप जानते हैं। जल्दी करके उनको बिजली दी जा रही है। अगले वर्ष में जो 80 गांवों की योजना प्रस्तावित की है उसमें काम कर सकेंगे। स्टेट लेवल पर एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का सर्टीफिकेट मिलना जरूरी है। जल्दी इसको स्वीकृत करवा कर अगले वर्ष में प्रारम्भ करवा देंगे।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : सिरोही से जालौर वाली 125 के.वी. की लाइन कब तक पूरी हो जावेगी?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। अलग से पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

झालावाड चिकित्सालय में डाक्टरों के रिक्त स्थान

9. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ चिकित्सालय में :

1. स्त्री रोग विशेषज्ञ

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

2. नेत्र चिकित्सक (विशेषज्ञ)

3. फिजिशियन

4. हड्डी के डाक्टर के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डाक्टरों के नहीं होने के कारण जिले की जनता को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त डाक्टरों के पद कब तक भर दिये जावेंगे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) झालावाड़ चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं नेत्र चिकित्सक (विशेषज्ञ) के नवसृजित पद रिक्त हैं। इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। फिजिशियन एवं हड्डी के डाक्टर के पद झालावाड़ में अलग से स्वीकृत नहीं हैं।

(2) नेत्र चिकित्सा विशेषज्ञ तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद हाल ही में सृजित किये गये हैं। इनको शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। झालावाड़ में महिला डाक्टरों व सर्जरी के विशेषज्ञ सहित 13 डाक्टर कार्यरत हैं, अतः चिकित्सा सेवा सम्बन्धी असुविधा का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, सी. एम. एच. ओ. रिटायर हुए हैं, उनका पद खाली हो गया है। आपने कहा कि फिजिशियन का पद नहीं है। पहले फिजिशियन थे वह जगह खाली है। अब तक नहीं भरी गयी है।

श्री चन्दनमल बैद : फिजिशियन का पद स्पेशियली नहीं है। जो डाक्टर हैं वे ही जनरली काम करते हैं। जनरल डाक्टर को ही फिजिशियन समझ रहे हैं तो यह गलतफहमी है। सी. एम. एच. ओ. रिटायर हो गये हैं।

श्री हाजी जान मोहम्मद : पिड़ावा वगैरह में भी खाली पड़ी हुई है। कब तक भर देंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : इस महीने खाली हो गयी होंगी।

श्री हाजी जान मोहम्मद : पिड़ावा से जयपुर आते हैं, कोटा जाते हैं पेशेन्ट्स।

श्री चन्दनमल बैद : झालावाड़ में 13 डाक्टर होने के बावजूद भी पर्याप्त चिकित्सा नहीं मिल रही है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या अर्ज करूं।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : तीन चार महीने से डाक्टर नहीं हैं हमारे यहां। आप कहते हैं कि भेज दिया। वे तो जाने के इच्छुक नहीं हैं। खानपुर में नहीं हैं। झालावाड़ में भी डाक्टर की शिकायत है उसको नहीं हटाया जा रहा है। समझ में नहीं आता कर क्या रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री गौरीशंकर मुनीम : जवाब तो आना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न का तो मैं जवाब दे चुका हूं। खानपुर और दूसरी जगहों के लिये आप जवाब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा।

श्री हाजी जान मोहम्मद : झालावाड़ राजस्थान में है या नहीं ?

प्रश्न संख्या 10

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुडी

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

जालोर जिले में भेड फार्म के विकास की योजना

11. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या भेड़ एवं ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में भेड़ फार्म के विकास हेतु कुछ धनराशि 1976–77 में आवटित की गयी थी ? अगर हां, तो कुल कितने भेड़ फार्मों के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई थी एवं उसमें से अब तक कितने भेड़ फार्म कहां कहां खोल कर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा 31 मार्च, 1977 तक कुल कितनी धनराशि खर्च कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भेड़ फार्मों के विकास हेतु कम से कम 625 बीघा जमीन की आवश्यकता बतायी गयी है ? अगर हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बड़ा भू-खण्ड जिला जालोर में उपलब्ध नहीं होने से अब तक पूरे भेड़ फार्म नहीं खोले जा सके हैं ? अगर हां, तो इस कठिनाई को किस प्रकार दूर किया जा सकेगा ?

(4) क्या राज्य सरकार करीबन 400 बीघा के भेड़ फार्म पंजीयन करना उचित समझेगी ताकि निर्धारित भेड़ फार्म इस जिले में शीघ्र खोले जा सकें ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) जिला जालोर में भेड़ एवं उसके विकास हेतु अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या क्या योजनायें लागू की गयी हैं एवं भविष्य में क्या क्या क्या योजनायें क्रियान्वित की जावेंगी ?

राज्य मंत्री, भेड एवं ऊन (श्री मुंशी-लाल महावर) : (1) डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत भेड़ों के चरागाह विकास हेतु 18 भूखण्डों के लिये रु. 8.73 लाख की राशि आवंटित की गयी थी। अभी तक 13 भूखण्डों का चयन कर लिया गया है एवं इनमें से चार भूखण्डों आमली, नोसरा, धानसा और गोलसन का पूर्ण रूप से कब्जा प्राप्त कर तार बन्दी व चरागाह विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया है। दिसम्बर, 76 तक रु. 72 हजार की राशि व्यय की गयी है एवं 31 मार्च, 77 तक 4.53 लाख रु. व्यय किये जाने की संभावना है।

(2) जी नहीं। प्रत्येक भूखण्ड करीब 100 हेक्टेयर अर्थात् करीब 402 बीघा क्षेत्रफल का ही चयन किया जाता है।

(3) लक्ष्य पूरे करने हेतु वन विभाग से करीब 400 बीघा क्षेत्रफल के ही भूखण्ड प्राप्त किये जा रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : कुछ सुनाई नहीं देता। मंत्री महोदय स्वयं बोल रहे हैं और स्वयं सुन रहे हैं।

श्री मुंशीलाल महावर : (4) कार्य इसी प्रकार से किया जा रहा है। अगले वर्ष तक लक्ष्य पूरे होने की आशा है।

(5) जिला जालोर में भेड़ व ऊन के विकास हेतु डी.पी.ए.पी. योजना में चरागाह विकास एवं लघु सीमान्त कृषक एवं कृषक श्रमिक हेतु भेड इकाइयां उपलब्ध कराने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रसार कार्य के अन्तर्गत भेडों में स्वास्थ्य सेवा व प्रजनन कार्य भी किये जा रहे हैं। इन्हीं कार्यों को भविष्य में अधिक व्यापक रूप दिया जावेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : आप तो रोज ही सुनते रहे थे।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, किसी दूसरे की मदद से ट्रान्सलेट करवा दें ताकि कुछ समझ में तो आ जाये।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : अब तो पीछा छोड़ो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या 625 बीघा भेड़ पालने के लिए एक फार्म के लिए आवश्यक नहीं है? आपने बताया है 412 बीघा। यह बिल्कुल गलत है। मेरा डिस्कशन हुआ है। इस बारे में निर्धारित सीमा जो वर्ल्ड बंक ने कम से कम रखी है वह 625 बीघा है। इतने का भूखण्ड होना चाहिए। आप गोचर जमीन की बात कर रहे हैं। वहां झगड़े चल रहे हैं। कहीं रास्ते हैं, कहीं तालाब है। तो आपको कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है क्या? आपने 625 बीघा के बजाय 412 बीघा बताया यह कैसे बताया? क्या राज्य सरकार ने कोई संशोधन किया है?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 625 बीघा के लिए कहा है यह बिलकुल गलत है। 100 हैक्टेयर का एक भेड़ पालन फार्म बनाया जाता है और वह 412 बीघा ही होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में इस प्रकार के गलत जवाब नहीं दिये जाते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, फिर 625 बीघा जमीन के लिए क्यों झगड़े चल रहे हैं? गांव वाले झगड़े कर रहे हैं और लोगों का आब्जेक्शन हैं।

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सप्लीमेन्ट्री की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है।

श्री मुंशीलाल महावर : योजना के अन्तर्गत 100 हैक्टेयर ही रखा गया है। यदि ज्यादा बढ़ाना होता तो ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती। मैं जांच करा लूंगा लेकिन हमको 100 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन की फार्म के लिए जरूरत नहीं होती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप स्कीम में क्या क्या करेंगे? यह तो बता दें।

श्री मुंशीलाल महावर : सहकारिता के आधार पर हम 100 हैक्टेयर के फार्म

(श्री मुंशीलाल महावर)
बनायेंगे और इनमें चरागाह के विकास का काम और भेड़ों के विकास का काम किया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो खर्चा बताया है इसमें फर्जी मस्टर-रोल बनाये गये हैं और कोई काम नहीं हुआ है, क्या आप इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं ? जब गांवों में बताया कि इतना खर्चा हुआ है। वहां फर्जी मस्टर रोल बनाये गये हैं और काम हुआ नहीं है। लेवर ने वहां काम किया नहीं, फिर पैसा कहां खर्च हुआ ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय सदस्य खर्चे की बात कर रहे हैं, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जांच तो करा लें। खर्चा तो मौके पर ही हुआ होगा।

श्री मुंशीलाल महावर : शांति से सुनने का धैर्य रखें। फर्जी मस्टर रोल नहीं बनते। केवल फेन्सिग हुई है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि खर्चा कागजों में बताया गया है। लेवर को पेमेन्ट नहीं किया गया है लेकिन मस्टर रोल में भरा गया कि कुछ लेबर थी। इसलिए इसको साधारण रूप में मत मानें। क्या आप जांच करायेंगे ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय सदस्य ने फेन्सिग वायर किये जाने का···

श्री रघुनाथ विश्नोई : वायर का सवाल नहीं है। वास्तविक मौके पर खर्चा हुआ है या नहीं, क्या आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं या नहीं ? आप तो इन्फार्मेशन के आधार पर जवाब दे रहे हैं। यह इन्फार्मेशन सही है क्या ?

श्री मुंशीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शंका है तो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : अरे, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है मेरा···

श्री नानालाल (राजसमन्द) : विकास पर जितना खर्चा हुआ है उसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है ?

श्री बिरदाराम फुलवारिया : अरे, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। 100 हैक्टेयर के लिए आपने कहा तो आप यह बतायें कि एक हैक्टेयर कितने बीघे का होता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को सुनें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सब भेड़ चाल हो रहे हैं।

श्री मुंशीलाल महावर : राजस्थान के पश्चिमी भाग में बिल्कुल रेगिस्तान है जहां चरागाह विकास बहुत जरूरी है। हम इसके लिए विकास कर सकें क्योंकि हमारी लाखों भेड़ें दूसरे प्रान्तों में माइग्रेट करती है, ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम चरागाह विकास के लिए काम करें।

(श्री मुंशीलाल महावर)

दूसरे हम अच्छी नस्ल की भेड़ें तैयार कर रहे हैं। सहकारिता के आधार पर इन फार्मों में भेड़ों के विकास के लिए कार्यक्रम किया जायेगा। उनके इलाज और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। जहां तक सीमान्त और लघु काश्तकारों का सवाल है हम 20 भेड़ें और एक भेड़ा खरीदने के लिए सोच रहे हैं···

एक माननीय सदस्य : यह कथा भागवत हो रही है क्या ?

श्री मुंशीलाल महावर : इसके लिए हम सब्सीडी दे रहे हैं। यही निवेदन करना है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : भेड़ें कतरने के लिए जो मकान पड़े हैं वहां भेड़ें कतरने का काम होता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक हैक्टेयर में कितने बीघे होते हैं ? यह तो बता दें।

श्री मुंशीलाल महावर : जहां तक एक हैक्टेयर का सवाल है उसमें लगभग 4 बीघा होते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री अमृतलाल गहलोत।

मण्डोर बाग की मूर्तियां

12. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मण्डोर उद्यान के 'हाल आफ हीरोज' की बहुमूल्य मूर्तियां, जो वर्षों पूर्व पीछे लगी चट्टान से काट कर अत्यन्त कारीगरी से निर्मित की गई थी, आज मरम्मत के अभाव से टूट रही हैं ?

(2) यदि हां, तो इनके बचाव के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का संबंध पुरातत्व विभाग से है। यह प्रश्न उनको ट्रान्सफर किया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट।

श्री रामप्रसाद बोहरा,

ग्राम राजपुरा की लघु सिंचाई योजना का कार्य

13. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राजपुरा पंचायत समिति, बकानी जिला झालावाड़ में लघु सिंचाई योजना अधूरी पड़ी है ?

(2) उक्त योजना पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और पूरा होने पर कितना खर्च और होगा ?

(3) उक्त योजना का कार्य कब पूरा कर दिया जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) :
(1) जी हां।

(2) इस लिफ्ट योजना पर अब तक 0.25 लाख रुपया खर्च हुआ है। इस योजना को पूरा करने के लिए 2.34 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

(3) लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में काश्तकार सिंचाई की दर, 'जो ऐसी लिफ्ट योजनाओं में न लाभ न हानि' के अनुसार लिये जाते हैं, देने को रजामन्द नहीं हैं। उनके रजामन्द होने व धनराशि उपलब्ध होने पर योजना को पूरा करने का प्रयास किया जावेगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : यह योजना झालावाड़ जिले में है जिसको पूरा नहीं कर रहे हैं। 1972 में भी इस तथ्य को प्रस्तुत किया था।

श्री हीरालाल देवपुरा : सिंचाई की दर नो प्राफिट नो लास बेसिस पर ली जाये किसान इस बात के लिये तैयार नहीं हुआ। किसान जब तैयार हो जायें, वे खुद तैयार हो जायें उसको बरदाश्त करें, तो हम तैयार हैं। तैयार किसान को होना चाहिये।

श्री राम प्रसाद बोहरा : किसान पेमेंट करने को तैयार हैं। इस योजना को पूरा कर दिया जाये।

श्री हीरालाल देवपुरा : उसमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

पैसेन्जर टैक्स में रियायत

14. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1–10–76 से जयपुर नगर में चलने वाली स्टेज केरिजेज से यात्रा करने वाले यात्रियों के किराये पर राजस्थान पेसेंजर एण्ड गुड्स टैक्सेशन एक्ट के अन्तर्गत लगने वाला पेसेंजर टैक्स तीस प्रतिशत से घटा कर केवल दस प्रतिशत कर दिया गया है परन्तु अन्य नगरों में पहिले जितना तीस प्रतिशत ही रखा गया है ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त विषमता का क्या कारण है ?

(3) जोधपुर नगर, जिसकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 3,17,612 है, को उपरोक्त जयपुर नगर को मिलने वाली रियायत से क्यों वंचित रखा गया है जब कि जोधपुर के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय जयपुर वालों से कम है ?

यातायात मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) चूंकि नगरीय वाहन सेवा में आय के मुकाबले खर्च अधिक होता है। अतः घाटा होता है। जयपुर राजस्थान का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। अतः अधिकतम बसें चलती हैं। इस घाटे को कम करने के लिए, जयपुर में यात्री कर में यह छूट दी गई है। अतः विषमता का कोई प्रश्न ही नहीं है।

Page No 18

(18)

(श्री रामनारायण चौधरी)

(३) जोधपुर में यद्यपि यात्री कर तो 30 प्रतिशत ही लागू है परन्तु यात्री किराये की दरें कम है जिसमे यात्रियों को किराया मय कर जयपुर के मुकाबले कम देना पड़ता है। जयपुर नगर में यात्रियों को इस संबंध में कोई रियायत नहीं दी गई। इस रियायत का लाभ केवल राजस्थान पथ परिवहन निगम को ही मिलेगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में यात्री कर 30 प्रतिशत, जयपुर में 10 प्रतिशत, यह कहां का न्याय है? यह जो विषमता है दूर होनी चाहिये। हमारे यहां भी 13 बसें चलती हैं, वहां भी घाटा होता है। जोधपुर के साथ अन्याय क्यों?

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर के अन्दर बसें राजस्थान रोडवेज की चलती हैं। उसका घाटा कुछ कम करने के लिये 30 के बजाय 10% टैक्स की रियायत दी गई है और किराया दो पैसे किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है। जोधपुर के अन्दर प्राइवेट बसें हैं। प्राइवेट बसें, लाभ हानि में अपने हिसाब से चलाते हैं। यदि घाटा होता है तो बसें नहीं चलायें।

श्री अमृतलाल गहलोत : क्या आप चाहते हैं कि जनता को सुविधा न हो? अगर बसें बन्द करते हैं तो आप क्या आश्वासन देते हैं कि कार्पोरेशन की बसें चलेंगी?

श्री रामनारायण चौधरी : तब राज्य सरकार विचार करेगी, आल्टरनेटिव व्यवस्था क्या हो।

श्री अमृतलाल गहलोत : डीजल एक भाव, टायर एक भाव। प्राइवेट बसों में घाटा होता है। जयपुर में आप सब्सीडाइज करते हैं, जोधपुर में नहीं करते।

श्री रामनारायण चौधरी : जोधपुर में किराये की दर पहले ही कम है, यह तो राजस्थान सरकार ने आर. एस. टी. सी. को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा किया है कि वह घाटे में चलायें। जोधपुर में ऐसी बात नहीं है। जोधपुर में प्राइवेट बसें चलती हैं। आप इन्डिविजुअल केस को प्लीड कर रहे हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : इन्डिविजुअल केस को प्लीड नहीं कर रहा हूं। इसमें कोई डिस्पैरिटी कतई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मेरा एक प्रश्न है। जहां जहां कम आय है वहां दूसरे स्थानों पर भी यह टैक्स कम करने के लिये तैयार हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : आपका प्रश्न गोल मटोल है। यह जो निर्णय लिया गया यह उन शहरों के लिये लिया गया जिनकी आबादी पांच लाख या पांच लाख से ज्यादा है। राज्य सरकार ने मुनासिब समझा उसमें सिर्फ जयपुर ही आता है। खुद राजस्थान सरकार ने अपने आदेश से आर. एस. टी. सी. को कहा कि जयपुर में ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था की जाये। परिणामस्वरूप घाटा होने पर यह निर्णय लिया कि पैसेन्जर टैक्स 30 के बजाय 10 प्रतिशत

(श्री रामनारायण चौधरी)
किया जाय और फेयर पांच पैसे दो किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया जाये ताकि उसका घाटा न हो। जयपुर के अन्दर इस दृष्टि से निर्णय लिया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

झालावाड़ के छात्रावास के अधीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

15. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ नगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास चालू है? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री सन्त राम इसके अधीक्षक (व्यवस्थापक) हैं? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि इनके खिलाफ कई बार अनियमितता एवं भ्रष्टाचार तथा छात्रों के साथ मारपीट करने व पूरा सामान न देने की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो कब कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला सतर्कता कमेटी झालावाड़ ने जांच कर इनको अपराधी माना है और इनका तबादला अन्य जिले में करने तथा विभागीय कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश (सतर्कता) ने राज्य सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री बनवारी लाल) : (1) जी हां, वर्ष 1961-62 से।

(2) जी हां, दिनांक 11-7-66 से।

(3) जी हां, श्री सन्तराम के विरुद्ध शिकायतें समाज कल्याण विभाग में दिनांक 29-3-76 व 19-5-76 को प्राप्त हुई हैं।

(4) जी हां, सचिव, जिला अभियोग एवं सतर्कता समिति (अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी) झालावाड़ से यह सूचना प्राप्त हुई है कि श्री सन्तराम के विरुद्ध जांच कराये जाने पर मामला सत्य पाया गया है, अतः उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावे एवं उनका स्थानान्तरण इस जिले से अन्यत्र किया जावे। इस पर सचिव, सतर्कता समिति को लिखा गया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री सन्तराम के विरुद्ध सी. सी. ए. नियमों के तहत आरोप व दोषारोपण पत्र का प्रारूप तैयार कर मय रिकार्ड के इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें ताकि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके। वांछित सूचना अभी तक अपेक्षित है जिसके प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : कब कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बनवारीलाल : वांछित सूचना आते ही।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह वांछित सूचना कब तक आ जायेगी ?

श्री हाजी जान मोहम्मद : जिला झालावाड़ में हजारों रुपया खाया है। यह तो पुलिस में जाने लायक है। मिनिस्टर ने इन्क्वायरी की है।

श्री बनवारीलाल : यह अलग से शिकायत है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

पटवार केन्द्र

6. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किन किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पटवार केन्द्र का मुख्यालय नहीं है?

(2) राज्य में ऐसे कितने ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं, जिनमें पटवार सर्किल स्थापित नहीं है?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति मुख्यालयों का विद्युतिकरण

10. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कितने तहसील व पंचायत समिति मुख्यालयों का विद्युतिकरण होना शेष है? एवं यह कब तक होगा?

(2) नागौर जिले की जायल तहसील के मुख्यालय का विद्युतिकरण करने में क्या क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

(1) फरवरी 1977 के अन्त में 9 तहसील मुख्यालयों व 16 पंचायत समिति मुख्यालयों का विद्युतिकरण करना शेष रहा है। इनमें से 7 तहसील मुख्यालयों व 10 पंचायत समिति मुख्यालयों का विद्युतिकरण पांचवीं योजना काल के अन्त तक होने की आशा है।

(2) नागौर जिले के जायल तहसील मुख्यालय को जायल पंचायत समिति के जिये बनने वाली ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में सम्मिलित किया गया है। इस पंचायत समिति की भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी तैयार नहीं होने के कारण राज्यस्तरीय समन्वय समिति (ए. आर. सी. व आर. ई. सी.) ने इस योजना को अभी निगम को भेजने की स्वीकृति नहीं दी है। ज्योंही भूजल सर्वेक्षण की रिपोर्ट फेवरेबल मिल जायगी यह योजना स्वीकृति हेतु ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को भेज दी जायगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री केसरीमल व मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे धरना व भूख हड़ताल के विषय में।

(2) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से किसानों को बिजली

(श्री अध्यक्ष)
की दरों में 13 पैसे से 30 पैसे की बढोतरी करने व सिक्योरिटी की राशि फरवरी माह के बिलों में जोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(3) श्री मालाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से नीम का थाना में विद्युत मण्डल द्वारा किसानों के बिजली के कनेक्शन काट दिये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुमानमल लोढा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्ड पीठ के न्यायाधीशों के लिए आवास व्यवस्था न करने के कारण एक न्यायाधीश द्वारा न्यायालय में 10 दिन तक कार्य न करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। स्थगन प्रस्तावों के बारे में आपकी वही व्यवस्था है जो पहिले थी।

श्री अध्यक्ष : जी हां, नो चेन्ज।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष जी, जो राशि की उन्होंने मांग की है, वह उन्हें तुरन्त प्रदान की जाय। वहां के बोर्ड ने यह माना है चूंकि यहां की वेतन श्रृंखलायें दूसरी हैं राज्य सरकार से और इसलिये एक आयोग बिठाया जाय। अलग से इस बात का निश्चय किया गया कि आयोग का गठन हो और उसकी सिफारिशों को लागू किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह अप्रेल, 74 की बात है। उन्होंने आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देने की बात थी लेकिन उसने तीन महीने में अपनी रिपोर्ट नहीं दी। एक वर्ष में उसने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न आया तो बोर्ड ने उसको लागू नहीं किया। जब यह पुनः मांग की गई कि आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं माना जा रहा है तो एक कमेटी बैठा दी और कहा गया कि आपका जो वेतनमान है वह एक प्रकार का अलग वेतनमान है और जो आयोग की सिफारिश है वह...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में बोलना है।

श्री केशरीमल : बहुत थोड़े में ही बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय।

तीन बातें है इसके बाद-एक तो यह कि इस कमेटी ने अपना कोई फैसला नहीं किया। दूसरे बोर्ड के अध्यक्ष ने अपनी तरफ से ही राज्य सरकार के घोषित वेतनमानों को लागू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इनकी वेतन श्रृंखलायें भिन्न हैं, यह बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद ने माना है, चूंकि वेतन श्रृंखलायें अलग से है इसलिये आयोग बैठाकर अलग से ही तय की जायेंगी। तीसरे आयोग जो बनाया गया था, उसकी

(श्री केशरीमल)

सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। उसके बाद कमेटी बिठाकर निर्णय लेने को कहा गया वह भी नहीं किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद ने राज्य सरकार ने जो वेतनमान लागू किये हैं, वे उनके लिये भी लागू कर दिये। इसलिये वहां के कर्मचारियों में असन्तोष है। बोर्ड इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस कारण कर्मचारियों में भयंकर असन्तोष की भावना है। बहुत अर्से से वे प्रयास करते रहे हैं कि उनके वेतनमान ठीक किये जायं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बोर्ड के अध्यक्ष ने उन्हें मानने से इन्कार कर दिया और खुद ने अपनी मनमानी घोषणा कर दी। इस वजह से धरना और भूख हड़ताल चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को उनके धरने और भूख हड़ताल को नजरन्दाज करना न्यायोचित नहीं है। उनकी मांग को मानने से लगातार इन्कार करने से उनमें काफी असन्तोष है और स्थिति बड़ी गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है राज्य सरकार इस बात पर विचार करे, उनको बुलाये और आपस में बैठकर चर्चा कर इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, असल में यह सवाल सिर्फ यही नहीं है कि जो आयोगों की सिफारिश होती है, उनको लागू नहीं किया जाता है बल्कि इसमें एक और उसूल भी है। जहां कहीं भी राज्य सरकार कमीशन मुकर्रर करती है और एक वक्त उसको अपनी रिपोर्ट देने के लिये दिया जाता है उस पर बहुत बड़ी रकम भी खर्च की जाती है। इस सबके बाद जब कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है तो उसको लागू नहीं किया जाता है। मेरा मानना है जो राज्य सरकार अपना वक्त जाया करती है, आफिसर्स का वक्त जाया करती है उसका क्या आधार है? राज्य सरकार को इस बारे में पूरा स्पष्टीकरण करना चाहिये। जब एक चीज के बारे में कमीशन मुकर्रर कर देते हैं तो फिर उसकी सिफारिशों को लागू न करने का क्या औचित्य रह जाता है? या तो राज्य सरकार यह कहे कि यह गैर कानूनी है इसलिये इसको लागू नहीं किया जा सकता है या उसके बारे में कहे कि इस कारण से इसको नहीं माना जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है राज्य सरकार को कि कमीशन मुकर्रर करने के बाद उसकी सिफारिशें को लागू करना चाहिये। लेकिन उसकी सिफारिशों को भी लागू नहीं करते हैं, वक्त जाया करने के लिये कमेटी मुकर्रर कर देते हैं और फिर उस कमेटी की सिफारिशों को भी नहीं माना जाता है। बोर्ड के अध्यक्ष ने तमाम ताकत को हाथ में लेकर एक तरफा निर्णय किया है और एक इस तरह का फैसला दिया है जिससे सारे कर्मचारी असन्तुष्ट हैं। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो गलतियां आप करते चले आ रहे है, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। उसके बाद भी बराबर गलतियां जारी हैं। इनसे हर तबका, हर कार्यकर्त्ता आपकी कार्यवाही से खिलाफ हो जायगा क्या आपके कर्मचारी, क्या आपके टीचर्स, क्या आपका और स्टाफ–सारे के सारे असन्तुष्ट है। मैं

Page No 23

23

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
चाहूंगा राज्य सरकार का स्पष्टीकरण इस बारे में हासिल किया जाय कि उसकी क्या नीति है कमीशन के बारे में।

श्री मालाराम (नीम का थाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने बिजली के बारे में आदेश जारी किये हैं कि कनेक्शन काट दिये जायं। बीसियों आदमियों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब 20–25 दिन की कुल फसल है इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे वक्त पर राज्य सरकार आदेश भिजवायें कि कनेक्शन न काटे जायं कनेक्शन काटने से किसानों में भयंकर असन्तोष है, कनेक्शन कटने से इस समय फसल को काफी नुकसान हो जायगा। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार आश्वासन दिलाये कि कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण इसलिये है कि सारे न्यायाधीशों का और न्यायपालिका का विशेष तौर से प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ जयपुर आ जाने पर जो वरिष्ठ और उच्च न्यायाधीश यहां 31–1–77 को आये हैं, उसके बाद से अब तक उनकी आवास व्यवस्था करने में राज्य सरकार असफल रही है। अध्यक्ष महोदय, इससे बढ़कर कोई शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं हो सकती है कि जयपुर में खण्ड पीठ के आने के बाद न्यायाधीशों को मकान नहीं दे सके। अध्यक्ष महोदय, वहां से पांच न्यायाधीश यहां आये वे या तो अभी तक सर्किट हाउस में ठहरे हैं या और किसी प्रकार की टेम्प्रेरी व्यवस्था उनकी की है। आवास के मामले में एक दयनीय स्थिति है। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, एक न्यायाधीश 10 दिन लगातार ध्यान आकर्षित करने के लिये न्यायालय में न आकर मौन रूप से प्रोटेस्ट करते रहे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि आपका मंत्रिमण्डल आवास व्यवस्था करने में पूर्णतया असफल रहा है। न्यायपालिका के प्रति इस प्रकार की डिसरेस्पेक्ट और हीन भावना का कारण मैं समझता हूं जन आक्रोश की भावना बन रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम साधारण कर्मचारियों को भी आवास देने का प्रयास करते हैं, इसके अलावा जितने आर. ए. एस. अधिकारी हैं, आई. ए. एस. अधिकारी हैं उनको भी राज्य सरकार बंगले देने की व्यवस्था करती है तो न्यायपालिका के प्रति इस प्रकार की डिसरेस्पेक्ट और हीन भावना रखना कन्टेम्पचुअस एटीट्यूड है। यह जो इस प्रकार का आपका वातावरण दो साल से पैदा हुआ है उसी का कारण है कि आज भंयकर डेडलाक पैदा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इस ओर फौरन ध्यान दें। इसको यह कह कर टाला जा रहा है कि अलाटमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है।

आज न्यायाधीशों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं, कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं है। दो-तीन महीने से वे बराबर परेशान हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय यह निवेदन करूंगा यह एक न्यायाधीश का ही प्रश्न नहीं है, तमाम जुडिशियरी के बारे में

Page No 24

(24)

(श्री गुमानमल लोढा)

हमारा क्या एटीट्यूड रहता है, यह स्पष्ट करता है। अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे विश्वास है और साथ में दुख भी है कि आज यह प्रश्न हाउस के सामने लाया गया, जो यहां नहीं लाया जाना चाहिये था, लेकिन तीन महीने प्रयास करने के बाद भी सरकार के कानों में आज तक जूं नहीं रेंगी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार तुरन्त ध्यान दें और तुरन्त व्यवस्था करे, अन्यथा जो डेडलाक चल रहा है वह राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में एक भयंकर अड़चन की स्थिति पैदा करेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। मेरे दल के माननीय सदस्य, जो जोधपुर से पधारे हैं, ने जो बात कही है वह एक साधारण प्रश्न है अगर ऐसे साधारण प्रश्न की भी सरकार अवहेलना करे और इस हद तक मामला चले कि न्याय मूर्तियों के आवास की व्यवस्था न हो तो इससे अधिक क्या शर्म की बात हो सकती है। ट्रेजरी बैन्चेज अच्छी तरह समझती है इस सम्बन्ध में और उनमें इस बात का कोई विरोध नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेगी ताकि शिकायत का जो कुछ भी कारण है वह हट जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सीधा सा प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किसानों को सहूलियतें न पहुंचा कर जो 13 पैसे के हिसाब बिजली मिलती थी उस बिजली की दर तीस पैसे के हिसाब से कर दी है। एक ओर दर बढ़ाई दूसरी ओर रखा है कि साढ़े सात हार्स पावर के लिए 161) रु. सिक्योरिटी के जमा कराए जायं। दस हार्स पावर की मोटर के लिए और अधिक रुपया रखा गया है। इसके साथ साथ मिनिमम चार्जेज बढ़ा दिए हैं। इस सारी रकम को फरवरी माह के बिल में जोड़ कर किसानों से वसूली की गई है। उनसे कहा गया है कि यह रकम जमा कराओ नहीं तो कनेक्शन काट दिए जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कई किसानों के इस आधार पर कनेक्शन काट दिए गए हैं जिससे राजस्थान के किसान आज बहुत दुखी हैं। दूसरी ओर स्थिति यह है कि वोल्टेज पूरा मिल नहीं रहा है जिसके अभाव में फसलें जल रही हैं। एक मोटर ठीक कराने में आठ सौ रुपये खर्च हो जाते है। फ्यूज जोड़ने वाली व्यवस्था ठीक नहीं है। कनेक्शन जोड़ने के लिए सामान नहीं है, कभी कहते हैं खम्भे नहीं है कभी कहते हैं, तार नहीं हैं। किसी प्रकार की सुख सुविधा नही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान का किसान इन सारी बातों से दुखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, सरकार ने पिछले दिनों इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाड़ा में एक एक फैक्ट्री वाले से दस दस हजार रुपये वसूल किए हैं। ये किस आधार पर किए गए हैं ? थ्री फेज की जगह टू फेज हैं, एक फैज बिजली कम मिल रही है। वोल्टेज कम दिया गया है। दूसरी ओर पिछली दर से बकाया निकाल कर हजारों रुपये के बिल बना कर दिए गए हैं और किसानों से वसूल किए जा रहे हैं जिससे किसान बहुत दुखी हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

माननीय अध्यक्ष महोदयजी, जो निर्धारित तारीख है जिस निश्चित तारीख तक किसानों के पास बिल पहुंच जाना चाहिए उस तारीख के सात सात दिन बाद बिल पहुंचाएं जा रहे हैं जब कि ड्यू डेट आलरेडी निकल गई और इस कारण से पेनल्टी और जमा करानी पड़ रही है। मेरा निवेदन है कि किसी ने एप्लीकेशन दस हार्स पावर की दी लेकिन लगाया पांच हार्स पावर का। फिर भी दस हार्स पावर का पैसा वसूल किया जा रहा है क्योंकि उसने दस हार्स पावर के लिए एप्लीकेशन दी थी। उसी आधार पर चार्जेज लगाए जाते हैं। एल फार्म में देखे सकते हैं कि किस प्रकार का कनेक्शन दिया गया है लेकिन उस सम्बन्ध में विचार होता नहीं है। जब राज्य सरकार के पास विद्युत नहीं है तो उसको फाल्टी क्यों बनाया जाता है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान के किसानों की इस एक्यूट प्राब्लम को, गंभीर समस्या को राजस्थान सरकार हल करे। जो दरें बढ़ाई हैं उनको कम करे। सिक्योरिटी की रकम पहले जमा करा ली है, उसके उपरान्त भी 161) रु. और ज्यादा राज्य सरकार लेना चाहती है। उस सिक्योरिटी की रकम के आधार पर जमा नहीं करावें। लोगों के कनेक्शन काट दिए हैं उनके कनेक्शन वापस लगाए जावें। मिनिमम चार्जेज के आधार पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों को समय पर बिल मिल जाय। यदि किसान में कनेक्शन की रकम बकाया है तो मेरा निवेदन यह है कि उसकी फसल खड़ी हुई है ऐसे समय में कनेक्शन नहीं काटे जाने चाहिएं। बल्कि किसानों में कोई वाजिब रकम बकाया निकलती हो तो उसको किस्तों के आधार पर सरकार वसूल करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान का किसान बहुत दुखी है। पिछले दिनों आपको मालूम है कि भूमि विकास बैंक से राजस्थान के किसानों को जो पैसा मिला उससे उन्होंने बिजली के बिल चुकाए। किसानों की कुछ आर्थिक व्यवस्था बनी तो पिछले दिनों पुलिस की सहायता से जो वसूली करने का अधिकार दिए गए। न केवल उसका अनाज कुर्क किया बल्कि उसके स्वयं के जेवर, कपड़ा, घाघरा, लूगड़ी, पहनने वाले वस्त्र सरकार ने कुर्क किए। उसके खाने का अनाज, जो घर में पड़ा हुआ था ही कुर्क नहीं किया बल्कि जो रोटियां बनी हुई थीं, आटा गुंधा हुआ पड़ा था वह भी किसानों के पास नहीं छोड़ा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों की जो एक भयंकर, एक बहुत ही भयंकर, एक्यूट प्राबलम्ब है उसको हल करें। पिछले दिनों सरकार ने अत्याचार किए हैं, जो जुल्म किए हैं उसका फल तो इस सरकार को मिल गया है, लेकिन मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं जो जुल्म हो रहे हैं, अधिक सिक्योरिटी, मिनिमम चार्जेज, कनेक्शन काटने आदि को लेकर उन पर माननीय मंत्री जी एक वक्तव्य दें। इस प्रकार की आप व्यवस्था करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आसन के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपको कनेक्शन काटना हो तो काटें लेकिन फसल जब खड़ी है तो कनेक्शन क्यों काट रहे हैं ? यह बिल्कुल अनुचित है। रेट बढ़ाने का सरकार को अधिकार है, रेट बढ़ाएं, सोच समझकर बढ़ाएं लेकिन It should not come as a bolt from the blue.

(श्री लक्ष्मणसिंह)

रेट बढ़ाने से पहले उसको कहना चाहिए कि हम रेट बढ़ा रहे हैं। आपको रेट बढ़ाना है तो महीने दो महीने का नोटिस दें कि फलां तारीख से रेट बढ़ा रहे हैं। बिना नोटिस दिए यकायक रेट बढ़ा देना क्या उचित है? मंडल हैडेड थिंकिंग ठीक नहीं है।

घोषणा

श्री बेगाराम का विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री बेगाराम ने विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है।

सर्व श्री रावतराम व मानसिंह द्वारा दल परिवर्तन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रावतराम व श्री मानसिंह, सदस्य विधान सभा ने क्रमशः कांग्रेस पार्टी व जनता मोर्चा से त्याग-पत्र दे दिया है। ये दोनों माननीय सदस्य अब निर्दलीय सदस्यों के रूप में सदन में बैठेंगे।

विधान सभा की वित्तीय समितियों के कार्य-काल में वृद्धि

माननीय सदस्यों को सूचित करता है कि विधान सभा की जन लेखा समिति, 1976–77, प्राक्कलन समिति, 1976–77 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 1976–77 का कार्य-काल 25 मार्च, 1977 को समाप्त हो रहा है। इन समितियों के निर्वाचन की सामान्य प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है, अतः प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (2), 232(2) व नियम 233 ख (2) के परन्तुकों द्वारा दी गई शक्ति के अनुसरण में मैं उपरोक्त समितियों के कार्य-काल में दिनांक 26 मार्च, 1977 से एक माह की वृद्धि करता हूं।

सभापति तालिका

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत मैंने निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत किया है :–

1. श्री फूलचन्द जैन
2. श्री वृद्धिचन्द जैन
3. श्री रघुनाथ विश्नोई
4. श्री गुमानमल लोढा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री गुमानसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश····

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर

(श्री सचिव राज. वि. सभा)

रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

1. राजस्थान विधान सभा, (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976।

2. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974।

अध्यादेश

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1976)।

2. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1977)

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी !

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, राजस्व) : मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1977)

2. राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1977)

महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 63(2) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1977) को जारी करने के कारण का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विधि मंत्री जी !

श्री चन्दनमल बेद : अध्यक्ष महोदय...

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1976) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, पंचायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 14 सन् 1976) को सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. अधिसूचना संख्या 3(36)राज/ग्रुप/76, दिनांक 8 अक्टूबर, 1976

(श्री मूलचन्द मीणा)

2. अधिसूचना संख्या प. 4 (27) राज/उप/76, दिनांक 8 अक्टूबर, 1976

3. अधिसूचना संख्या प. 1 (17) राजस्व/उप/76, दिनांक 25 अक्टूबर, 1976

4. अधिसूचना संख्या 7 (56) राज/ग्रुप-4/75, दिनांक 4 नवम्बर, 1976

5. अधिसूचना संख्या 4 (5) राज/उप/76, दिनांक 1 दिसम्बर, 1976

6. अधिसूचना संख्या एफ 4(9) राज/उप/76, दिनांक 24 जनवरी, 1977

7. अधिसूचना संख्या प. 4 (12) राज/उप/73, दिनांक 24 जनवरी, 1977

आदेश

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी !

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन !

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(5) के अन्तर्गत राजस्थान के लोकायुक्त श्री आई. डी. दुआ द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1974–75 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. टोंक का 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित लेखों एवं संचालकों का वार्षिक चतुर्थ प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री उद्योग !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1975-76।

2. राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि. जयपुर का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 1975-76 के लेखे।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय !

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं पढ़कर सुनाऊं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को यह भेज दिया है ?

श्री खेतसिंह : भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से सहमति प्रगट करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन के प्रति सहमति प्रगट की गई।

अनुपूरक अनुदान की मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) 1976-77 का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं 1976-77 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (द्वितीय संकलन) के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य

वापिस लिये गये विधेयक

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972

श्री अध्यक्ष : राज्य मन्त्रीजी !

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापस लेता हूं।

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण

(श्री मूलचन्द मीणा)
(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को वापस लेता हूं।

सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973

अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा वृद्धि) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1973 को वापस लेता हूं।

राजस्थान सार्वजनिक धूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री अध्यक्ष : विधेयक का पुर:स्थापन।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक धूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक धूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1976

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1976) को जारी करने

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष। नेक्स्ट!

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1977 पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1977) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी!

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीरों का पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी!

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

Page No 32

(32)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1977

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी !

दण्ड प्रकिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977

श्री खेत सिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 12 सन् 1976) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय विभाजन

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिए 3 दिन नियत किये गये हैं। इस प्रकार चर्चा के लिए लगभग 15 घण्टे का समय उपलब्ध है। मैंने बहस की सुविधा की दृष्टि से पार्टी वाइज समय का विभाजन इस प्रकार किया है :—

कांग्रेस	11.00	(इसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी शामिल है)
जनता मोर्चा	2.00	
साम्यवादी (सी.पी.आई.)	0.45	
साम्यवादी (सी.पी.एम.)	0.15	
निर्दलीय	1.00	

श्री पूनमचन्द विश्नोई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नांकित शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया जाय :—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में किया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण कल सदन के सामने दिया वह, जो देश में आम चुनाव हुए थे, उससे शुरू किया गया था। इन चुनावों के बारे में हमारे देश में और विदेशों में कई प्रकार की आशंकाएं थीं। विरोध पक्ष यहां तक कहा करता था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। उसमें काफी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन आज स्थिति यह है. चाहे चुनाव परिणाम सत्तारूढ़ दल की दृष्टि से अच्छे नहीं रहे हों पर हमारे देश का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। बहुत ही शान्तिपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए हैं। विदेशों में भी इस बात की प्रशंसा की गई है। भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, चुनाव में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूर्ण निष्पक्षता से काम किया। भारत के चुनावों ने भारत में ही मिसाल कायम नहीं की है बल्कि संसार भर में जनतन्त्रवाद की एक मिसाल कायम की है। इस कार्य के लिए मैं राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार और इसमें कार्यरत जितने भी अधिकारी व कर्मचारी थे, उनको बधाई देता हूं। इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे देश में जनतन्त्र जीवित रहे और उसमें छोटे और बड़े मायने में जो कुछ हमारा या सरकार का योगदान हो सकता है, वह रहे और वास्तव में रहा है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दूसरा स्थान राजस्थान में भूमि सुधारों को दिया है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान का पूरा क्षेत्र पुरानी रियासतों और रजवाड़ों का क्षेत्र था। इसमें अधिकतर कृषि की जो भूमि थी वह जागीरदारी प्रथा के अन्तर्गत थी इसलिए राजस्थान का गठन होने के तुरन्त बाद में और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सबसे बडा सवाल यही था कि भूमि कृषक के पास जाये, भूमि का असली मालिक वही हो जो भूमि को जोतता है। जागीर जब्ती का काम भी पूर्ण कर दिया गया था, फिर भी बहुत से बड़े-बड़े लोगों के पास, बड़े-बड़े काश्तकारों और जागीरदारों के पास हजारों एकड़ भूमि थी। सीलिंग कानून को आज से 17–18 वर्ष पहले पास तो कर दिया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से वह क्रियान्वित नहीं हो सका था। मैं इस बात के लिए राज्य सरकार व राज्यपाल महोदय को बधाई देता हूँ कि आज से डेढ़–दो साल पहले इस कार्य को हाथ में लिया गया और रिकार्ड अवधि में, सबसे कम समय में, राजस्थान में जिस शान्तिपूर्ण तरीके से सीलिंग कानून को क्रियान्वित किया। इसके लिए राज्य सरकार व राज्यपाल महोदय वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इतना ही नहीं, कई रजवाड़ों के विलिनीकरण के पश्चात् राजस्थान बना था। लाखों एकड़ भूमि जो राजाओं की थी। एग्रीमेंट्स हुए थे, भारत सरकार और राज्य के बीच कोवनेन्ट्स हुए थे, उनके अन्तर्गत जो भूमि उनके पास थी उस पर साधारण जो टिनेन्सी कानून और भूमि सीलिंग कानून था, वह लागू नहीं होता था। इसलिए इसके लिए अलग से कानून पास करना पड़ा। कई तरह की अड़चनें आई, अदालतों में चले गये।

(12.32 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्टे आर्डर प्राप्त किये, उसके बाद में कानून संशोधन हुआ लेकिन आज प्रसन्नता की बात है कि उस कार्य को भी सरकार ने सफलता से सम्पूर्ण कर लिया है और अधिकतर भूमि भूमिहीन काश्तकारों और अनुसूचित जाति व जन-जातियों के लोगों में आवंटित कर दी गई है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह ऐतिहासिक कार्य है। दूसरे देशों में जहां भूमि सुधार हुए हैं वहां पर लोगों को बड़े-बड़े बलिदान देने पड़े हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जानें इसमें गई हैं लेकिन हमारा राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इस कार्य को सम्पन्न करने में कोई रक्तपात नहीं हुआ, जो सम्बन्धित पक्ष थे उन्होंने बुद्धिमानी का परिचय दिया और इस ऐतिहासिक कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से और बुद्धिमत्ता से किया। राजस्थान में यह समस्या और भी जटिल थी। यहां खून-खराबे की आशंका हो सकती थी लेकिन सबने बुद्धिमत्ता व देशभक्ति का परिचय दिया और उन्होंने समय की आवाज पहचानी। खुशी की बात है कि आज इस कार्य को सफलता से कर सके हैं, जो इतिहास में हमेशा एक महान कार्य समझा जायेगा क्योंकि दूसरे देशों में बहुत बड़ी कुर्बानी और रक्तपात की बात हुई फिर भी असली जोतने वाला जो था उसको आंशिक रूप से ही लाभ मिला है, असली मालिक वह नहीं बना। वह आज भी उसी तरह से पीड़ित है जैसे पहले पीड़ित था।

उसके बाद राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है भू-अभिलेखों के बारे में। मैं महसूस करता हूं कि इसमें कई कमियां हैं। राज्य सरकार को यदि आवश्यक हुआ तो कुछ कानून वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। पहले राजस्थान में भूमि के संबंध में, काश्तकारी के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं था। कानून और नियम भूमि के सम्बन्ध में पच्चीस-छब्बीस साल पहले तैयार हुए थे कि कृषकों को जिस भूमि को वह जोतते थे, उसका मालिक बनायेंगे, खातेदार बनायेंगे।

कृषि के अलावा भी कई कार्यों के लिए भूमि की जरूरत होती है, श्मशान के लिए भूमि की जरूरत होती है, स्कूलों के लिए, धर्मशालाओं के लिये, मंदिरों और मस्जिदों के लिये, क्रेडिट सोसायटीज के लिए और प्याऊ बनाने के लिये भी जमीन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह के कई काम हैं जिनके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। सरकार का ध्यान इस ओर, ऐसा लगता है, नहीं गया और इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। कानून नहीं बनाने के कारण इन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कार्यों के लिए जब कभी भी भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो लोगबाग बना देते हैं और जमीन पर अधिकार कर लेते हैं। फिर कई वर्षों तक मुकदमें चलते रहते हैं, उनको अतिक्रमणी घोषित किया जाता है। अब तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को गहराई से विचार करके इनको कानून के दायरे में ले लेना चाहिए ताकि खेती के अलावा जिन बातों के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, उन बातों के लिए भूमि कानून के अन्तर्गत दी जा सके।

लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 91 के अन्तर्गत जो केसेज चलाये जाते हैं, उनमें भी पिछले दो सालों में ज्यादा सख्ती हुई है और कड़ाई हुई है जिससे ग्राम जनता को दिक्कत हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दफा 91 में जो पिछले साल संशोधन हुआ है, और आज जो केन्द्र में परिस्थिति है, इन सब पर विचार करें और कानून में संशोधन करें। आप 1974 या 1975 की कोई तारीख निश्चित कर सकते हैं, उसके पहले जितने भी अतिक्रमण हुए हैं, उनको किसी सीमा तक रेगुलेराइज कर दिया जाये। आज जो हजारों लोगों पर जुर्माने और पेनल्टीज लगाई हुई हैं, उनकी भी वसूली नहीं की जाये, इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिये।

दूसरा जो सवाल है वह राजस्व सम्बन्धी जो बकाया रकमें हैं उनकी वसूली का है। दस-पन्द्रह साल से जो वसूलियां नहीं हुई हैं, चाहे अकाल के कारण या किसी और कारण से, चाहे वह किसी विभाग से लिया हुआ ऋण हो, वह राजस्व विभाग को वसूल करना था ऐसी रकमों की वसूली करने में भी बहुत कड़ाई बरती गई है जिससे जनता को काफी दिक्कत भी हुई है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राजस्व वसूली के बारे में सरकार को गहराई से विचार करके कोई ऐसा प्रावधान रखना चाहिये कि वसूली का भार एकाएक न पड़े। किश्तों में वसूली का प्रावधान किया जाये। यह भी निश्चित करना चाहिये कि एक साल में किसी व्यक्ति से इतने से अधिक एक साथ वसूली नहीं करनी चाहिये। ऐसी व्यवस्था न होने से कई केसेज में ऐसा हुआ है कि पांच-सात हजार की एक साथ वसूली हुई और आदमी के पास 500 या 700 रुपये नहीं थे तो उनके कपड़े, मकान और गहने बिक गये और जमीन बिक गयी। तो इसके बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। हमारी जनता गरीब है, अनपढ़ है, अकाल का उसे समय-समय पर सामना करना पड़ता है। उनको सरकार ने कोई कर्जा दे दिया, दस पन्द्रह साल तक पूछा नहीं, और फिर एकाएक कड़ाई के साथ वसूली कर ली, उस का परिणाम आज हमारे सामने आया है। उसको देख कर इन वसूलियों के लिये कोई निश्चित नीति अपनानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है आज चाहे शहरों में आप देख लो, चाहे आप गांवों में देख लो हर जगह पर आपको नाजायज कब्जे भारी संख्या में देखने को मिलेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि आज जमीन की बहुत कमी है। नाजायज कब्जे के जो कारण हैं वह मुख्य तौर से दो हो सकते हैं–एक तो सामाजिक आवश्यकताओं के

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लिये दूसरा रिहायशी आवश्यकताओं के लिए इसके लिए होना तो ऐसा प्रावधान चाहिये कि जब किसी को जमीन की आवश्यकता हो तो वह उस जमीन की कीमत देकर उसको प्राप्त कर ले। वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि जमीन लोगों को प्राप्त आसानी से नहीं होती है। आज न तो कोई इसके लिए पंचायतों के पास कानून है न ही गांवों में और कोई व्यवस्था है। आज जमीन की अवाप्ति के लिए काफी लम्बा राज्य सरकार का प्रोसीजर है। उसमें बहुत लम्बा समय लग जाता है। पहले कोई व्यक्ति पंचायत में अपनी रिपोर्ट पेश करता है उसके बाद काफी फोर्मलिटीज पूरी होने के बाद ही उसे जमीन प्राप्त हो सकती है। जहां तक सवाल जमीन का है, उपाध्यक्ष महोदय, किसी स्कूल के वास्ते कोई कोआप-रेटिव के लिये, या पशुओं के ठहरने के लिए कई बातों के लिए जमीन की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि जो सरकारी अधिकारी हैं वह वहां की इन कठिनाइयों के बारे में अच्छी तरह से परिचित होते हैं। उनको इसके लिए पहले ही ध्यान रखने की जरूरत है। आप की स्वायत्त शासन संस्थायें गांवों की हैं या शहरों की हैं, नगरपालिकायें हैं, उनको आप अगर पावर्स दे देते हैं तो इससे दो फायदे होंगे एक तो आपकी स्वायत्त शासन संस्थाओं की आमदनी बढ़ेगी, दूसरे जो नाजायज कब्जे होते हैं वह नहीं होंगे, और इसके अलावा जो जुल्म होते हैं लोगों पर वह भी बन्द हो जायगे। आज आप चाहें तो गांवों में देख लो चाहे तो आप शहरों में देख लो, लोग सरकारी जमीन पर नाजा-यज कब्जा कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिये। इसके लिये राज्य सरकार को देखना चाहिये कि गांवों के आसपास जो पड़त भूमि है वह कितनी है, किस किस्म की है और आगे वह किस काम में आ सकती है। उसके लिए राज्य सरकार को चाहिये कि नये सिरे से सर्वेक्षण कराये। उसके बाद में उस जमीन के ऊपर नोटिस बोर्ड लगा देना चाहिये ताकि लोग उस जमीन को सरकारी जमीन समझ उस पर कब्जा नही कर सकें। वरना होता क्या है कि लोग जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर राज्य सरकार के ध्यान नहीं धरने से एक दो चार साल तक उस पर कब्जा किये रहते हैं। ज्यादा समय बीत जाने पर उन लोगों को वहां हटाने में बहुत दिक्कत आती है उस वक्त उनका हटना भी बड़ा दुःखदायी हो जाता है। अगर किसी आदमी को कब्जा करते ही हटा देते हैं तो उसे उतना दुःख नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नाजायज कब्जा करने वाले थोड़ा समय निकाल देते हैं और जब कभी पंचायतों के, या नगर-पालिकाओं, या विधान सभा या लोक-सभा के चुनाव होते हैं तो राज्य सरकार उन नाजायज कब्जों को रेगुलेराइज कर देती है। इससे होता क्या है कि नाजा-यज कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यह नहीं होना चाहिये। होना तो यह चाहिये कि जहां भी नाजायज कब्जा हो वहां की जो स्थानीय इकाई के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन्हें तो पता रहता ही है, उन्हें चाहिये कि नाजायज कब्जा करने वाले लोगों ने जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है उससे उन्हें तुरन्त बेदखल कर दिया जाय। अगर दस

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
पन्द्रह दिन में ही कोई एक्शन हो जाता है तो उन लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होती है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सिंचाई के बारे में भी जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से तो कोई भी मनुष्य इन्कार नहीं कर सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे यहां पर सिंचाई पर बहुत अधिक जोर दिया गया है और सिंचाई के साधनों में भी वृद्धि की गयी है। हमारी सरकार ने जहां कहीं भी कोई नदी हो, नाला हो या या कहीं पर भी पानी का कोई स्रोत हो, उसको काम में लिया और उस पानी को जिस जमीन तक पहुंचा सकते थे उसे पहुंचाया और उससे सिंचाई करायी। फिर भी मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारे जो सिंचाई के साधन हैं वह बहुत पुराने हैं। आज जो सिंचाई साधन हमारे यहां हैं वह अंग्रेजी राज्य के जमाने के हैं, करीब एक शताब्दी से ज्यादा पुराने जमाने के हैं। सिंचाई की प्रणाली की जो नींव है वह बहुत ही पुराने तौर-तरीके की है। उस वक्त हमारे देश की जो आबादी थी वह करीब 20-22 करोड़ की ही थी। आज हमारी जो आबादी है वह सन् 1977 में करीब 62 करोड़ की है। हालांकि एक शताब्दी पहले हमारा भारत पूरा था, बंगला देश और पाकिस्तान अलग होने के बाद भी हमारी जनसंख्या 62 करोड़ है। हमारे यहां पानी की बड़ी-बड़ी नदियां जितनी भी थीं, जो भी पानी के स्रोत थे हमने उन्हें काम में ले लिया। उससे हमारा उत्पादन भी बढ़ा लेकिन आबादी अधिक होने की वजह से वह कम रह जाता है। इसमें मुख्य कारण है कि सिंचाई के साधन पुराने तरीकों के हैं। उन्हें हमें बदलना होगा नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जायेगी। आज हमारे यहां पर काफी बड़ा मरुस्थल का भाग है वहां पर पानी की बहुत कमी है। वहां कुछ ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे कि वहां पर खेती हो सके। राज्य सरकार ने काफी काम किया है, इसके लिये तो मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं। उसने नहरों के लिये काफी काम किया, कुओं से सिंचाई के लिये काफी काम किये, बहुत से कुए खुदाये, ट्यूब वैल्स बनाये, पक्की नालियां बनाईं और जितना भी राज्य सरकार कर सकती थी, किया लेकिन आज हमारे देश की समस्या को देखते यह जो कार्य किये गये हैं वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जब तक आप सिंचाई साधनों में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इसके लिये आप चाहे अपनी सिंचाई विभाग से चाहे कृषि विभाग से कुछ ऐसे उपाय निकलवायें कि पड़त भूमि जो पड़ी है उसमें हम कम से कम पानी से अधिक से अधिक फसल का उत्पादन किस प्रकार कर सकते हैं। यह बात सही है कि हमारी राज्य सरकार ने चाहे वो राजस्थान नहर एरिया की जमीन हो, चाहे वह भाखरा एरिया की जमीन हो, चाहे चम्बल एरिया की भूमि हो, काफी एरिया में सिंचाई करने के लिये नहरें बनाई हैं। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में एक विचारधारा और बनी है, लिफ्ट से सिंचाई करने की योजना बनाने की। राज्य सरकार

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

ने एक योजना तो लिफ्ट इर्रीगेशन की पूरी करली है लेकिन अभी भी राज्य सरकार की पांच-छः जगहों में लिफ्ट इर्रीगेशन की और स्कीम है जिससे करीब 60 मीटर ऊपर पानी को लिफ्ट करके सिचाई की जा सकेगी। इसके लिये भारत सरकार को लिखा गया है। उसके हो जाने से काफी सिंचाई मरुस्थल एरिया में हो सकेगी। हमारी यहां डेयरी का भी विकास करने हम जा रहे हैं। उसमें पशुधन को चूंकि पानी की ज्यादा आवश्यकता रहती है इसलिये हमें लिफ्ट योजना को प्राथमिकता देनी चाहिये जिससे हमारे डेयरी का विकास होगा और हमारी अर्थ व्यवस्था में भी सुधार होगा। हमारे राजस्थान के अन्दर वैसे राजस्थान नहर और दूसरी नहरों से सिंचाई हो रही है लेकिन हमारे यहां जो कृषि की पद्धति है उसमें हमें आधुनिक तौर-तरीके अपनाने चाहिये। इसमें आधुनिक रसायनिक खाद काम में लेने चाहिये, ट्रेक्टर्स को काम में अधिक से अधिक लेना चाहिये, अच्छे किस्म के बीजों को काम में लिया जाना चाहिये। यह बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने उत्पादन में वृद्धि नहीं की है। आज दूसरे विकासशील देशों से हमारे यहां खेती का प्रोडक्शन अधिक होता है। हम किसी के मुकाबले में पीछे नहीं। इतना ही नहीं हम चीन से भी खेती की उपज के मामले में काफी अच्छे हैं। हमारे यहां की प्रगति चीन से अच्छी है यह बात केवल हम ही नहीं मानते लेकिन आज जो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें हैं वह भी मानती हैं कि हमारे यहां काफी अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन हमारे प्रान्त में चूंकि मरुस्थल का भाग अधिक है वहां पर खेती किस प्रकार से हो जिससे कि हमारे यहां पर उत्पादन अधिक बढ़े यह देखने की बात है। इसके लिये हमें साइन्टिफिक तरीके से खेती करनी चाहिये। आज खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो मोडर्न साइन्टिफिक बेस टैक्नॉलॉजी है उसको काम में लेना चाहिये। सस्ते यन्त्रों को काम में लेने की जरूरत है जिससे कि हमारे यहां उत्पादन बढ़े और काश्तकारों को लाभ हो। जहां पानी पहुंचाया जा सकता है वहां और पानी पहुंचाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर लोग वर्षा के ऊपर ही खेती करने के लिये निर्भर करते हैं। आज हमारा जो किसान है वह वैज्ञानिक तौर-तरीकों से अनभिज्ञ है। अगर हम खेती में वैज्ञानिक तरीके अपनायें और फसल के क्रम में नियन्त्रित वैज्ञानिक नीति अपनायें तो हम हमारे यहां पर सूखी खेती को लाभप्रद कर सकते हैं। इस बात को अभी हमारे कृषक नहीं समझ पाये हैं और वैज्ञानिकों ने ही अभी चार-पांच वर्ष पूर्व ही काम करना शुरू किया है। दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है लेकिन हमारे प्रदेश की सूखी खेती के बारे में एक प्रमुख समस्या है। उसमें भी सेवज की जो भूमि है, उस विशेष प्रकार की भूमि को भी खेती योग्य बनाया जाना चाहिए। वहां पर वर्षा की नमी को बनाये रख कर रबी की फसल पैदा की जा सकती है। लाखों हेक्टेयर जमीन ऐसी पड़ी है जहां पर गेहूं, चना और तारामीरा वगैरह की फसलें ली जा सकती हैं। इसमें और अनुसन्धान किया जाकर ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसकी जो भी विधियां हैं वह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

काश्तकारों तक नहीं पहुंच पायी हैं। जितना भी सिंचाई के अन्दर निर्माण कार्य हुआ है, उसके द्वारा पानी तो उपलब्ध होता है लेकिन इस प्रकार की जमीन के लिए नहीं होता जिससे सेवज की खेती को बढ़ाया जा सके। आसपास के क्षेत्रों में जहां पर पानी है, वह सेवज के लिए उपयोग में आ सकता है लेकिन वह नहीं आ रहा है। बांधों के लिए जितने चैनल्स चाहिए उस तरह का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे विशेषज्ञ भी अभी इस दिशा में अनभिज्ञ हैं। उन्होंने सूखी खेती की ओर तो ध्यान दिया है लेकिन सेवज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं खास तौर से कृषि विभाग और कृषि मन्त्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सेवज की खेती को एक समयावधि के अन्दर, एक कालावधि के अन्दर दुगुना किया जा सकता है और इसको दुगना किया जाना चाहिए।

इसी तरह से वर्षा पर निर्भर रहने वाली खेती में रसायनिक खाद का उपयोग कितना किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है और उसके उपयोग से फसल को कितना बढ़ाया जा सकता है इस बात की ओर आज भी कृषि विभाग ने ध्यान बहुत कम दिया है। इस बात की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में विशेष प्रकार की फसलें होती हैं। उन फसलों को बढ़ावा देने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इस ओर भी कृषि विभाग को ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि ग्वार एक ऐसी फसल है जिस पर कई इण्डस्ट्रीज आधारित हैं और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्वार की खेती के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अनुसन्धान किए जा सकते हैं जिनसे इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। ग्वार उद्योगों में कच्चे माल की तरह से काम आता है। विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अनुसन्धान नहीं किया जाना एक दुर्भाग्य की बात है। कृषि विभाग को चाहिए कि ग्वार और दूसरी जो फसलें हैं, जो उद्योगों में काम आती हैं, उद्योगों में जिनका कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है उनकी ओर विशेष ध्यान दें। खास तौर से तुंवा जो 80–100 के भाव से बिकता है बहुत अच्छी मात्रा में निकलता है साबुन बनाने के काम में और कई उद्योगों में वह काम में आता है और भी इस प्रकार की बहुत-सी फसलें हैं जो वर्तमान में कोई लाभ नहीं दे रही हैं लेकिन बहुत आसानी से उनका उत्पादन बढ़ा कर उपयोग किया जा सकता है। इससे भूमि के क्षरण को भी रोका जा सकता है। इसलिए इस प्रकार की फसलों के लिए मैं राज्य सरकार का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहूंगा।

राज्यपाल महोदय ने, कितना बीज दिया गया, कितनी खाद दी गई, इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं। नये बीज और खाद का प्रचलन पिछले 15 सालों में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

काफी बढ़ाया गया है लेकिन हमारे यहां जो बहुत अधिक मात्रा में पशु धन है, उसका जो जैविक खाद है, जो हमारे यहां पर अनाप-शनाप पैदा होता है, वर्तमान में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक ओर तो अनाज की कमी है, उस कमी को आप खाद के द्वारा पूरा करना चाहते हैं और दूसरी ओर जैविक खाद बेकार जा रही है। अरबों रुपये लगाकर आप रसायनिक खाद के कारखाने स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे शहरों का मलमूत्र और कूड़ा-करकट हो, चाहे पशुओं की मेंगनी या गोबर हो इस सबको आज भी एक बहुत बड़े भू-भाग में बलीते के तौर पर जलाया जाता है। राज्य सरकार को एक निश्चित नीति इस विषय में बनानी पड़ेगी जिससे ईंधन के मामले में जहां कोयला पहुंच सके, जहां तेल पहुंच सके या जहां पर गैस पहुंच सके वह पहुंच जाय। इस तरह के बहुत से वृक्ष किसान लोग अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसलिए इस तरह की योजना बनायी जानी चाहिए जिससे वे वृक्षों से जितनी लकड़ी लेते हैं उतनी ही वह वृक्ष लगाकर पैदा भी करें और गोबर भी बचावें। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कृषि विभाग ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

इसके बाद में राज्यपाल महोदय ने पशु धन और पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उससे इस सदन को अवगत कराया है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पशु धन के सम्बन्ध में हमने पिछले बीस वर्षों में उनके वैज्ञानिक तरीके अपनाये हैं और पशुओं की नस्ल सुधारने के बारे में भी काफी बड़े कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। हमारे यहां पर पशुओं की चिकित्सा के लिए वेटेरीनरी कालेज भी स्थापित किया गया है। पशु प्रजनन और उनकी नस्ल सुधार तथा रोगों की रोकथाम आदि के लिए काफी बड़े कार्यक्रम हाथ में लिए गये हैं। कुछ मायनों में हमको सफलता भी मिली है लेकिन इसमें भी कुछ इस प्रकार की नीतियां हैं जो बिल्कुल दोषपूर्ण हैं। जिस नीति के, जिस विचारधारा के और जिस सिद्धांत के आधार पर हम इन विभागों को चला रहे हैं वह बिल्कुल एक आयातित विचारधारा है और एक आयातित टैक्नॉलॉजी है, उसके आधार पर हम इनको चला रहे हैं। एक ओर तो हमने डेयरी उद्योग स्थापित किया है और गाय और भैंस जो दुधारू पशु है, उनकी रक्षा के लिए और उनकी नस्ल सुधार के लिए हम प्रयत्न करना चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ बुनियादी सवाल भी हैं। भैंस की उन्नति के लिए, उनकी नस्ल सुधार के लिए उसके प्रजनन के आधुनिक तरीकों के बारे में, बहुत कम अनुसंधान हुआ है। क्योंकि भैंस केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही दूध देती है इसलिए संसार के दूसरे देशों में भी इस बारे में बहुत कम अनुसंधान हुआ है। संसार के दूसरे देशों में कहीं भी भैंस दूध नहीं देती है लेकिन हमारे देश में दोनों तरह के पशुओं से दूध प्राप्त होता है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पशु धन की दशा बहुत ही शोचनीय है। वैसे यह दोनों ही लाभकारी हैं और दोनों का ही दूध लिया जाता है। गाय का दूध जहां सवा रुपया किलो मिल जाता है वहां भैंस का दूध दो-ढाई रुपये किलो बिकता है। भैंस की दूध देने की क्षमता भी अधिक है। लेकिन क्योंकि यह देशी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

जानवर है, इसलिए विदेशी विचारधारा और अनुसंधान में भैंस का नाम नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस ओर से ध्यान छोड़ दिया। स्वाभाविक है कि राजस्थान भी उनमें से एक प्रदेश है जहां इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हमारे प्रदेश में डेयरी उद्योग को पनपाने के लिए पशु धन जो है वह बहुत बड़ी संख्या में है, भैंस भी बहुत बड़ी संख्या में हैं तो इसकी नस्ल सुधार और प्रजनन के लिये भी हमको प्रयत्न करने होंगे।

दूसरी बात चरागाहों के सम्बन्ध में है। विदेशों में तो वैज्ञानिक तरीके से जिस भूमि में खेती की जाती है आम तौर से वह भूमि चरागाह के लिए नहीं होती, भले ही फसल लेने के बाद वे उसमें पशु छोड़ देते हों लेकिन चरागाहों के लिए अलग भूमि होती है। पशुओं की गिनती के आधार पर चरागाह छोड़े हुए हैं वे बहुत ही व्यवस्थित और विकसित हैं। लेकिन हमारे देश में जो पशु-धन है, पशुओं की जो संख्या है उसको देखते हुए पशुओं के लिए अलग-अलग बड़े चरागाह उपलब्ध करा सकें, इस स्थिति में हम नहीं हैं। खेती-बाड़ी और पशु धन दोनों साथ-साथ चलेंगे। जहां तक चरागाह का सवाल है एकाध व्यक्ति तो रख सकता है लेकिन आमतौर से जरूरी है कि कोई सार्वजनिक चरागाह हो आज जो स्थिति है उससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। जो चरागाह विकास की विधियां अपनायी हैं वे भी एक विदेशी विचारधारा के ऊपर आधारित हैं। चरागाह विकास का यदि सबसे बड़ा विरोध कोई करते हैं तो हमारे पशुपालक स्वयं करते हैं। चरागाह विकास की जो विधि है वह दोषपूर्ण विधि है। पंद्रह वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है लेकिन एक भी पशुपालक इसका समर्थक नहीं है क्योंकि प्रणाली में दोष है। राज्य सरकार और पशुपालन विभाग को चरागाह के प्रश्न का गहराई से अध्ययन कर ऐसी नीति बनानी चाहिये जिससे पशुपालकों का सहयोग चरागाह के विकास में मिल सके।

आज हम देखते हैं कि राजस्थान के बहुत से मवेशी इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं एक जिले के मवेशी दूसरे जिले में जाते हैं तो बहुत झगड़े होते हैं। स्थानीय लोग उन घुमक्कड़ पशुपालकों का विरोध करते हैं, अड़ोस-पड़ोस के प्रदेश : हरियाणा, यू. पी., मध्यप्रदेश, वे वर्षों तक हमारे पशुओं का स्वागत करते थे। जब कभी अकाल पड़ता तो वहां पर हमारा पशु धन जाया करता था और उनका स्वागत हुआ करता था। लेकिन वहां पर भी आबादी इतनी बढ़ गयी है और वहां भी इतनी समस्यायें उत्पन्न हो गयी हैं और ऐसी स्थिति नहीं है कि वे बाहर के पशुओं को रख सकें। इस कारण से वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है और बाज वक्त तो कत्ल भी हो जाते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मरुस्थल के घुमक्कड़ पशुपालकों का पशु धन चार महीने तक टिक सके ऐसा एरिया अभी से निश्चित कर देना चाहिये। वहां पर उनको पानी पीने के लिये मिले और वहां पर उनको अच्छा घास उपलब्ध हो, इसकी आपको अभी से ही व्यवस्था करनी चाहिए। जोधपुर जैसलमेर का विशाल क्षेत्र है, वहां पेय जल न होने से पशुधन नहीं पहुंच पाता है और वहां पर चारागाह का फायदा नहीं उठा सकता है। राज्य

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

सरकार इस क्षेत्र को विकसित करे ताकि घुमक्कड़ पशुपालकों के पशु धन को लाभ दे सके। कभी कभार जब हम विभाग के लोगों से चर्चा करते हैं तो वे कहते हैं घुमक्कड़ पशु धन का जो तरीका है वह अवैज्ञानिक है और चलने लायक नहीं है। विदेशी पुस्तकों को पढ़ने के कारण उनका यह विचार है। लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है। यदि देश में इतना पशु-धन रखना चाहते हैं तो घुमक्कड़ पशु-धन को अनिवार्य रूप में अपनाना पड़ेगा और उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। यदि आप चाहें कि पशुधन बंधा रहे, उसकी नस्ल का सुधार हो जाय और उसका विकास हो जाय, तो यह स्वप्न भी साकार नहीं हो सकता है। पशुपालन विभाग ने जो तरीका अपनाया है कि तारबन्दी कर दी जाय इससे लाखों करोड़ों रुपया आपका बेकार जाता है और उसका कोई उपयोग चरागाह के विकास में नहीं हो रहा है। चरागाह का भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। कभी वह किसी विभाग के अन्तर्गत आता है और कभी वह डी. पी. ए. पी. वाले उसको देखते हैं। चरागाह का आपको एक अलग से विभाग स्थापित करना चाहिये। हर तहसील में ऊबड़-खाबड़ भूमि है, पहाड़ों के ढाल हैं, उनको चरागाहों के रूप में विकसित करना चाहिये। इस देश में इतनी जनसंख्या होते हुए भी इतना पशु धन इसलिये है कि हमारा पशु धन खेतों में और ऐसी जगहों में जो कुछ भी घास पत्ती है उस पर निर्भर करता है। यदि आज यह व्यवस्था बन्द कर दी जाय और एक-एक एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी जाय तो आज जो पशु धन है उसका सोलहवां हिस्सा भी नहीं रहेगा। बची खुची फालतू चीजें हैं, जो काम में आने वाली नहीं हैं, उसको पशु धन काम में लेकर करोड़ों रुपयों का धन पैदा करके देश को देता है। इसके विकास के लिये सोच कर हमको एक नीति बनानी पड़ेगी।

एक बात यह भी है कि पिछले दो वर्षों में मरुस्थलीय क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हुई है। उसके कारण ऊंटों में पीपल का रोग हो गया है। इसके कारण 40-50 प्रतिशत ऊंटों की क्षति हुई है। एन्ट्रीपोल और एन्ट्रीसाइट दो इन्जेक्शन इसके लिए काम आते हैं वे भारत सरकार ने मंगवाने बन्द कर दिये हैं। भारत सरकार श्रृंगार का सामान आयात कर सकती है सेन्ट आदि बाहर से मंगवा कर उपलब्ध करवा सकती है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि एन्ट्रीपोल और एन्ट्रीसाइट दो इन्जेक्शन बाहर से आयात नहीं कर सकती, ये दो इंजेक्शन नहीं मंगा सकती है और इसके कारण अरबों रुपयों का यह पशु धन बरबाद हो रहा है। इसलिये मैं राज्य सरकार का खास तौर से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन मामूली इन्जेक्शनों का आयात करके लाखों रुपयों के इस पशु धन की बरबादी को रोके।

भेड़ ऊन की बात करते हैं तो 40 प्रतिशत हम ऊन पैदा करते हैं और हमारी ऊन एक विशेष प्रकार की ऊन है जो गलीचा बनाने के काम में आती है। लेकिन भेड़ से भी ज्यादा संख्या में बकरी पायी जाती है। इस जानवर का भी बड़ा ही दुर्भाग्य है। वर्षों पहले इसके विषय में यह कहा गया कि यह बकरी ऐसा जानवर है कि जिससे मरुस्थल पैदा होता है क्योंकि यह नये-नये पेड़ होते हैं उनको खा जाती है इसलिये इसको

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
पनपने नहीं देना चाहिये और इसको समाप्त कर देना चाहिये। पाकिस्तान में भी सिन्ध का मरुस्थल है। वहां पर भी इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन बकरी बहुत उपयोगी जानवर है, इसका बहुत उपयोग है। बकरी मांस आदि के काम में आती है। बकरे होते हैं, आस-पास के प्रदेश राजस्थान के बकरों पर निर्भर करते हैं। बकरी से गरीब आदमी का काम चलता है। बकरी ऐसा पशु धन है कि संवत् 1925 में 69-70, में अकाल पड़ा तो भेड़ें क्षतिग्रस्त हो गयीं, 40 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो गयीं लेकिन बकरी उस अकाल में भी जिन्दा रही और लोगों को काफी बचाया। बकरी जैसा श्रेष्ठ जानवर और कोई नहीं। उसका मूल्यांकन विदेशी विशेषज्ञों ने यह कर दिया कि वह वनस्पति और पेड़-पौधों को खा जाती है इसलिए उसको खत्म कर दिया जाय। बकरी बड़ी उपयोगी है और उसको हमारी अर्थ व्यवस्था में स्थान दिया जाना चाहिए। यही नहीं, बकरी रखने वालों को, भेड़ रखने वालों को आर्थिक लाभ भी होता है। पहले यह कहा करते थे कि ऊन तो काम में आती है लेकिन जूट काम में नहीं आती है। आज जूट विदेशों में भेजी जाती है और उससे करोड़ों रुपया हमारे देश को उपलब्ध होता है। जूट का बहुत मूल्य है। इसलिए हमको बकरी का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। किसी भी समय यह दूध देती है, मांस की पूर्ति भी यह करती है इसलिए इसके प्रति जो दुर्भावना है उसको ठीक किया जाना चाहिए। इनमें बीमारियों की रोकथाम की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

एक बात और है, भेड़-बकरी के अन्दर एक रोग होता है, जिसके लिए वैक्सीन की जरूरत पड़ती है लेकिन कई दफा हजारों पशु इस वेक्सीन के अभाव में मर जाते हैं। यह वेक्सीन कोई विदेशी नहीं है, यहां बनता है। घुमक्कड़ पशुपालकों के साथ चिकित्सा की भ्रमणशील इकाई अटैच रहनी चाहिये और जहां कहीं भी रोग महामारी के रूप में आता है तो इस वेक्सीन के टीके लगाकर महामारी की रोक-थाम की व्यवस्था होनी चाहिये—यह मेरा सुझाव है।

डेयरी उद्योग के बारे में राज्य सरकार ने जो कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय है। पिछले 4–5 सालों में करीब-करीब हर बड़े शहर में डेयरी संयंत्रों का निर्माण हुआ है। लेकिन इसमें भी मेरी शिकायत, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि यह भी बिल्कुल फारेन इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी, इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करती है। आज डेयरी में क्या चीजें बनती हैं। मक्खन बनता है, घी बनता है, चीज बनता है और पाउडर बनता है। आज समस्या जोधपुर और बीकानेर के सामने सबसे बड़ी यह हो गई है कि एक लाख लीटर दूध को इकट्ठा करते हैं लेकिन कच्चे दूध को बेचने का स्थान केवल दिल्ली है। दिल्ली के आस पास के जितने भी दूसरे प्रदेश आये हुए हैं जहां डेयरी संयत्र और डेयरी उद्योग हैं वे भी इन्हें दूध सप्लाई करते हैं। इसलिए वे उस दूध को लेने की स्थिति में नहीं हैं। दूध कच्चा नहीं बिकता है तो उसका आल्टरनेटिव इंतजाम यह है कि पाउडर बनायें लेकिन पाउडर का हमारे इस प्रदेश में और भारत के गामों के अन्दर कोई उपयोग नहीं है। पाउडर के संयंत्र में

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

करोड़ों रुपये लगा दिये, चीज के संयंत्र में करोड़ों रुपये लगा दिये लेकिन उसका उपयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं। पाउडर बनाते हैं तो वह केवल फौज के काम में ला सकते हैं। पाउडर गांवों में घरों के अन्दर काम में नहीं लाते हैं। आज गांवों में दूध कहां। वहां पर गरीब वर्ग को छाछ मिलती थी वह भी खत्म हो गई। खास तौर से छाछ पीते हैं वहां तो हमारे यंत्र भी ऐसे होने चाहिये। इसके बारे में वैज्ञानिकों से विचार करके इस तरह के यंत्र डेयरी में लगायें जिससे आज गरीब जनता जिस चीज का इस्तेमाल करती है वही चीज पैदा क्यों न करें? दूध से छाछ बनाकर हम गरीब बस्तियों में 10 पैसे बोतल या 10 पैसे पाव में बेचने की व्यवस्था करें। उससे गरीब लोगों को प्रोटीन मिलेगा। गांव में छाछ नहीं बेची जाती थी तो गरीब वर्ग के लोग सम्पन्न वर्ग के यहां से छाछ मुफ्त में ले आते थे। दूध बिकने लगा तो प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता है। छाछ के लिए आज हमारे यहां यंत्र नहीं है। इसके बारे में वैज्ञानिकों को सोचना है कि क्या यंत्र बनाये जायें? इसके अलावा पाउडर बनता है तो पाउडर खरीदने की स्थिति में गांवों के लोग नहीं हैं इसलिए जो यंत्र लगाये जायें वे हमारी फुड हैबिट से मेल खाते हुए होने चाहियें। हमारे देश की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए यन्त्र लगाये जाने चाहियें। हमारा देश जो है इसमें संसार की आबादी का छठा हिस्सा है। हमारी ये समस्या है कि डेयरी के जो संयंत्र हों वह आम लोगों के खाने के लिये दूध की सस्ती चीजें बना सकें, तो यह डेयरी विभाग के लिये, राज्य सरकार के लिये बहुत गहराई से सोचने का प्रश्न है। नहीं तो मैं कहता हूं कि डेयरी उद्योग को भारी धक्का लग रहा है। एक-एक लाख लीटर दूध का अम्बार लग रहा है और वह बिक नहीं रहा है स्थानीय मार्केट में इन चीजों का कोई मार्केट नहीं है। चीज बनायेंगे तो उसके खाने वाले लोग नहीं हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अपने को छाछ चाहिये। छाछ बने।

श्री पूनम चन्द बिश्नोई : छाछ गांवों के अन्दर मिल सके यह क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि विदेशों ने लिख दिया कि इसकी चीज बने और ये बने तो वही बना रहे हैं। हमारे देश की परिस्थिति दूसरी है। संसार की आबादी का छठा हिस्सा जहां रहता है। वहां कोई भी टेक्नॉलॉजी खुद निभाई जा सकती है।

अब औद्योगिकरण का सवाल है तो औद्योगिकरण के मामले में पिछले वर्षों में हमने बहुत तरक्की की है लेकिन फिर भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले 30 साल पीछे हैं आज भी हम कच्चा माल भेजते हैं। कच्चा माल सस्ता है जो फिनिस्ड प्रोडक्ट आता है वह बहुत मंहगा होता है। इसमें हमारी आर्थिक व्यवस्था और धन्धे क्षीण होते जा रहे हैं और हमारी आमदनी कम हो रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगायें और खास तौर से वह धन्धे लगायें जिनके द्वारा ज्यादा लोगों को हम रोटी दिला सकें। उनमें अधिक लोगों

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

को लगा सकें। केपिटल इन्सेन्टिव न होकर लेबर इन्सेंटिव होना चाहिए जिसके अन्दर बहुत हाई टेक्निक इन्वाल्व न हो, उसके अन्दर मामूली टेक्निक हो ताकि इनको लोग लगा सकें। हाई टेक्निक वाले कारखाने लगायेंगे जैसे कोटा वगैरह में लगाये हैं तो अपने आदमी वहां पर चौकीदारी करने वाले ही होंगे। हाई टेक्निक वाले कारखानों में अपने आदमियों को नहीं खपाया जा सकेगा। लेबर इन्सेन्टिव की शुरूआत हो जिसमें ज्यादा लोगों को खपा सकें, इस तरह की हमारी नीति होनी चाहिए। औद्योगिकरण में हमने काफी प्रगति की है इस बात से मैं खुद सहमत हूं।

दूसरी बात यह है, राज्यपाल महोदय ने इस बात का जिक्र किया है कि पिछले वर्षों में लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायसी प्लाट्स काफी संख्या में दिये गये हैं। यह बिलकुल सही बात है और इसके लिए बधाई देता हूं राज्य सरकार को। साथ ही साथ यह भी बात इसमें कही गई है कि इनके लिए गृह निर्माण समितियां बनाई जायं। उनको पक्के मकानों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाये बिना ब्याज के। इसमें मेरी अर्ज यह है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में मकान का सवाल है लेकिन हर व्यक्ति के लिए पक्का मकान हो यह मैं आवश्यक नहीं समझता। यह हमारी हाई प्रायोरिटी का सवाल नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि साधारण गांव का मजदूर 4 हजार रुपये अपने गृह निर्माण के लिए खर्च करें। वहां उपलब्ध जो गृह निर्माण की सामग्री है स्थानीय सामग्री है उससे मैं समझता हूं साफ, स्वच्छ और हवादार मकान बनाया जा सकता है। उसके लिए हमारा केपिटल इन्वेस्ट करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। यह भारत की जलवायु के लिए अनिवार्य नहीं है। मैं समझता हूं कि ठण्डे देश हैं यूरोप जैसे जहां पक्के मकानों को बिना गर्म रखे कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता वहां हाउसिंग हाई प्रायोरिटी पर है लेकिन हमारे यहां रोटी का सवाल है। एक मकान 4 हजार रुपये में अच्छा नहीं बन सकता। उसके अन्दर रसोई भी बनती है। उसके अन्दर पुत्र-वधू और दूसरे सब सोवें यह सम्भव नहीं है। चार हजार रुपये में बड़ा मकान नहीं बन सकता इसलिए जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी प्लाट अवश्य मिल जायं। शहरों में विकट समस्या है। वहां पर पक्का मकान बनाने के लिए जरूर लोन दिया जाना चाहिये लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान बनाने के लिए बिना ब्याज के ऋण देना केपिटल को यों ही डालना है।

श्री लक्ष्मीनारायण : अजी, अभी दे कहां रहे हैं ?

श्री विट्ठल भाई : अभी दे कहां रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रदेश में ट्यूबवैल क्लस्टर योजना के अन्दर या निजी साधनों से जिन व्यक्तियों ने ट्यूबवैल खुदवाये हैं और खेती की है वे आगे चलकर खेती-बाड़ी और पशुपालन का आधार बनेंगे– इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक पानी गहरा है वहां पर अकेला कोई भी लघु काश्तकार अपना ट्यूबवैल नहीं लगा सकता और यदि लगा भी लेता है तो यह सम्भव नहीं होगा कि ट्यूबवैल से खेती कर सके, उसका पूरा खर्चा वहन कर सके, उससे

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

उत्पादन कर सके और उससे रोटी निकाल ले यह संभव नहीं है इसलिए जहां कहीं भी ट्यूबवैल की आवश्यकता हो वहां सरकार को लगाने चाहिए और प्रति एकड़ कुछ रेट निश्चित कर देनी चाहिए कि सिंचाई की यह रेट होगी। छोटा काश्तकार, जो 10–5 बीघा धरती वाला हैं, इस कार्य को नहीं कर सकता हैं। जहां कहीं भी सिंचाई की सुविधाओं, बन्धों अथवा नदी-नालों से सिंचाई नहीं होती है वहां पर छोटे आदमियों और छोटे काश्तकारों के लिए ट्यूबवैल से सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

इसके बाद में विद्युतिकरण का प्रश्न है। इस बात के लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि पिछले 15 सालों में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतिकरण बहुत गति से हुआ है लेकिन भारत सरकार की इस बारे में जो नीति है वह दोषपूर्ण है और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। हमारे यहां विद्युत् के दो ठिकाने हैं–एक कोटा और दूसरा भाखरा। राजस्थान के जो अधिकतर प्रदेश हैं वह बहुत दूर स्थित हैं इन विद्युत् के केन्द्रों से। नतीजा यह होता है कि ट्रान्समिशन हमारे लिए बड़ा खर्चीला हो जाता है। यदि जोधपुर और बीकानेर के इलाकों में या उससे भी दूर जालोर में ट्यूब वेल का विद्युतिकरण करना चाहते हैं तो पांच सौ, छः सौ मील लम्बी ट्रान्समिशन लाइन का हमको निर्माण करना पड़ता है। उसका परिणाम यह होता है कि इतने उपभोक्ता भी नहीं मिलते और लाइन के ऊपर भी बहुत खर्चा आ जाता है। दूसरे प्रदेशों में दूरियां कम हैं, उनका क्षेत्रफल कम है और उपभोक्ताओं की संख्या भी बहुत अधिक है। केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो निगम है वह एक ही शर्त पर ऋण देता है राजस्थान के विद्युत् बोर्ड को और बंगाल के विद्युत् बोर्ड को। नतीजा यह होता है कि राजस्थान में अरबों की लागत से निर्मित लाइन से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करना बोर्ड के लिए बहुत हानि का सवाल हो गया है। नतीजा यह होता है कि हमारी बिजली की दरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ी हुई बिजली की दरों से भी बिजली बोर्ड घाटे में रहेगा। इसलिए राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार को चाहिए कि वह केन्द्रीय सरकार के पास जावे और कहे कि हमारे यहां दूरियां बहुत अधिक हैं और हमारे उपभोक्ता बहुत ही सीमित संख्या में हैं। इसके अलावा राजस्थान का मरुस्थली प्रदेश जो ट्राइबल जनजाति के क्षेत्र हैं वह बिना बिजली के तरक्की नहीं कर सकते, बिजली बहुत महंगी है और बिजली बोर्ड की क्षमता के बाहर की बात है इसलिए आसान शर्तों पर अथवा बिना किसी शर्त के ऋण दें या बिजली की रेट्स के अन्दर अनुदान देकर मदद की जाये जिससे हम अकाल से बच सकें, बेकारी से बच सकें। साधारण शर्तों के ऊपर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। वर्तमान में कोई ऐसा भेद नहीं है। विद्युत् हमारी आधार शिला है और आधार शिला है किसी भी समाज के आगे बढ़ने की। इसलिए राज्य सरकार जोरदार ढंग से केन्द्रीय सरकार के सामने रखे कि आसान शर्तों के ऊपर हमें विद्युत्

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

निगम से ऋण उपलब्ध कराया जाये। यही नहीं पंजाब का, हरियाणा का, या यू. पी. का उपभोक्ता है वह आम तौर से 30–40 फीट गहराई से पानी खींचकर सिंचाई करता है लेकिन हमारे मरुस्थल का जो काश्तकार है वह 60 फीट से लेकर 200 फीट तक की गहराई से पानी खींचता है और फिर सिंचाई करता है इसलिए गेहूं की जो लागत यू. पी. में आती है उससे चार गुना और छः गुना हमारे यहां खर्च आता है। इसलिए बिजली की रेट में कुछ अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार को देना चाहिए हमारे यहां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए।

इसके बाद में राज्यपाल महोदय ने टूरिज्म के बारे में और उसके विकास की सम्भावनाओं के बारे में फर्माया है। मैं समझता हूं कि टूरिज्म का राजस्थान में स्कोप है, खास तौर से विदेशी टूरिज्म का। इसके अतिरिक्त हमारे देश के लोग जो यहां आते हैं वे भी हमारे प्रदेश के व्यापार में बहुत बडे सहायक हो सकते हैं। वर्तमान में जो होटल निर्माण की नीति है और होटलों की रेट है वह किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए बहुत भारी पडती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बारे में राज्य सरकार की तरफ से कोई अच्छा होटल कैसे चलाया जाये न तो उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है और न साधारण लोगों के लिए ठहरने की कोई व्यवस्था है। हमारे यहां एक भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां साधारण आदमी अच्छी तरह से बैठकर चाय पी सके या नाश्ता कर सके। इसका परिणाम यह होता है कि थ्री स्टार, फोर स्टार और फाइव स्टार होटल हैं उन्हीं की माहकी होती है इसलिए कोई भी गरीब विदेशी आता है तो भारत जो कि अन्य कारणों से सस्ता होना चाहिए वह बहुत मंहगा पड़ जाता है। इसलिए साधारण किस्म की जनता के लिए अच्छे होटलों का निर्माण हो उसके लिए फाइव स्टार होटलों के बजाय सस्ते होटलों का निर्माण कराया जाये और साफ सफाई से कैसे रखें, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर क्या है और राष्ट्रीय स्तर क्या है इसकी ट्रेनिंग दी जाये तो यह व्यापार बढ़ सकता है।

राज्य सरकार ने जो इस संबंध में अपनी नीति अपनाई हैं उसके अन्दर चाहे डाक बंगले की व्यवस्था हो, चाहे सर्किट हाउस की हो पाश्चात्य प्रणाली को ही अपनाया हैं। उसके अन्दर एक व्यक्ति के ठहरने का स्थान है और वह 50-60 हजार में बनता है। कुछ इस तरह के होटल, डाक बंगले और सर्किट हाऊसेस होने जरूरी हैं जहां साधारण स्तर के लोग ठहर सकें। प्राचीन समय में भी देखें तो जहां बारातें अच्छी तरह से ठहर सकें ऐसी व्यवस्था होती थी लेकिन राज्य सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। बारात ठहराना चाहें तो कोई लोहे का छप्पर हो–ऐसी कोई चीज निर्मित नहीं की है। सिर्फ मोटरों वाले ही ठहर सकें ऐसे टूरिस्टों की व्यवस्था जरूर की है। जो मेलों में जाते हैं या देश में ही यात्रा करते हैं ऐसे साधारण नागरिकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भारत गरीबों का देश है इसलिए ऐसे सार्वजनिक स्थान जगह-जगह बनाने चाहिए ये। तो ठहरने के लिये स्थलों का निर्माण होना चाहिये, यह मेरा राज्य सरकार को सुझाव है।

अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है उससे

Page No 48

(48)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हम सभी परिचित हैं। मैं यह कहने में कोई गलती नहीं करूंगा कि इसके लिए बहुत कुछ किया गया है और पिछले 20 वर्षों में जितना इस क्षेत्र में कार्य किया है वह पहले कभी नहीं किया गया। लेकिन हम भारत की परिस्थिति को देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि इस केटेगरी में नहीं आतीं लेकिन वह शिक्षा की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी हुई जातियां हैं। जैसे रेबारी हैं। पूरे राजस्थान में एक थानेदार है जो कि चार पांच साल पहले बना। इसी तरह से लुहार हैं उनमे भी बहुत कम पढ़े-लिखे लोग मिलेंगे। ऐसे ही बन्जारे हैं जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति में नहीं आते। यह पहले पशुओं पर भार ढोते थे। आज कल इनका यह धन्धा भी बन्द हो गया। इसी तरह से पचास जातियां हैं जो न तो अनुसूचित जाति में हैं और न अनुसूचित जन जाति में। उनकी संख्या भी ऐसी नहीं है कि उनका राजनैतिक प्रभाव हो सके। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है क्योंकि वह छोटे-छोटे धन्धे करते थे। बड़े-बड़े मिलों ने उनके धन्धे छीन लिये—चाहे रंगाई का हो, छपाई का हो या अन्य काम हों। यह बहुत दुर्दशा को प्राप्त हो चुके हैं। पिछड़ी जातियों के लिए 1956-57 से पहले अलग प्रावधान होता था इसलिए पिछड़ी जातियां 50-60 हैं उनके लिए कुछ किए जाने का कुछ मैं सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए अच्छे कार्य किये उसके लिए तो मैं बधाई देता हूं लेकिन साथ ही साथ उनके उद्धार के लिए बड़े कार्यक्रमों को हाथ में····

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह व्याख्या आपकी तरफ से है या सरकार की तरफ से है? राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर कह रहे हैं या आपके कमेन्ट्स हैं?

एक माननीय सदस्य : यह इनकी अपनी कमेन्ट्स हैं।

श्री परसराम मदेरणा : प्रस्ताव के ऊपर अपने सुझाव दे रहे हैं। क्या ऐसे सुझाव नहीं दे सकते? राज्य सरकार की तरफ से नहीं दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अभिभाषण में टाउन प्लानिंग के सम्बन्ध में कहा है, हमारे राजस्थान के अन्दर कई शहरों के टाउन प्लानिंग की योजनायें हैं, वे स्वीकृत हुई हैं, हो रही हैं। आज नगरों का विकास बड़ी तेज गति से हो रहा है। जब तक हम कोई सिस्टम, तरीका शहरों के विकास का नहीं अपनायेंगे, कई तरह की समस्यायें आगे चल कर खड़ी हो जायेंगी। जो गन्दी बस्तियों में रहते थे, पिछले पांच सालों में राज्य सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने, उनको बिजली देने के सम्बन्ध में, पानी देने के सम्बन्ध में, काफी सहायता की है लेकिन मैं समझता हूं वह अपर्याप्त है। मैं तो यह भी महसूस करता हूं कि शहर जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। छोटे-छोटे नये केन्द्र स्थापित किये जायें, उप-नगर स्थापित किये जायें, बड़े-बड़े शहरों से दूर। अगर शहरों का घेरा इसी तरह से बढ़ता गया तो मैं समझता हूं यह शहर समाज के

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

लिए बड़ी से बड़ी लायबिलिटी साबित हो जायेंगी। जो कीमती जमीनें हैं जो शहरों के आसपास हैं, वे समाप्त हो जायेंगी। जितना जल उपलब्ध होता है वह शहरों में उपलब्ध हो जायेगा। अन्य बेरोजगारी की, स्वास्थ्य सम्बन्धी कई समस्यायें उपस्थित हो सकती हैं। इसलिए मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह है कि बड़े शहरों के बजाय, छोटे-छोटे शहर, वह भी बड़े शहरों से 10–10, 20–20 मील की दूरी पर स्थापित करने चाहिये ताकि वह अच्छी तरह से विकसित हों। साथ ही एक ऐसा केन्द्र बन जाये जहां लोग सामान को लाकर बेचें। अपनी मशीनरी को दुरुस्त करवा सकें। वहीं पर विद्यालय स्थापित हो जायें। इसलिए हमारी नीति यह होनी चाहिए कि बड़े शहरों को विकसित अवश्य करें लेकिन उसमें आबादी नहीं बढ़े और नई आबादी को छोटे-छोटे शहरों में बसाया जाये। मेरा सुझाव है और टाउन प्लानिंग को अमेंड करना चाहिये ताकि आगे जाकर इसमें दिक्कतें नहीं आयें। मैं समझता हूं यह जरूरी है।

वन के विकास के बारे में हर साल हमारे बजट में प्रावधान होता है इस वर्ष भी राज्यपाल महोदय ने पिछले वर्ष जो वृक्ष लगाये थे, उसके बारे में कहा है। वृक्षों के लगाने के कार्य को हमारे देश में बहुत ही पुण्य कार्य समझा जाता रहा है और यह बहुत अच्छा है। देश का ध्यान अब वृक्षों की ओर गया है लेकिन इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि वृक्षों का जो चयन होता है वह दोषपूर्ण है। खासतौर से मरुस्थल के क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में वही वृक्ष लगाये जाने चाहिये जो आसानी से पनप सकते हों। जो बाहर के पेड़ हैं वे देखने में जरूर अच्छे लगते हैं लेकिन उनको पानी की अधिक जरूरत पड़ती है उनकी देखभाल अधिक करनी पड़ती है। उचित यह होगा कि स्थानीय जो पेड़ हैं उनको ज्यादा बढ़ाया जावे। बहुत ही कम लागत के अन्दर हम बहुत बड़ी संख्या में वृक्षों को लगा सकते हैं और यह जो कार्यक्रम चलाया गया है हम आसानी से उन्हें सफल बना सकते हैं। मेरा तो यह सुझाव है मरुस्थल में खेजड़ा है और जो दूसरे वृक्ष हैं, वे ज्यादा आसानी से पनप जाते हैं। प्रत्येक काश्तकार को प्रति एकड़ दो या चार वृक्ष लगाने के लिये बाध्य किया जाय और उसको लगाने के अन्दर प्रति वृक्ष छूट दी जाये तो मैं समझता हूं करोड़ों की संख्या में आसानी से हमारे देश में पेड़ पनप सकते हैं। अच्छी वर्षा के लिये अधिक वृक्ष होने चाहिए। हमारे भारत की विशेषता यह है कि अच्छी वर्षा हो और बहुत अच्छी फसल हो तो ज्यादा पशुधन पल सकता है इसके लिए जरूरी है कि हम वृक्ष लगाने के बारे में एक व्यवहारिक नीति अपनायें। पहले हमारी नीति अव्यवहारिक थी। पिछले वर्ष भी जो नीति थी वह कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि जो वृक्ष ऐसे थे कि चार पांच दिन यदि पानी नहीं पिलाया तो सूख जाते थे। स्थानीय वृक्षों की यहां कमी नहीं है जो बड़ी आसानी से पल सकते हैं।

राज्यपाल महोदय ने पेय जल योजनाओं के बारे में फर्माया है। पेयजल योजनाओं के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उससे पूरा सदन परिचित है। 181 नगर हैं राजस्थान के अन्दर। उनमें से 179 नगरों को पेयजल योजनाओं द्वारा पानी दिया जा रहा है और हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां पेयज

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है उसका आधार वही रखा गया है जो बिहार और बंगाल की योजना का है। बिहार और बंगाल में मुख्य समस्या यह थी, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में भी मनुष्य कुओं का, बावड़ियों का व तालाबों का गन्दा पानी पीते थे। स्वास्थ्य के सुधार की दृष्टि से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके इसलिए नल योजना का आविष्कार किया। यह एक आयातित तरीका है, इम्पोर्टेड टेक्नोलोजी है। मरुस्थल क्षेत्र में आबादी ढाणियों में बसती है, गांव में नहीं बसती है। गांव का जो क्षेत्रफल है वह कोई 100 स्क्वायर मील तक का है और लोग ढाणियों में बसते हैं अपने-अपने खेतों में बसते हैं। जो नल योजना का आधार किया गया है उसके अनुसार पूरी संख्या है यह मानकर खर्चा किया जा रहा है। मरुस्थल में पांचवें हिस्से के लोग गांवों में बसते हैं, 4/5 भाग ढाणियों में बसते हैं। कमी अब यह रह गई हैं, अधिकतर आबादी, रुपयों में 13 आने आबादी, मरुस्थल की है फिर भी उसे इस योजना से लाभ नहीं मिल सका है।

दूसरी समस्या यह है कि मरुस्थल प्रदेश में मानव और मवेशी एक जगह पानी पीते हैं। रिजर्वायर पानी के बन जाते हैं वे कुछ मनुष्यों के पीने के लिये बन जाते हैं जानवरों का ध्यान नहीं रखा जाता। तो यह बहुत बड़ी कमी रह गई है कि पशुओं के पीने के पानी का प्रावधान इस नल योजना के अन्दर नहीं रखा गया है जो मरुस्थल की समस्या को देखते हुए रखना अनिवार्य था। तो यह बहुत बड़ी भारी कमी है। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि भारत सरकार जब अनुदान दें तो पशुओं के लिये भी अच्छा प्रबन्ध करें।

तीसरे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने यह कर दिया कि पानी सदैव के लिये मुफ्त में दिया जायगा। मैं समझता हूं यदि पूरे प्रदेश की जनता को जल उपलब्ध कराना है तो अरबों रुपये, मेरे ख्याल से 6 अरब रुपये की आवश्यकता होगी। उसको चलाने में, उसको मेन्टेन करने में बड़ा भारी खर्चा आयगा और कुछ समय के बाद सरकार पर बहुत बड़ा वजन हो जायगा। पूर्व में भी पीने के पानी के लिये लोग शुल्क देते रहे हैं इसलिये वाटर टैक्स लगाना उचित होगा। यदि अभी लगा देते हैं तो जनता भारस्वरूप नहीं समझेगी और योजनायें चलती रहेंगी और बिना घाटे लाभ के चल सकेंगी। उसके बाद भी नुकसान होता है तो उसके लिये राज्य सरकार कुछ अनुदान दे सकती है लेकिन बिना कुछ वसूल किये यह योजना चला पायेंगे, इसमें मुझे सन्देह है। इससे राज्य सरकार को अच्छी आमदनी भी हो सकती है।

चिकित्सा सुविधाओं के बारे में राज्य सरकार ने जो स्वतन्त्रता के बाद प्रबन्ध किया है, उससे आप और हम अच्छी तरह से परिचित है। राज्यपाल महोदय ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है महामारियों को रोकने के सम्बन्ध में, खास तौर से राजस्थान के पिछड़े इलाकों में आज से कुछ वर्षों पूर्व सुनने में आया करता था कि महामारियों से इतने लोग दुखी हैं। मैं चिकित्सा विभाग को और राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि अब चेचक जैसे भयंकर रोग को खत्म कर दिया। मलेरिया को भी काफी हद तक

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चिकित्सा विभाग ने खत्म कर दिया था लेकिन अभी पिछले दो–तीन सालों में न मालूम कहां से बड़े पैमाने पर हमारे देश में मलेरिया फैला है। इसलिए समय रहते राज्य सरकार को इसको रोकने का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि जो मलेरिया बहुत-सी बीमारियों की जड़ होती है, वह नहीं फैले।

इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है, उसका लाभ देश के लोगों को मिले उसके लिये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाते हैं और उनमें नये-नये अनुसंधान किये जाते हैं। उन अनुसंधानों में इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि दवायें बहुत सस्ती बनें जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति लाभ ले सके। मेरा सुझाव है राज्य सरकार को कि जुकाम एक मोटी-छोटी बीमारी है, उसके लिये प्रति प्राचीन समय से ही देशी नुस्से हुआ करते थे लेकिन आजकल उन नुस्सों का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। राज्य सरकार को चाहिये कि जांच करके बहुत सस्ते नुस्से का अनुसंधान कराये ताकि इस प्रकार की दवा मिल जाय जिससे साधारण बीमारी की चिकित्सा हो सके और गरीबों को सुलभ और सस्ती चिकित्सा मिल सके। इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि कोई समुचित व्यवस्था करे।

चिकित्सा के बारे में अभिभाषण में जो चर्चा की है उसमें हमारे राज्यपाल महोदय ने शायद एक प्रश्न छोड़ दिया। शायद इसलिए कि वह प्रश्न बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था। वह है परिवार नियोजन उसे इसलिये छोड़ दिया···

एक माननीय सदस्य : खतरा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब खतरा निकल ही गया तो कहने में कोई बात नहीं है। परिवार नियोजन के बारे में कहना कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति कह सकता है कि परिवार नियोजन अच्छी चीज है। जिस गति से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है वह खतरनाक है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारत को न पाकिस्तान का डर है और न भारत को चीन से खतरा है बल्कि सबसे ज्यादा खतरा है तो वह बढ़ी हुई जनसंख्या से है। 20–25 वर्षों में शायद यह हालत हो सकती है कि लोगों को भूख का शिकार होना पड़े और लोग जीवों को मार-काट कर न खा जाय। इसलिये परिवार नियोजन पर बहुत बल दिया जाना चाहिये। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसके बारे में फर्माया नहीं इसलिये मुझे कुछ अटपटा सा लगा और इसीलिये मैंने कहा।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रशासन को गतिशील बनाने के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में कहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, खैर, प्रशासन में यदि दोष होता है तो जनता का शोषण होता है, जनता के साथ अन्याय होता है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि प्रशासन बहुत अच्छे हाथों में है। हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूर्णरूप से निभाया है। श्रेष्ठ हाथों में प्रशासन का होना इस बात का द्योतक है। इमर्जेन्सी के बारे में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

किसी ने इसका स्वागत किया है तो किसी ने इसका विरोध भी किया है। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इमर्जेन्सी के दौरान लोगों को तकलीफें हुई हैं लेकिन प्रशासन की जो जिम्मेवारी थी उसको उसने सफलतापूर्वक निभाया है। चुनाव का जहां तक प्रश्न है कि चुनाव निष्पक्ष करवाये जायं तो प्रशासन ने निष्पक्ष रूप से चुनाव करा दिये। ऐसे सुसंगठित प्रशासन के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार बधाई की पात्र है। जो काम चाहे, तरीके से करवा सकते हैं। मेरा मानना है देश में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण विघटन की स्थिति आ जाय, हमारा टैक्स वसूल न हो, ऐसी स्थिति नहीं आयेगी। चाहे प्रशासन किसी के भी हाथ में हो, उनको भी इस बात को मानना पड़ेगा।

इमर्जेन्सी के अन्दर कुछ लोगों को रिटायर किया गया है। जन सम्पर्क अपना सबका जनता से बराबर रहता है तो जो लोग इमर्जेन्सी में रिटायर हुये हैं, मैं समझता हूं उनमें से कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आफिसर्स जिनसे राजी नहीं थे, उनको निकाल दिया गया ऐसे कुछ केसेज हो सकते हैं, उनके लिए कोई तरीका ऐसा निकाल लीजिये जिससे उन पर पुनः विचार हो सके। वास्तव में कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको पुनः सेवा में लिया जा सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

जहां तक राज्यपाल महोदय ने सड़कों के विकास के बारे में कहा है, मुझे वह समय याद है जब जयपुर–जोधपुर के बीच सड़क नहीं थी, जयपुर–दिल्ली के बीच सड़क के अच्छे साधन नहीं थे आज हर जिला, हर तहसील, हर तहसील मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुये हैं। वहां सड़कें बनी हैं और वे ही सड़कें हमारे देश का माल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बिना रोक टोक के ले जाती हैं। पूरे हिन्दुस्तान में अपना माल ट्रकों की सहायता से ले जाया जा सके, इसकी सुचारु रूप से व्यवस्था की है। लेकिन मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने शहर हैं उनमें चुंगी चौकियां लगी हुई हैं। इनसे लोगों को तरह-तरह की तकलीफें होती हैं। गुजरात हमारा पड़ौसी प्रदेश है, मैंने देखा है वहां जो बड़े-बड़े हाई वेज हैं वे शहर से नहीं निकलते हैं। शहर से दूर पहाड़ों में से होकर निकाल दिये गये हैं ताकि चुंगी वाले उनको तंग नहीं कर सकें। राजस्थान को चाहिये जो थ्रू ट्रैफिक जाता है वह बिना रोक-टोक के जा सके। मैं यहां तक सुझाव दूंगा जो म्यूनिसिपैलिटीज नाकाबन्दी का काम करती हैं वे गाड़ियों वालों को, ट्रक वालों को, ट्रैक्टर वालों को, बसेज को तंग न करें तो लोगों को काफी सुविधा होगी और बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।

आखिर में एक बात और कहूंगा। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, सड़कों का निर्माण वहां अच्छा हुआ है लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं जो बहुत ही सस्ती निर्मित की जा सकती हैं और की जाती हैं। हमने सड़कों के निर्माण की विधियां भी अनेक अपनाई हैं। जो विधियां अपनाई हैं वह भी आयातित हैं और खर्चीली है। जहां तक नेशनल हाई वे लेवल का सवाल है, स्टेट हाई–वे लेवल का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट हाई–वे लेवल का सवाल है, वे सड़कें तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। उसमें वही

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

मैंटिरियल काम में लिया जाना चाहिए। जो अन्तर्राष्ट्रीय सड़कों में लिया जाता है, उन पर दबाव भी बहुत होता है, उन पर ट्रैफिक भी ज्यादा होता है, वजन भी ज्यादा होता है, वजनी वाहन भी उन पर बहुत चलते हैं तो उनमें मैंटिरियल भी वैसा ही काम में लेना चाहिए। लेकिन राजस्थान में दूर-दूर तक गांव हैं जहां पर भारी वाहन तेज रफ्तार से नहीं चलते हैं. उन सभी गांवों को यदि सस्ते मैंटिरियल से सड़क बना कर जोड़ दिया जावे तो यह राजस्थान की उन्नति में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगी। यदि हम सस्ती सड़कों से गांवों को जोड़ देते हैं तो बहुत उपयोगी हो सकता है। हमारे इंजीनियर्स को चाहिए कि राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए, सड़कों के मैंटिरियल की उपलब्धि को देखते हुए सस्ती सड़कों का निर्माण करें जिन पर छोटे वाहन, गाड़ियां, साईकिलें चल सकें तो राजस्थान की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपुतली): उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक जो अभिभाषण सदन में दिया उसके लिए माननीय सदस्य श्री पूनमचन्दजी बिश्नोई ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो आज की सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस पर सबसे पहले प्रकाश डाला है। अभी हाल ही में लोक सभा के चुनाव हुए हैं। आप जानते हैं कि लोक सभा के चुनावों के बारे में हमारे विरोधी दल के नेता आशंका प्रकट करते हुए यह कहा करते थे कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तानाशाह बनना चाहती हैं और चुनावों से कतराती हैं। हमने जब चुनावों की घोषणा की, उन दिनों भी उन्होंने यही कहा कि हम चुनाव कराने के बाद भी तानाशाह बनना चाहते हैं। चुनाव की घोषणा के बाद भी विरोधी दल के नेताओं ने यह आशंका प्रकट की थी कि हम निष्पक्ष चुनाव नहीं करायेंगे, शांतिपूर्वक चुनाव नहीं करायेंगे। इस प्रकार की आशंकाएं प्रकट की थीं लेकिन आज परिणाम सामने हैं। आज न केवल हमारी ओर से तारीफ की गई है बल्कि विरोधी दल के नेताओं ने भी तारीफ की है कि हमने चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक करवाये हैं। यह सब इस बात का प्रतीक है कि हमारी लोकतंत्र में कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है और कितने हम जागरूक हैं, कितने निष्पक्ष हैं और जिस समय जो करना चाहिए वह करने में चूकते नहीं हैं। परिणाम जब सामने आए तो हमारे विरोधी दल को मिली सफलता को देखकर विरोधी दल के नेताओं को यह मुगालता हो सकता है कि जनता उनके साथ है। जनता पार्टी के नेताओं को यह ख्याल है कि जनता ने उनको वोट दिया है। उनको यह भरोसा है कि जनता ने उनके चुनाव घोषणा पत्र के प्रति आस्था प्रकट कर उनको सफल बनाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता भ्रम में हैं। इसलिए भ्रम में हैं कि जनता ने वोट

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

उनको इसलिए नहीं दिया कि उनमें आस्था है बल्कि इसलिए कि हमारी कुछ कमियां हो सकती हैं, हमारा कुछ व्यवहार ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रति जनता में नाराजगी हो और जनता ने अपनी नाराजगी चुनावों में जाहिर की है। असल में जनता उनके साथ में नहीं है। जनता ने हमको अवसर दिया है कि हम अपने तौर-तरीके बदलें। असल में जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिए थे वे कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम थे, वे कार्यक्रम गरीबों की खुशहाली के कार्यक्रम थे, हमारे हरिजन भाइयों के उत्थान के कार्यक्रम थे और किसानों और मजदूरों की उन्नति के कार्यक्रम थे। जो कार्यक्रम हमारी सरकार ने हाथ में लिए उसमें से कुछ कार्यक्रम हमने सरकारी मशीनरी पर छोड़े, सरकारी कर्मचारियों पर छोड़ दिए और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ अधिकारियों ने सरकार की नीति के अनुसार सच्चा काम किया, उन्होंने सही तौर पर काम किया लेकिन जो अधिकारी विरोधी दलों से मिले हुए थे, जिनका तौर-तरीका गलत था उन्होंने गलत तरीके से काम किए। उसी का परिणाम आज हमारे सामने आया है। जनता की नाराजगी प्रकट हुई है, उनका असंतोष सामने आया है और आखिर में उन्होंने अपना असंतोष इस चुनाव के जरिये जाहिर किया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ यह नहीं है कि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया है। यह तो समय ही बतायेगा कि जनता किस के साथ है। यह ठीक है कि अस्थायी तौर पर विरोधी दल को सफलता मिल गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ खासतौर से कि इस चुनाव के बाद, इस चुनाव की असफलता के बाद भी कि हमने किस प्रकार से काम किया। हमारा रोल क्या रहा? चूंकि सरकार के तौर पर हमारे पर उत्तरदायित्व था, हमारे पर जिम्मेदारी थी, ऐसी हालत में हम जनता के सामने हल्की बात नहीं कह सकते थे जो चुनाव जीतने के लिए विरोधी दल ने मजाक रूप में बातें कहीं, उस प्रकार की बातें हम नहीं कह सकते थे। उनको भी भरोसा नहीं था, उनको भी कल्पना नहीं थी कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि हम टैक्स माफ कर देंगे। हम यह नहीं कह सकते थे कि हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। उन्होंने कहा था कि हम सारे टैक्स माफ कर देंगे तो ठीक आज जनता ने मौका दिया है अब वे टैक्स माफ करें। ऐसी कोई भी सरकार बन सकती हो जो सारे टैक्स माफ कर दे तो उसे जरूर मौका देना चाहिए। अब देखना यह है कि वह कितना टैक्स माफ करते हैं। उन्होंने कहा था कि नसबन्दी नहीं करायेंगे। उनके चुनाव घोषणा-पत्र में है और नेताओं ने भी अपने भाषणों में कहा है कि अगर हम सरकार बनायेंगे तो नसबन्दी कानूनी तौर पर अनिवार्य रूप से करायेंगे, इसके लिए कानून बनायेंगे। गांवों में जाकर यह प्रचार किया गया कि कांग्रेस जीती तो नसबन्दी करवा देगी, सख्ती से नसबन्दी करायेगी। हम जीत गये तो नसबन्दी नहीं करायेंगे। विरोधी पक्ष की सरकार बनेगी तब वह क्या कदम उठायेगी, क्या स्थिति करेगी यह जनता अब देखेगी। जनता के सामने यह सारी बातें हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का विरोधी दल का प्रचार था।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

यह ठीक है कि इमर्जेन्सी के अन्दर हमने कुछ कदम उठाए। जनता जानती है कि हमने जो भी कदम उठाए गरीब लोगों के लिए कदम उठाए, वे साहसिक कदम थे, सख्त कदम थे जिनसे कुछ बड़े लोग प्रभावित हुए। हमने जमाखोरों, तस्करों, कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए। इन लोगों को बन्द किया गया। जब चुनावों की घोषणा की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास साधन नहीं हैं, विरोधी दल के पास पैसा नहीं है। उनको पूरा समय नहीं दिया गया है और इस लिए चुनाव लड़ने में असमर्थ है। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस से ज्यादा पैसा जनता पार्टी के पास था। कहां से आया आखिर वह पैसा? वह पैसा तस्कर वालों का था, जमाखोरों का पैसा था, कालाबाजारियों का पैसा था। उपाध्यक्ष महोदय, हम चुनाव हारना पसन्द कर सकते हैं लेकिन तस्करों और कालाबाजारियों से पैसा लेना पसन्द नहीं करते। हम अपनी हार स्वीकार कर सकते हैं लेकिन कालाबाजारियों से पैसा लेकर चुनाव जीतना पसन्द नहीं करेंगे।

(व्यवधान–अश्रव्य)

हमारा प्रगतिशील कार्यक्रम है, हमारी नीति है जिसे हम लागू करना चाहते हैं और उस कार्यक्रम को लागू करने में हमने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। बड़े-बड़े भूपतियों से सीलिंग में जमीन लेकर हरिजनों में बांटी है। लाखों एकड़ जमीन गरीबों के अन्दर बांटी गई है। खुले आम जनता के गरीब तबके की मदद की और बड़े लोगों को नाराज किया है। यह ठीक है कि ऐसा करने से उन बड़े-बड़े भूपतियों को नाराजगी हुई है और उन्होंने गरीब लोगों को गुमराह किया है। गरीबों को बहकाया गया इन चुनावों में।

ऐन मौके पर जिस प्रकार हम जानते हैं, जगजीवनराम जी ने कांग्रेस छोड़ दी। उसके साथ ही यह प्रचार किया गया कि जगजीवन-राम जी प्रधान मंत्री बनेंगे। एक हरिजन प्रधान मंत्री बनेगा–हरिजन भाइयों कांग्रेस के विरोध में वोट देना। अगर यह प्रचार भी सही होता तो भी मैं विरोधी दल को बधाई देता कि उन्होंने एक बात तो सही कही कि जगजीवनराम प्रधान मंत्री बनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मुझे मालूम हुआ है कि मुरारजी देसाई को नेता चुन लिया है और जगजीवनराम प्रधान मंत्री नहीं बने हैं। यह पहला आश्वासन ही गलत सिद्ध हुआ है। जिसे जनता देखेगी जनता ही निर्णय करेगी कि पहला आश्वासन ही उनका गलत सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के आश्वासन दिये गये जिस प्रकार के हथकण्डे अपनाए गए, जिस प्रकार के तरीके चुनाव में अपनाए गए हैं उनसे सफलता जरूर मिली है इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, यह बात मैंने इसलिए कही कि सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में चुनाव पर प्रकाश डाला है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं विरोधी दल पर आज जिम्मेदारी है, आज उन पर दायित्व है, जनता ने उनको मौका दिया है। जिस अवसर के लिए वे कई सालों से प्रयास कर रहे थे आज उनको मौका मिला है। वैसे यह मौका कुछ प्रान्तों में पहले भी मिला था और जनता ने देख लिया था कि उसमें वे कितने सफल हुए। अब जनता ने देखा कि इनको केन्द्र में भेजो और देखो कि वहां वे क्या कर सकते हैं। अब देखना यह है कि जुम्मे-जुम्मे

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

कितने दिन काम चलता है। यह तो समय ही बतायेगा इस बारे में अभी कुछ कहना मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला है अभिभाषण में खास तौर पर वे मुद्दे होते हैं जो सालभर के सरकार के कार्य कलापों का लेखा-जोखा देते हैं और आगे के कार्यक्रम की ओर इशारा करते हैं। इस अभिभाषण में बताया है कि पिछले साल में क्या उपलब्धियां रहीं, सिचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में और कृषि आदि के क्षेत्र में। जहां तक कृषि का प्रश्न है निश्चित रूप से ही आज हमारे पास अनाज का पर्याप्त भण्डार है जो हमारी सफलताओं से उपलब्ध हुआ है। यह ठीक है, मौसम ने हमारा साथ दिया। वर्षा ठीक समय पर हुई यह भी सही है कि राज्य की ओर से अच्छा बीज हासिल हुआ, अच्छी खाद हासिल हुई। जहां तक खाद और बीज का सवाल है, राज्य सरकार ने हमको मुहैय्या किया है। इन्हीं सब प्रयत्नों के फलस्वरूप जहां राज्य में हमेशा खाद्यान्न की कमी रहती थी, वहां अच्छा उत्पादन हुआ है। यह उत्पादन अच्छा हो गया है लेकिन इस ओर स्थायी रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जंसल और गोपालपुरे की योजना है ये योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं को पूरा होने में समय लगेगा। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। हमें वहां पर कार्य करना पड़ेगा वहां पर हमें छोटी योजनाएं हाथ में लेनी चाहिएं। छोटी-छोटी योजनाओं के जरिये से हमें कार्य-क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। उनके ऊपर काम चल रहा है लेकिन मन्द गति से काम चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर योजनाएं चल रही हैं। साल भर से योजनाएं चल रही हैं लेकिन साल भर से एक भी योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। यह योजनाएं लालफीताशाही से चलेंगी तो क्या कार्य हो सकता है। अभी तक हमारा जो ढीला ढाला काम रहा है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हालांकि सहकारिता का काम अच्छा है लेकिन जो रूप दे दिया गया है, उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ठहरानी पड़ेगी ताकि वह समय का उपयोग करें। तीन साला हमारी योजना थी। हम योजना का लाभ दें लेकिन कुछ ही गांवों में नहीं दें।

जैसा कि राज्यपाल महोदय ने फर्माया है, राजस्थान सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि 8 लाख 70 हजार आवण्टन किये हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य था, जिनके पास सिर छुपाने को जगह नहीं है, उनको मकान बनाने के लिए जगह दें। यही कारण है कि हमने आवण्टन किये हैं। लेकिन जिन को मकान के लिए जमीन के आवण्टन किये गये हैं, वह मकान बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए करीब-करीब 10 करोड़ रुपया दिया गया है। हमने उनको आवश्यक उपकरण दिये हैं ताकि वह मकान बनाने की स्थिति में आ सकें लेकिन समाज के जिस कमजोर तबके को जो लाभ देना चाहते थे, वह पूरी तरह से नहीं दे पाये हैं। जो ऋण हमें देना चाहिए था, वह हम उनको नहीं दे सके हैं। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

उनको पैसा मिल सके। हमने एक अभियान चलाया। सीलिंग में जमीन ली और उसका अलाटमेण्ट किया। नामान्तरण किये गये हैं। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से भूमि का अलाटमेण्ट किया है, वह अपने में एक रिकार्ड है। मैं राजस्थान सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से यह कार्य किया गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। चुनाव में भी विरोधी दल इस बात को नहीं कह सके हैं। हमारे कार्यक्रम में जो गरीबों और मजदूरों को उठाने का कार्यक्रम है, उसके बारे में विरोधी दल भी चुनाव के समय में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके। परिवार नियोजन के बारे में जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि यह कार्यक्रम ऐसा है जिसकी कि चुनाव के समय में काफी चर्चा रही है। सरकार का दायित्व है कि कोई आदमी भूखा नहीं रहे। रोटी और कपड़े का उसे अभाव नहीं रहे। यदि आबादी बढ़ती है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए उस कार्यक्रम को वापिस ले लिया गया हो ऐसा नहीं है। इस प्रकार से कार्यक्रम का दुरुपयोग किया गया है, यह खेदजनक स्थिति है। इस प्रकार का कार्यक्रम जारी रहेगा और लागू रहेगा। मैं निवेदन कर रहा था, राजस्थान में कार्यक्रम चल रहा है, वह कार्यक्रम सफल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जलप्रदाय के मामले में मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं, जहां इस योजना को लागू करना है। पीने के पानी की समस्या का समाधान पूरे तौर से नहीं कर पाये हैं। पीने के पानी की समस्या का हल करना ही पड़ेगा इस समस्या की ओर हमें ध्यान देना होगा। हम को व्यवस्था करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अलवर और कोटा का सवाल है, वहां उद्योग स्थापित किये गये हैं। लेकिन जिस तेजी से औद्योगीकरण करना चाहते हैं वह पूरी तौर से कर नहीं सके हैं। हमें यह देखना है कि कौन कौन सी कमजोरियां हैं। जहां तक पानी, बिजली और ऋण का सवाल है, हमारी सरकार ने इसके लिए एक शैल कायम किया है इसके लिए एक टाइम फिक्स कर रखा है। इसके लिए हमें विचार करना होगा। हमें इस बात के ऊपर विचार करना होगा कि यहां पर कोई उद्योग लगाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? यहां पर खनिज उद्योगों के डवलपमेण्ट के अधिक चांसेज हैं। इसके लिए हमें लोगों की मोनोपोली को समाप्त करना होगा। जो लोग खानों में काम करते हैं, अभी उनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में हमको ध्यान देना चाहिए और एकाधिकार की बात समाप्त होनी चाहिए उन लोगों को लाभ मिलना चाहिये जिन लोगों को लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में राज्यपाल महोदय ने बताया है कि काफी कुछ काम हुआ है, काफी प्राथमिक शालायें खोली गई हैं और स्कूल खोले गये हैं। यह ठीक है जहां तक संख्या का सवाल है हम इसको देखकर संतोष कर सकते हैं, लेकिन केवल यही संतोष का सवाल नहीं है। हमको यह

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका स्तर किस प्रकार का चल रहा है और उसका असर पूरे समाज पर किस रूप में पड़ता है। इस बात को सभी मानते हैं चाहे शिक्षा शास्त्री हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, यह सभी मानते हैं कि शिक्षा किस रूप में होनी चाहिए उस रूप में नहीं हो रही है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है हम उसमें परिवर्तन की बात भी करते हैं लेकिन वह भी परीक्षण के तौर पर ही करते हैं कभी दस जमा दो कभी तीन की योजना बनाते हैं, कभी वोकेशनल गाइडेन्स की, और कभी किसी प्रकार की। लेकिन इन सारी योजनाओं और व्यवस्थाओं के बावजूद भी जो हमारे शिक्षित नवयुवक निकलते हैं उनके सामने बेरोजगारी और बेकारी की समस्या खड़ी रहती है। इसका हल नहीं निकाला गया तो निश्चित रूप से हमको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो युवक शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं उनमें आज एक प्रकार की निराशा है, वह असंतोष महसूस करते हैं और आप जानते हैं कि युवकों का इस प्रकार से महसूस करना एक बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछले बीस-तीस वर्षों में उनको रोजगार देने के बहुत प्रयत्न भी किये गये हैं और उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की गई है लेकिन फिर भी हमको इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके संबंध में सरकार की तरफ से कोई ठोस योजना आनी चाहिए राज्य सरकार क्या करना चाहती है यह सामने नहीं आया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ठोस रूप से कुछ काम करना चाहिए, कुछ योजना बनायी जानी चाहिए।

इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण बात है, वह हमारे प्रदेश में पंचायतों की स्थिति जो पंचायत और पंचायत समितियों का ढांचा है वर्तमान में। अगर इसी प्रकार से आगे चलाना चाहते हैं इस निर्जीव ढांचे को तो मैं समझता हूं इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि उनको समाप्त कर दिया जाय। यदि उनको चलाना है तो उनको शक्ति और अधिकार देना पड़ेगा, उनके साधन बढाने पड़ेंगे। आज तक जो भी स्थिति है वह हमारे सामने है। केवल वेतन देने के अलावा और कोई दूसरा विकास का काम या अधिकार उनके पास नहीं रह गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्राम स्तर की इस इकाई को मजबूत करना है, तो इसके साधना और अधिकारों की ओर हमको ध्यान देना चाहिये। श्री गिरधारीलाल व्यास समिति की रिपोर्ट हमारे सामने है। इस रिपोर्ट को फालो करना चाहिये। अगर हम इनको ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रावधान करना चाहिये इनके वित्तीय साधन बढाने चाहिये इसके लिए हमको सुझाव देने चाहिये। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में अपनी स्थिति साफ करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के विकास के बारे में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ जिक्र किया गया है लेकिन कोई साफ स्थिति नहीं बताई गई है। यह नहीं बताया गया है कि योजना क्या है। पहले कहा गया था कि पांच हजार आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। इससे पहले ढाई

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
हजार आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना थी वह भी पूरी नहीं कर सकें। मेरा निवेदन है कि चाहे आप दस हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़े, या पांच हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़े, लेकिन इसके लिये एक ठोस योजना होनी चाहिये। इसके लिये यह निश्चित होना चाहिये कि उस योजना पर कितना आप खर्च करना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से सड़कों की दयनीय हालत है उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। इसके बारे में कोई उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मेरे पूर्व वक्ता ने सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है इसलिए अधिक न कहते हुए एक बात और कहना चाहूंगा मेरी बात को समाप्त करने से पूर्व, आज सुबह राजघाट पर जिन नेताओं ने शपथ ली है–

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : आज हमारे लिये राजघाट पराया हो गया, ऐसा लगता है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : लेकिन उसमें एक दल ऐसा भी है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। आज उसने चेहरा बदल लिया है, अपना नाम बदल लिया है लेकिन यह मुगालता जनता के सामने अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता के सामने सही स्थिति आयेगी और हमारे द्वारा जो गलतियां हुई हैं उसमें सुधार किया जायगा जनता ने हमको नसीहत दी है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह।

(2.06 म. प.)

(श्री गुमानमल लोढ़ा, सभापति, पीठासीन)

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार श्री मुरारजी देसाई सर्वसम्मति से भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुए हैं–

श्री दीपंकर : Very shame !

श्री लक्ष्मण सिंह : आज का दिन देश के लिए उल्लास का दिन है, आज का दिन लोकतन्त्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस की देश को बहुत जरूरत थी। तीस वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया और अब वह घड़ी आ गई है कि उसको भी विपक्ष में बैठकर कच्चे चने चबाने चाहिए। अगर सिद्धांत उनके सही हैं और आचरण सही है तो उनको जनता कुर्सी देगी। लेकिन उनका आचरण भ्रष्ट है इसलिए ही उन्हें यह दिन दिखाया है कि जिस दिन उनको विपक्ष में बैठना पड़ा। हाथ कमाये कामना और कमाये न देंगे पैसा। जैसा किया वैसा मिला, इस धारणा को स्पष्ट करते हुए समस्त विश्व के सामने चुनाव परिणाम प्रस्तुत हुए। यह भारतवर्ष की जनता का एक महान्, स्वस्थ, ऐतिहासिक और जनतान्त्रिक निर्णय है।

सभापति महोदय, 25 जून, 1975 हमारे देश के लिए एक काला दिन था। It was a black day. उस दिन जनता की शक्ति गई और भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संकटापन्न स्थिति

(श्री लक्ष्मणसिंह)

इस देश पर लागू की। एक लाख चार हजार आदमियों को जेल में रखा और वरिष्ठ नेताओं को जेल में रखा। निस्वार्थ सर्वोदयी नेता, समग्र क्रान्ति के जन्मदाता जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने कभी कोई पद की आकांक्षा नहीं की, कोई मिनिस्टर बनने की चाहना नहीं की, उनको भी जेल के अन्दर रखा। सारा देश एक जेल बना और कई आदमियों को जेल में बन्द किया। किसके लिए ? श्रीमती इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। बचियो मेरी झोंपड़ी और जलियो सारा गांव। क्या वह जनतन्त्र था ? यह भ्रष्ट अधिनायकवाद था, माइट इज राइट—जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस सिद्धान्त को अपनाने वाला दल, वह पवित्र दल, वह कांग्रेस का दल, जिसको महात्मा गांधी ने जन्म दिया, महात्मा गांधी के सिद्धान्तों से सौ कोस परे जाकर के आज इतनी हीन दशा पर पहुंच चुका है कि जिसको देखकर मुझे भी आश्चर्य होता है।

सभापति महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने विशुद्ध विरोध को वैमनस्य के कारण विद्रोह की संज्ञा दी। विरोध क्या होता है, विद्रोह क्या होता है, वह जानती हैं लेकिन अर्थ का अनर्थ उन्होंने किया। उसके पश्चात् हजारों नागरिक जेल के अन्दर बन्द हुए। जेल में बन्द करने के पश्चात् क्या व्यवस्था है ? न दाद न फरियाद, न दलील न अपील। हमारे नागरिक अधिकार थे वे उम्दा संविधान के द्वारा प्राप्त हुए थे, हमने स्वयं अपने आपको दे दिए थे, वे एक व्यक्ति की कुर्सी की खातिर समाप्त कर दिए गये। इससे बढ़कर अधिनायकवादी व्यवस्था और दुर्व्यवस्था इस देश के लिए क्या हो सकती है ?

सभापति महोदय, श्री देवकांत बरुआ, कांग्रेस अध्यक्ष ने नारा लगाया, India is Indira and Indira is India. Indira is not India, India is India. हमारा देश अमर है, कोई व्यक्ति अमर नहीं। You cannot equate an individual with a great country. मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्दिराजी की आयु 101 वर्ष हो। मेरा व्यक्तिगत विरोध उनसे तनिक मात्र भी नहीं लेकिन जवाहर लाल भी आए, गांधी भी आए, गए, अकबर और अशोक आए, राम और कृष्ण आए। जो आएगा वह जाएगा। लेकिन इस देश में जो अधिनायकवादी प्रवृत्ति है उसका हर एक जिम्मेदार नागरिक विरोध करेगा।

सभापति महोदय, माननीय प्रस्तावक महोदय और समर्थक महोदय ने इलेक्शन्स के सम्बन्ध में कहा। भारतवर्ष में कोई चुनाव निष्पक्ष हुए तो क्या यह भारत सरकार की कृपा है ? अगर निष्पक्ष नहीं हों तो महान् दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। यह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि चुनाव हों वे फेयर हों, वे ठीक हों। अगर वे ठीक नहीं हों तो सरकार के अधिनायकवाद की पराकाष्ठा है। आज कांग्रेस दल के मन में भावना है, 'एक दल, एक देश और एक नेता' तो इससे बढ़कर और अधिनायकवादी प्रवृत्ति क्या हो सकती है ? यह प्रवृत्ति पंचायती चुनावों में भी परिलक्षित है। 12 वर्ष हो गए। उधर से मेरे दोस्त पंचायत मंत्री बार बार ऐलान करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र पंचायत के चुनाव करा देंगे।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

यह थोथा आश्वासन, मृगतृष्णावत् आश्वासन देते रहे हैं। 11 साल पहले मैंने इसी सदन में पंचायत मंत्री से कहा था कि आप क्यों ऐसे थोथे आश्वासन देते हैं। अगर आपको शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लेकिन पंचायत मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा और अपना स्थान ग्रहण कर लिया। क्या यह अधिनायकवादी प्रवृत्ति नहीं है? ये पंचायतें अवास्तविक हो गई हैं। ये सरपंच और प्रधान नहीं रहे। उन्होंने लाखों रुपए बनाए। उन पर विपक्ष ने बार-बार आरोप लगाए लेकिन इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार की प्रवृत्ति और नीति यह है कि जो तथ्यपूर्ण आरोप लगाए, उनको इसने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया कि यह आरोप असफल हों और तथ्यहीन साबित हों। यह प्रक्रिया तो जनतंत्रीय नहीं है। जनतंत्र तो उस चीज को कहते हैं जहां विपक्ष को महान् सम्मान दिया जाए, विपक्ष के आरोपों की निष्पक्ष रूप से छानबीन करके और सच्चाई निकाल कर न्याय दिया जाय। अगर वह न्याय उपलब्ध नहीं है तो फिर क्या है? यह एक दल की अधिनायकवादी भ्रष्ट प्रवृत्ति है जिसकी जितनी निंदा की जाय, उतनी कम है।

मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे जिले में एक प्रधान साहब हैं। हजारों आदमी यह जानते हैं कि उन्होंने बाढ़पीड़ितों का रुपया खाया, उनको पैसा नहीं दिया। उन्होंने लाखों रुपया बनाया, उनकी जांच हुई, जांच में भी तथ्य सिद्ध होने के पश्चात् आज तक सरकार बिल्कुल मौन है। इस बात को कई वर्ष हो चुके और सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? यह तो विरोधियों ने नहीं किया है। यह तो आपके गलत आचरण का परिणाम है। यह परिवर्तन आपके और देश के लिए अच्छा है, आपको भी सीख मिली है जनता द्वारा कि आप शासन करने योग्य बिल्कुल नहीं रहे, हटो, हटो और दूसरों को शासन पर बिठाओ। जो बड़े-बड़े नेता जनता पार्टी के नाम से स्थान प्राप्त कर रहे हैं, वे भी एक दिन कांग्रेस के ही थे। उनको भी घुटन अनुभव हुई। मैं व्यक्तिगत विरोध नहीं करना चाहता लेकिन क्या यह जनतंत्र है कि 30 वर्ष की आजादी के अंदर 28 साल तक एक ही परिवार के आदमी भारत वर्ष पर शासन करते रहें। यह कहां का जनतंत्र है? मैं जवाहरलालजी को बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूं। वह महान् व्यक्ति थे। वह भारत के हृदय के सम्राट थे, यह कहा जा सकता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि एक परिवार के हाथ में 28 साल तक देश का निरंकुश शासन रहा। अब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने दोनों हाथ में लड्डू रखे। वर्ल्ड ओपीनियन के आगे उनको झुकना पड़ा। उन्होंने आपात स्थिति निवारण नहीं की, उसको रिलेक्स किया, ढीला किया और दूसरे हाथ से लोक सभा को भंग करके चुनाव के आदेश दिए। उनको स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि जनता की घुटन क्या होती है। मुंह पर तो ढक्कन लगा हुआ था और उसके अन्दर गुब्बार था। ढक्कन खुला और एकदम गुब्बार बाहर निकला। नेतागण जेल से छूटे तो स्वाभाविक बात थी कि उनके समर्थकों ने मानक

(श्री लक्ष्मण सिंह)

चौक पर एक आम सभा का आयोजन किया। यह सोचा गया कि दो चार हजार आदमी इकट्ठे हो जायेंगे, उनको फूल मालायें पहनाई जायेंगी, आम सभा खतम हो जाएगी और औपचारिक रूप से जो हमारा लक्ष्य था, उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन, सभापति महोदय, 3।। बजे जब स्कूल व कालेज खुले थे, दुकानें सब खुली थीं लोग अपने घर के काम काज में लगे हुए थे, दो घंटे के प्रचार में एक लाख आदमी आए। इसका अनुमान श्रीमती इंदिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री या किसी को भी नहीं था। इतिहास इस बात का द्योतक है। मैं कितने उदाहरण दूं? इतिहास इस बात का द्योतक है कि जनता दबाने से और कुचलने से नहीं दबेगी। जनता की शक्ति के साथ जो टकराएगा, वह टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। इसलिए हम छोटे मोटे लोग थे, उन्होंने यह अनुभव किया कि जनता की शक्ति क्या है हमने स्वेच्छा से या मजबूरी से भारत माता के नाम पर बली दे दी नहीं तो हमारे माजने कांकरे जैसे होते, देशद्रोही कहलाते और उल्लू कहलाते। आज तो आफिशियल अपोजीशन दिल्ली के अन्दर विराजमान है, मैं तो आपको इज्जत और आदर से देखता हूं लेकिन आपने कोई सत्ता विद ग्रेस छोड़ दी हो या आपके अन्दर कोई ग्रेस फूल स्पोर्टसमैनशिप की स्प्रिट हो, यह बात नहीं है। आपको चाहिये कि आप अपने में सुधार करें। अगर आपने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो आपके टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। कांग्रेस का देश में होना मैं अच्छा मानता हूं, परमावश्यक मानता हूं, लेकिन आपके कांग्रेसियों के अन्दर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस भ्रष्टाचार को आपको दूर करना पड़ेगा। आपको चाहिये कि आप अपने दोस्तों से कह दो कि वह भ्रष्टाचार को छोड़ दें। मेरा निवेदन है कि यह आपके लिये हितकर है।

सभापति महोदय, प्रस्तावक महोदय यह कहते हैं कि हमने गरीबों के लिये काम किये। हमने गरीबी हटायी। ठीक है साहब जो आप कहते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूं कि आपने गरीबी तो नहीं हटायी पर गरीबों को जरूर हटा दिया। आप देखें कि दिल्ली में तुर्कमान गेट पर कितना अन्याय किया गया। बेचारे लोगों को बेघरबार कर दिया। इतना ही नहीं यहां जयपुर के अन्दर जो यह इन्दिरा बाजार बनाया गया है, वहां पर बेचारे गरीबों के मकानों को बिलकुल बुल डोजर चला कर साफ कर दिया गया। यह तो वह काम हुआ जैसे मुगलों के जमाने में शहरों में गधों पर हल चला कर लोगों को जमींदोज कर दिया। आपने उन गरीबों के साथ क्या किया? आपने उन्हें क्या दिया? आपने उन्हें दिये धक्के और मुक्के। इसी प्रकार बड़े शहरों में क्या परिस्थितियां हुईं? आप भी आप बड़े-बड़े शहरों में जाकर देखें; बेचारे गरीब झुग्गी झोपड़ियों, सड़कों के नीचे जो पेवमेन्ट्स हैं, वहां रहते हैं। वहीं मरते हैं, वहीं पैदा होते हैं। वहीं उनके बच्चे पैदा होकर शादी करते हैं और अन्त में मर जाते हैं। क्या यही आपका समाजवाद है? क्या यही आपने अपने समाजवाद से गरीबों का भला किया? मेरे दल के माननीय सदस्य अभी कुछ देर बाद आपको इसके बारे में निवेदन करेंगे कि आपने जो जमीनों के

(श्री लक्ष्मण सिंह)

अलाटमेंट के बारे में सूचनायें लोगों में फैलायीं वह कितनी कागज पर हैं। उसकी क्रियान्विति कितनी हुई ? मैं समझता हूं कि उनकी क्रियान्विति नहीं के बराबर है, बिलकुल जीरो है। मैं समझता हूं कि या तो आपमें प्रशासन चलाने की क्षमता नहीं है या आपमें प्रशासनिक योग्यता नहीं है। है, तो आप उसे ठीक तरह से काम में नहीं ले सकते हैं या लेना नहीं चाहते हैं। जमीन का अलाटमेंट तो हुआ लेकिन कागजों में हुआ लोग लोगों को मिल नहीं रहा है। सभी कुछ पेपर कार्यवाही थी। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आपको इसको ठीक व्यवस्था से चलाना चाहिये। अगर अब आपने ठीक काम नहीं किया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। अगर अभी भी आपने अपने पद का दुरुपयोग नहीं छोड़ा अनुचित काम नहीं छोड़ा तो आपको आईन्दा चुनावों में बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिये मेरा कहना है कि आप सुधार करो नहीं तो आपकी स्थिति वही होगी जैसे:—पान खरन्ता देख हंसती कोपलिया, मुझ बीती तुझ बीतसी धीरी बापड़िया।

आपने क्या-क्या किया यह सभी जानते हैं। मुझे, सभापति महोदय, वह दिन आज भी याद आता है, यहां इसी सदन में सन् 1965 में मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान परिवार नियोजन के बारे में यह कहा था कि हमारे यहां पर परिवार नियोजन को महत्व देना चाहिये। उसको प्राथमिकता देनी चाहिये। अगर आप परिवार नियोजन को प्राथमिकता नहीं देंगे तो आपको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। यह उस जमाने की बात है जब कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी सुखाड़िया साहब थे। उन्होंने मेरी इस बात पर नाराज होकर मुझे आंख दिखायी। लेकिन वह बात सही निकली। मैंने उन्हें कहा था कि परिवार नियोजन को प्रलोभन देकर आपको बढ़ावा देना चाहिये आपको करोड़ों रुपये इसमें खर्च करने की आवश्यकता है लेकिन यह काम स्वेच्छा से होना चाहिये। आप इसमें जबरदस्ती मत कीजिये। लेकिन कांग्रेस सरकार ने परिवार नियोजन को जबरन अपना कर लोगों के साथ ज्यादतियां कीं, जबरन नसबन्दी की। इतना ही नहीं, आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने तो एक विधेयक ही बना डाला परिवार नियोजन के बारे में। हालांकि वह विधेयक अभी तक पास नहीं हुआ है विचाराधीन है। उसको स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है, वह विधेयक विचाराधीन है। अगर आप ऐसे विधेयक बनाते हैं, सभापति महोदय, वैसे तो मैं बिलकुल पार्लियामेन्टेरियन हूं लेकिन अगर इस विधेयक को बनाने के लिये मैं आपको यह कहूं कि यह एक शैतान का काम है तो थोड़ा है। आप अनिवार्य रूप से नसबन्दी क्यों लागू करने जा रहे हैं? आप कानून बना कर जो जबरदस्ती नसबन्दी करना चाहते हैं यह आपकी जालिमाना प्रवृत्ति है। यह आपका देश की जनता पर जुल्म है। आपने टार्गेट बनाये थे और उन टार्गेट्स का आपने एलान किया। इतना ही नहीं बेचारे अध्यापकों को आपने 8—8 दस दस महीनों तक तनख्वाहें तक नहीं दीं। लोगों को आपने शक्कर नहीं दी। शुगर का कोटा तब मिलेगा जब आप नसबन्दी करा

(श्री लक्ष्मण सिंह)

लें। यह कोई काम है ? सभापति महोदय, हमारे एरिया का एक कार्यकर्ता है, उसका नाम है कालूराम। सभापति महोदय, उस आदमी ने आदिवासियों की एक सभा बुलायी और उसमें नसबन्दी के सवाल पर सिर्फ इतना ही कहा था कि यह कोई जरूरी नहीं है कि आप जबरन नसबन्दी कराओ। अपनी मर्जी हो तो कराओ। तो उन लोगों ने कहा कि अगर हम नसबन्दी नहीं करायेंगे तो हमारे यहां सरकारी अधिकारी यह कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां पर कोई विकास का काम नहीं होगा। बी. डी. ओ. साहब कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं होगा। तो मेरा यह निवेदन है कि अगर आप विकास के नाम पर जबरन नसबन्दी करते हैं तो यह विकास नहीं विनाश है। तो, सभापति महोदय, उस बेचारे कालूराम को आदिवासियों के सामने यह कहने पर 'नसबन्दी कराना जरूरी नहीं' पुलिस पकड़ कर ले गयी, उसको हथकड़ी पहना कर, जबरदस्ती क्लोरोफार्म सुंघा कर बेहोश करके उसकी नसबन्दी की।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री लक्ष्मण सिंह : राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि इस तरह की जो नसबन्दी की गयी है उनकी जांच की जावे। मैं यह आवाज आपके बहरे कानों में डालना चाहता हूं कि आप अगर जनता में काम करना चाहते हैं तो आप न्याय संगत काम करें। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो आपका अन्त बुरा होगा। आपका वह दिन भी आ जायेगा क्योंकि power corrupts and absolute power corrupts absolutely जहां पर सत्ता होती है तो यह होना स्वाभाविक है, वहां भ्रष्टाचार तो होता ही है। भ्रष्टाचार होना अनिवार्य भी है यह प्रकृति का सिद्धान्त है। छोटा मोटा भ्रष्टाचार तो होता ही है लेकिन आटे में लूण डालो तब तो ठीक है लेकिन यहां तो आटा और नमक दोनों ही बराबर हो गया। यहां तो अन्धाधुन्ध की साहबी में घटा टोप का राज है।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में करीब 26 परिवार ऐसे थे जो भूतपूर्व राज घराने के थे। उनको इस इमर्जेन्सी में इस तरह से कुचला गया कि उनकी कुचल कुचल कर चटनी बना दी। बेचारों को कुचल कर रख दिया। मैं इसके लिये एक उदाहरण सदन में पेश करना चाहता हूं हमारे राजस्थान के एक भूतपूर्व रियासत के राजा कर्नल भवानीसिंह आफ जयपुर का जिसने कि अपना जीवन जोखम में डाल दिया, जिसने भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय शत्रुओं से लोहा लिया। जिसको महावीर चक्र मिला है उसको भी पकड़ करके जेल में बन्द कर दिया। उसकी माता, जो एक राजप्रमुख की धर्मपत्नी है, पकड़ करके, बन्द करके क्रिमनल्स, मर्डरर्स के साथ जेल में बन्द कर दिया। किस वास्ते ? इसलिए कि उनको इस तरह से कुचल दिया जाय, उनको इस तरह से दबा दिया जाय, कि वे कभी खड़े न हों। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आज श्रीमती गायत्रीदेवी खड़ी हो जायं तो उनके सामने श्रीमती इन्दिरा गांधी भी नहीं टिक सकतीं। इस तरह से अत्याचार से दबाने से कोई नहीं दबेगा।

यहां पर एक नाटकीय दृश्य हुआ। अलवर के महाराज कुमार प्रतापसिंह का

(श्री लक्ष्मण सिंह)
बेशक किसी ने काला बाजारी की हो तो उनका धन लूट लेते। लेकिन उनकी आबरू इस तरह से लूटना यह बदले की भावना है, उनको कुचलने की भावना है और यह डेमोक्रेसी नहीं है। It is tyranny. अलवर का प्रश्न है वह एक नाटक है। एक सम्मानीय सदस्य, नाम नहीं लेना चाहता, बराबर वहां पर इस प्रश्न को पूछते रहे, कोई सेशन नहीं जाता। बारह-बारह सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछते। मैं उस नाटक को देखता था और सोचता था कि कौनसा न्याय है कि घर का पानी बन्द कर दिया जाय, बिजली बन्द कर दी जाय। सरकार के हाथ लम्बे हैं अगर सरकार की कोई बात नहीं मानता तो उसको लूट कर दो लेकिन उसको त्रस्त, जलील और तबा करके क्यों रखा जाय। फिर मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, बहुत सों का तो यह कहना है कि जैसे बस्तर के नरेश भंजदेव को पुलिस ने जाकर मार डाला वैसा ही इनका हाल हुआ। क्या हुआ ? इसके बारे में कोई इन्क्वायरी नहीं। एक तो कालूराम का उदाहरण है। एक तरफ सैंकड़ों त्रस्त नागरिकों का उदाहरण हैं जिनकी न फरियाद है, कोर्ट में नहीं जा सकते और दूसरी तरफ 26 परिवारों की इन्फिनिटिस्मल माइनोरिटी infinitesimal minority पर प्रहार करना कौनसा न्याय है।

कांग्रेस के दोस्तों, सभापति महोदय, यह खेद की बात है। यह महात्मा गांधी की कांग्रेस है। यह कहा गया चुनाव प्रचार में कि तुम्हारी खाल खींच लेंगे, याद रखो। तुम हमारा कहना नहीं मानोगे तो तुम को जेल में बन्द करेंगे। कई एक उदाहरण ऐसे हैं कि प्रधानों और सरपंचों ने जूते निकाल कर लोगों को जूते मारे, इससे बढ़ कर के जनतन्त्र की अवहेलना और क्या हो सकती है ? इससे बढ़ करके अधिनायकवाद की प्रवृत्ति की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है ?

सभापति महोदय, राज्यपाल का स्थान है वह बहुत आदर्श स्थान है। मैं उसको बहुत इज्जत की दृष्टि से देखता हूं लेकिन आखिर वह राज्यपाल जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो वहां पर कांग्रेस दल का प्रचार करे, वोट मांगे, मेरे खयाल से यह राज्यपाल के पद के लिये अशोभनीय है। अगर कोई राज्यपाल अपनी इच्छानुसार राज्यपाल रहे, फिर चुनाव लड़ने के लिये खड़ा हो जाय, चुनाव में हार जाय और राज्यपाल की गद्दी सम्हाल ले तो यह अर्थ का अनर्थ है। यह हमारे संवैधानिक जो भी प्रावधान हैं उनके दुरुपयोग की पराकाष्ठा है।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र के लिये दो शब्द कहूंगा। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर चुनाव लड़ना भी होगा तो मैं देखूंगा, राजस्थान में एक दो स्थान मिल सकते हैं। लोक सभा के लिये भी दो एक स्थान मिल सकते हैं। मैं तो एक सिद्धान्त की बात कहता हूं। मेरे लोक सभाई क्षेत्र में 8 विधान सभाई स्थान हैं। उसमें एक ही केवल मात्र मुख्य मंत्रीजी का खाली स्थान है जहां काम हो रहा है बाकी सब स्थान पर काम बन्द है। मैं आदिवासियों का स्वागत करता हूं, उनको प्रोत्साहन देता हूं। करोड़ों रुपया आपने खर्च किया, इतना खर्चा करने के बाद भी लुटिया आपकी डूब गयी। आपके घर में ही आपकी लुटिया डूब गयी। यह आपके आश्वासनों के बाद हाल है। जिले की आबादी के 75

(श्री लक्ष्मणसिंह)

परसेंन्ट के कारण रिजर्वेशन रखा है उन पांच छः लाख आदमियों के अधिकार का हनन कर रहे हैं यह क्या लोकतन्त्रीय प्रणाली है ? ऐसा किसी जगह नहीं हो रहा है। मुझे आशंका है, मुझे शायद निकालने के लिये यह किया है। अगर ऐसा है तो उसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे आपत्ति नहीं है। मैं ही एक व्यक्ति नहीं हूं कई हजारों लाखों व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का आपने इस प्रकार हनन किया है। यह अधिनायकवादी प्रवृत्ति नहीं है तो और क्या है ?

सभापति महोदय, प्रस्तावक महोदय ने वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कहा। राज्यपाल के भाषण में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जो कुछ विवरण दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसकी क्रियान्विति में, कथनी और करनी में कितना विभेद है। लाखों रुपया आपने खर्च किया। वन महोत्सव में लाखों पेड़ लगा दिये। एक हफ्ते में ही आधे पेड़ खत्म हो जायं और छः महीने के बाद 10% पेड़ ही रहें तो यह वृक्षारोपण नहीं है, वनमहोत्सव नहीं है। यह तो एक धोखाधड़ी है और फिजूलखर्ची है। मितव्ययता का कोई ख्याल नहीं है। आपको फिजूलखर्ची का अनुभव क्यों हो ? केन्द्र से रुपया आपको मिलता है। नासिक से केन्द्र नोट छाप छाप कर आपको दे देता है यह कलदार रुपया नहीं है यह तो कागज का टुकड़ा है। कलदार रुपये की तो कीमत थी असली कलदार था। मैं विषयान्तर नहीं होकर वृक्षारोपण के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि फिजूलखर्ची को रोक कर ठोस कार्य करना चाहिये।

कहने वाले कह सकते हैं कि आर.एस.एस. और जन संघ ने महात्मा गांधी की हत्या की। यह मत मतान्तर का देश है। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने 30 वर्ष पहले कुछ किया हो उसका बड़े दल में विलय हो, आता है, तोते की रट लगायें कि दोषी है, गुनहगार है, तो मैं समझता हूं, सबसे पहली गुनहगार कांग्रेस है जिसने हमारे नागरिक अधिकारों को छीन लिया, जिसने हमारी न्यायपालिका की गरिमा समाप्त कर दी, जिसने कमिटेड ज्युडिशियरी कर दी। सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा, महिमा को हटा कर प्रधानमंत्री ब्रान्च की एक शाखा बना दें इससे बढ़ कर अवहेलना, अपराध इस देश के 60 करोड़ नागरिकों का कौन कर सकता है ? यह सोचने समझने की बात है।

मेरा यह निवेदन है कि इमर्जेन्सी काला कानून है। यह खत्म हो यह 60 करोड़ जनता की भावना थी सिवाय मेरे कांग्रेसी दोस्तों के जो चाहते थे कि यह इमर्जेन्सी रहे। दूसरा कोई नहीं चाहता था। श्रीमती इंदिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, ने बार-बार यह कहा कि इमरर्जेन्सी की उपलब्धि है शांति। we do not want this peace of grave. हमें इस मरघट की शांति की जरूरत नहीं है। जनता ने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इमर्जेन्सी में डिसिप्लिन आया है। डिसिप्लिन तो, सभापति महोदय, स्वेच्छा से जीवन की प्रणाली है, जीवन की शैली है। अगर ऊपर से आप डिसिप्लिन थोपते हैं तो एक ढंग से उसके प्रयोग करने का सरकार को अधिकार है लेकिन उसके पश्चात् अत्याचार हुए। हर एक शासन की परम्परा है, प्रकृति की परम्परा है, सूर्य और

(श्री लक्ष्मण सिंह)

चन्द्रमा की परम्परा है। उस परम्परा को जब आप छोड़ते हैं तभी वह कहलाती है अतिशयोक्ति और इसकी अधिनायकवाद लिमिट सेचुरेशन पाइन्ट तक पहुंच चुकी थी और इसी का परिणाम आप भुगत रहे हैं।

आपने हमारे बहुमूल्य संविधान की बिल्कुल चटनी कर दी। 44 बार संशोधन कर कर के उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। यह क्या कम गुनाह है? मैं यह भी सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि justice delayed is justice denied. आज जो पेन्डिंग केसेस हैं छोटी मोटी अदालतों में वह देखिये। यहां आपने हाई कोर्ट की पीठ स्थापित की, उसका मैं स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में देखिये गरीब लोगों को मीलों चलकर अदालतों में आना पड़ता है। आपको चाहिए कि अदालतें, न्यायालय, मुन्सिफ कोर्टस् आदि की जगह जगह व्यवस्था करें। एक व्लान्ड बेसिस पर और एक कमीशन अपाइन्ट करके इस संबंध में व्यवस्था करें ताकि जो वेकलॉग और पेन्डिंग केसेस हैं वह जल्दी से जल्दी निपटें और जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके।

जब इमर्जेन्सी आपने हटा दी थी तो आर. एस. एस. के स्कूलें हैं जिनको आपने अपने कब्जे में कर रखा है, उनके दफ्तर भी आपने कब्जे में कर रखे हैं, टेलीफोन के चार्जेज और किराया भी दफ्तरों का चढ़ रहा है, व्यवस्था बुरी से बदतर होती जा रही है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जो प्रतिबंध है वह हटा लिया जाये।

अब मैं थोड़ा यूनीवर्सिटीज के एग्जामिनेशन के बारे में निवेदन करूंगा। यूनीवर्सिटी, मैं मानता हूं, एक स्वतंत्र संस्था है लेकिन एक नागरिक के रूप में सदन में मुझे कुछ कहने का अधिकार है। कई छात्र तो हमारे अभी जेलों से छूटकर आये हैं। अब तमाम युवा कांग्रेस भी हवा में हो गई जिस तरह से संजय हवा में उड़ गये वैसे ही युवा कांग्रेस भी उड़ गयी। वह युवा भी आज जनता पार्टी के साथ आ गये। इसलिए आप उनको कुचलने का प्रयत्न करेंगे लेकिन वह शक्ति भी आपकी ढीली पड़ गयी है। तो मेरा निवेदन है कि यूनीवर्सिटी के इम्तिहान भी अगर 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिये जायें तो गरीब स्टूडेन्ट्स को पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और वह प्रिपेयर होकर अपना इम्तिहान दे देंगे।

शिक्षा के विषय में, मैं शिक्षा के बजट के वक्त कह सकता हूं, अभी मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि कम से कम आप कृपा करके पाठ्य पुस्तकों को हर साल बदलने की व्यवस्था छोड़ दें। मैं भी एक जमाने में स्कूल में पढ़ता था। पाठ्य पुस्तकें पन्द्रह पन्द्रह साल तक नहीं बदली जाती थीं। मुझे याद है बाप की पाठ्य पुस्तकों का लाभ बेटा उठाता था। लेकिन आज हर साल पाठ्य पुस्तकें बदली जाती हैं। 12 साल का लड़का है और उसके पास तीन किलोज की किताबें हैं। वह उनका बोझ उठा तक नहीं सकता। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। क्या यह समाजवाद है? यह भ्रष्ट अधिनायकवाद है।

पर्यटकों की सुविधाओं के लिए जो भी प्रस्तावक महोदय ने कहा वह ठीक ही है। आप फाइव स्टार होटल बनायें; उनकी भी आवश्यकता है लेकिन आप सस्ती होटलें भी बनवायें। मैं क्या कहूं आप वन स्टार बनायें.

(श्री लक्ष्मण सिंह)

टू स्टार बनायें लेकिन हमारा उद्देश्य है कि पर्यटकों का खर्चा कम हो।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं पांच मिनट लूंगा वह है आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर टोपीदार बन्दूकों की व्यवस्था के बारे में। आज तो अणु युग है। आज सरकार के पास एक सशक्त फौज है। तीन फौजें हैं—आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। आज भारत के माडर्न आर्ममेंट में टोपीदार बन्दूक की क्या बिसात है। टोपीदार बन्दूक पचास कदम पर गोली फेंक सकती है उसके लाइसेन्स के लिए हजारों आदमियों को डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि हर साल तुम लाइसेन्स लो। कई एक आदमी तबाह हो गये और परेशान हो गये, आप कहेंगे तो मैं नाम भी दे सकता हूं, खाने का भी आटा मांग कर लाये वह भी खतम हो गया तो सारी बन्दूकों को इकट्ठा करके भारा बनाकर सबों को जला दिया। और आपको लाइसेन्स की व्यवस्था करनी है तो आप करें लेकिन तीन साल के अन्दर लाइसेन्स का रिन्युअल कर दें। इसके लिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि एक आदिवासी को पांच, दस मील से ज्यादा नहीं चलना पड़े। वह सुबह को आये और एक रात रहकर दूसरे दिन लाइसेंस रिन्यु कराकर अपने घर जा सके ऐसी व्यवस्था करेंगे तो ठीक है। इससे कोई रिवोल्युशन होगा। अगर इमर्जेन्सी छः महिने और चलती तो रिवोल्युशन होता, क्रांति आती। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि गरीब लोगों के लिए लाइसेन्सिंग व्यवस्था को सुचारु बनायें, उसका इम्पलीमेन्टेशन ठीक ढंग से करें और यह आप हिदायत कर दें कि कभी भी यह प्रचार नहीं किया जाये कि तुमको लाइसेन्स तब देंगे जब कि नसबन्दी कराओगे। तुमको 15 रुपये देने पड़ेंगे यदि नसबन्दी नहीं कराओगे तो। नहीं तो एक रुपये में हो जायेगा। यह सभापति महोदय, इस तरह की बातें दिन दहाड़े देखने में आती हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस बारे में व्यवस्था ठीक तरह से करें।

भूमि के अलाटमेन्ट के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बिल्कुल टिरेनिकल है पेनल्टीज। यदि सजा भी हो तो मेंढ़क की सूई का नाम। यह किस्सा प्रसिद्ध है। एक आदमी के पास बरतन तक नहीं हैं, उसकी बकरी और भेड़ नीलाम होती हैं और थाली नीलाम होती है और पेनल्टी की वसूली ताबड़तोड़ की तरह से होती है। यह टिरेनिकल व्यवस्था है। ऐसा तो मैंने भी कभी अपनी रियासत में कभी स्वप्न में भी नहीं किया। आपके जो रूलस हैं यह डिफेक्टिव हैं। आपको चाहिए कि डिफेक्टिव रूलस में सुधार लायें। रूलस के अन्दर फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए। अगर रूलस में फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। तो मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा।

सभापति महोदय, जिस सरकार ने संविधान को बदल डाला, जिस सरकार ने इमर्जेन्सी लाने का गुनाह किया, जिस सरकार ने लाखों लोगों को जेल में बन्द किया और जिस सरकार ने जय प्रकाश जैसे सर्वोदयी नेता को जेल में बन्द किया, उस गुनाहगार सरकार के इस प्रस्ताव को मैं समर्थन कैसे दे सकता हूं? इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, आपके सामने माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है। सभी ने इसे पढ़ा है, सुना है और मनन भी किया है। इस अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव एक माननीय सदस्य ने रखा और दूसरे ने समर्थन किया उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए इसको विस्तार से समझाते हुए यहां बताया है कि किस प्रकार से एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा राज्य की जनता के हित में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से किस तरह के क्या कदम उठाये जाने चाहिये और क्या योजनायें बनाई जानी चाहिये। वे सब बनें और उनको अमली जामा पहनायें। हो सकता है जो कुछ भी कहा गया है वह थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा हो किन्तु अब तक जो माननीय सदस्य इस धन्यवाद के प्रस्ताव को लेकर बोले हैं किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कहा है कि जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसमें कोई बात असत्य है। इस से ही सिद्ध है कि कांग्रेस सरकार ने, चन कल्याणकारी राज्य ने जो कुछ भी योजना बनाईं, पिछड़े वर्गों के लिये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये और उसके साथ ही साथ सभी वर्गों के लिये योजनाएं बनाईं उन योजनाओं का उन्होंने समर्थन किया। एक दो बातें इसमें छूट गई हैं वह हमारे प्रस्ताव रखने वाले सदस्य ने भी बताईं और तसलीम किया है। मैं भी सरकार के सामने संक्षिप्त रूप से अपने विचार पेश करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सही रचनात्मक प्रवृति का द्योतक है, और यह बात नहीं है कि जो कुछ भी कहा गया है वह सही नहीं है। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भूमि के वितरण में, आवासीय भू-खण्ड देने, आवासीय भू-खण्डों के ऊपर भवन के निर्माण में सहायता करने में, इसके साथ ही साथ उद्योग धन्धों के लिये सुविधा देने के कार्यक्रम बीस सूत्री कार्यक्रम में थे। यह कार्यक्रम हमारे भारत की आर्थिक नीति के अनुरूप हैं। इसकी प्रशंसा की गई। इसका विरोध किसी ने नहीं किया। यहां भी नहीं, बाहर भी नहीं, किसी जगह भी नहीं किया बल्कि इसे सही माना है। सही मायने में भारत सरकार को चलाने वाली कांग्रेस जमात ने हिन्दुस्तान की सही नब्ज पकड़ी और इसने सही इलाज किया। ज्यादातर लोग देश में गरीब हैं। पैसे वाले लोग कम हैं। उनके द्वारा संचालित जो कारखाने हैं उनकी व्यवस्था में मजदूरों का हिस्सा हो, उसके साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, स्मृति बढ़े, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बहुत से कार्यक्रम चालू किये हैं। सभी ने प्रशंसा के पुल बांधे हैं। यह कहा जाना कि कांग्रेस ने इमर्जेन्सी लगाई, कांग्रेस ने कान्स्टीट्यूशन में 42 वां संशोधन कर के इसको रौंद डाला। यह महारावल साहब कह सकते हैं क्योंकि इस संविधान के द्वारा महारावल जैसे महाराजाओं के विशेष अधिकार छिन गये। गरीबों के हित में छीने गये इसलिये उनको नाराजगी हो सकती है। मैं मान सकता हूं। परन्तु संविधान को रौंदा है, यह नहीं कह सकता। संविधान में 42 बार नहीं, अनेक बार संशोधन किये जायेंगे। ज्यों ज्यों समाज को जरूरत बढ़ेगी; उन जरूरतों को पूरा

(श्री दीपंकर)

करने के लिये लाजमी बात है उसे बदला जायेगा। सब जानते हैं सर्विस क्लॉस ने मौज की, पैसे वालों ने मौज की। वह मौज कम करने के लिये इस संविधान को बदलना पड़ा। जो बैंक थे, पूंजीपतियों के बैंक थे उन बैंकों को गरीबों के लिये लेना पड़ा। क्यों यह महारावल साहब भूल जाते हैं? क्या यह भूल गये जब इलेक्शन हो रहा था, चितौड़ से खड़ा होना चाहते थे लेकिन हो नहीं सके? जनता पार्टी के नाम की जीत मैं नहीं मानता। यह जनता की जीत अवश्य है लेकिन इन पूंजीपतियों ने, सरमायेदारों ने, इन काला बाजारियों ने चुपके चुपके धन दिया। पैट्रोल दिया। अकाल के समय कभी पूछने नहीं आये, जो कभी मलेरिया के समय, दवाई की एक गोली देने नहीं आये, जो कहीं पानी, सड़क, बिजली व अन्य तरह की सुविधायें देने के लिये गांव में नहीं आये वह कांग्रेस को गाली देने आये। लोगों को कभी गाय के नाम से, कभी कोई नाम से और इस बार नसबन्दी के नाम से गुमराह किया कि ++ इन्दिरा हटाओ। इस तरह के कितने ही अश्लील तरीकों से इस हिन्दुस्तान की संस्कृति को बदनाम किया। यह जनता पार्टी की जीत नहीं है। उसने तो लोगों को गुमराह किया है। यह लोगों की जीत है। आज क्या हो रहा है? आज दिल्ली की तरफ नजर लगायें। हिन्दुस्तान का पूंजीपति, हिन्दुस्तान को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने के लिये, हिन्दुस्तान का प्राईम मिनिस्टर बन गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं इसमें कुछ बुरा है कुछ भला है। यह जमाने की हवा थी जैसी कहा, यह सही बात थी कि चुनावों मे कई चीजें काम में ली जाती हैं, कोई बात नहीं है लेकिन असत्य का ढोंग नहीं किया जाना चाहिये। भोले भाले लोग गांवों में रहते हैं, वे अशिक्षित हैं लेकिन कभी आकर अशिक्षा दूर करने के लिये कोई पाठशाला नहीं खोली; लालटेन का एक छोटा सा दिया जलाकर कभी दस्तखत करना नहीं सिखाया। उन लोगों के पास जीपों में पैट्रोल फूंकने के लिये कहां से आया? कभी भगवा झण्डा, कभी राम राज्य परिषद् का झण्डा, कभी जनता पार्टी का झण्डा लेकर आये। कौन हैं ये लोग? दो महीने का समय चाहिये, जनता अपने आप देख लेगी कि ये दोस्त हैं या दुश्मन हैं। इसका पता चल जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से जो बातें कही जाती हैं और आज जो खुशी मनाई जाती है वह गलत है। यह ज्यादा समय नहीं चलने वाली है। कांग्रेस इस तरह निरकुंश हो गई, और स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नारा महारावल साहब के मुंह से शोभा नहीं देता है। वे अंग्रेजों के जमाने में जी हुजूरी करते थे। अगर यह नारा दिया तो हमारे लोक मान्य तिलक ने दिया और वह कांग्रेस के प्लेटफार्म से दिया। यह नारा दिया कि स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिये यह कहने का अधिकार कांग्रेस को है। किसी राजा महाराजा को नहीं जिसने मनमाने तरीके से जो कह दिया वह कानून बन गया। उन्हें बुरा लगता है कि कांग्रेस ने राज्य बदल दिया और गरीबों के हित में बदल दिया इसलिये वे गरीबों को

++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाली गई।

(श्री दीपंकर)

बहकाने के लिये ऐसी बातें करते हैं लेकिन जमाना उन्हें बखसेगा नहीं। माननीय सदस्य जानते है कभी जनसंघ की सीट से आकर बैठते हैं तो कभी निर्दलीय होते हैं। एक एक आदमी गिरगिट की तरह कितने रंग बदलते है लेकिन आखिरकार अपना मुंह शीशे में देखे वे क्या हैं ? वे पावर के भूखे हैं। वे पावर लेकर सब कुछ करने को तैयार हैं।

मैं यह मानता हूं कांग्रेस पर लांछन लगाने की बात बिलकुल असत्य और निराधार है। कांग्रेस ने सी. पी. आई. के सहयोग से इस हिन्दुस्तान को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, समाजवाद के आधार पर चुन कर आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

श्री केदारनाथ : उनको भी बख्शा नहीं।

श्री दीपंकर : जिन लोगों ने इस रास्ते को रोकने की कोशिश की है और देश को आगे बढ़ने से रोका है वे इस देश के दुश्मन माने जायेंगे और तब मालूम होगा कि सही रास्ता कौनसा था। जिन पूंजीपतियों ने अपनी पूंजी के प्रभाव से अपनी शान शौकत दिखाने की कोशिश की है वे सबसे बड़े गद्दार माने जायेंगे। उन्होंने यह कहा कि हिन्दुस्तान में इमर्जेन्सी लगाई गई वह दिन 'काला' दिन माना जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि 19 मार्च का दिन हमेशा हमेशा के लिये याद रहेगा। गरीबों पर जबरदस्त कुठाराघात होने वाला दिन माना जायगा और इसको भुलाया नहीं जा सकता। आगे आने वाले जमाने में लोग समझेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिराजी गई तो यह कह रहे हैं कि राजस्थान में राजा महाराजाओं को बन्द कर दिया। वे आज किसकी वकालात करते हैं ? वे आंसू बहा रहे हैं महारावल साहब की कान्स्टीट्यून्सी खो गई। उनको भी जगह मिलनी चाहिये थी परन्तु नहीं मिली। जिन राजा-महाराजाओं के लिये कहा गया सब गलत कहा गया है। इन्होंने कहा, राजपूतों की रानी गायत्री देवी और भवानीसिंह, जिन्होंने हिन्दुस्तान की फौज में बड़ा भारी काम किया, जेल में डाल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं जो हिन्दुस्तान की जनता के साथ धोखा करता है, विश्वासघात करता है, हिन्दुस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं क्या उनको आप बख्शना चाहते हैं और उनको जेल के अन्दर नहीं डाला जायगा तो क्या उनको हार पहिनाया जायगा। क्या वे चाहें जैसे अपने अधिकारों का प्रयोग करलें ?

मैं माननीय सदस्यों का समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं। माननीय सदस्य जानते है कालेजों में इम्तहान देने के लिये हमने विद्यार्थियों को भेजा है, पढ़ाई करने के लिए भेजा है। वे पढ़ाई न करके असेम्बली की तरह सेक्रेटरी और प्रेसीडेन्ट का इलेक्शन करते थे और नकल करते थे। अपनी टेबल पर छुरा भोंक कर कहते थे कि नकल करना हमारा अधिकार है। क्या इस प्रकार की बातें उचित है ? विद्या में नम्रता होती है उस विद्या में उद्दण्डता कहां से आई। पुलिस अधिकारियों से कह दिया कि तुम अपने कमान्डर का कहना न मानो, क्या यह अराजकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं

(श्री दीपंकर)

आर. एस. एस. और जनसंघ ने ही महात्मा गांधी की हत्या की। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां ऊंट ऐसा मवेशी होता है जो 12 साल बाद बदला लेता है। यह वही व्यक्ति हैं जिनके हाथ महात्मा गांधी के खून से रंगे हुए हैं और वो आज गरीबों को बहकाते हैं। ये वे उन भोले लोगों को आज बहका सकते हैं लेकिन कांग्रेस कभी उनको बख्शेगी नहीं। कांग्रेस जानती है अपने दोस्त और दुश्मन को।

इमर्जेन्सी इसलिए लगाई गई थी कि देश के टुकड़े टुकड़े न हों, देश में एकता बनी रहे। इमर्जेंसी से देश में पढ़ाई हुई, इमर्जेन्सी से देश में उत्पादन बढ़ा है, इमर्जेन्सी से देश में अव्यवस्था खतम हुई है और अव्यवस्था ही नहीं बल्कि देश में अनुशासन आया है, यह सबने स्वीकार किया है और आज तक माना है। यह कहना कि इमर्जेन्सी लगाकर तमाम हिन्दुस्तान को जेल में डाल दिया, बड़ी अजीबोगरीब सी बात लगती है। मैं पूछना चाहता हूं कौन जेल में गया? जो इस देश के अन्दर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रान्त के नाम पर इस देश के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते थे वे जेल में गये हैं।

मैं अस्पताल में भर्ती था, ज्योतिर्मय बसु भी अस्पताल में थे। वे मुझ से मिलने आते थे। हमारी दोनों की आपस में वार्ता चलती थी। मैंने पूछा, आप कलकत्ता में थे और कर्त्ताधर्ता थे, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो आपने वह कौन सा नाटक रचा कि रवीन्द्र सरोवर जैसा भयंकर काण्ड हुआ? हर एक की बहिन बेटियां वहां पहुंची और लाइट गुल कर दी गई और उन बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। किसी के साथ क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ। यह क्या नाटक किया? इसके पीछे क्या राज है? उन्होंने कहा, हम तो यह मानते है कि बन्दूक की नोंक पर ताकत आती है। लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया इतने वर्षों के इतिहास में यह नहीं बताया जा सकता है और जनता पार्टी के गठन करने वाले लोग इसी को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। क्या हिन्दुस्तान में फिर वही हालत करवाना चाहते हैं? क्या वे पसन्द करते हैं? जिन महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, अहिंसा के द्वारा आजादी दिलाई; बिना लड़ाई किए, बिना गोली चलाए आजादी दिलाई, गोली मारने का षडयंत्र रजवाड़ों के महलों में हुआ, उनको बिना लाइसेंस की पिस्तोलें दी गईं यह सारी बातें हिन्दुस्तान का नौजवान क्या भूल सकता है। हिन्दुस्तान का नौजवान जमाने को देख कर चलेगा। जो यह कहते हैं कि बहुत से युवक कांग्रेस से निकल कर चले गए और जनता युवक मोर्चा बना लिया है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे होते हैं जो गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं। युवक कांग्रेस का संगठित मोर्चा बनाने की कोशिश की गई जिससे देश का नौजवान किसी तरह से निर्माण के कार्य करें। युवक कांग्रेस में भटके हुए लोग साथ में आए थे। हमने निमंत्रण दिया था मगर गिरगिट के समान रंग बदल कर धोखा देने वाले आये और वापिस चले गये तो ये वही लोग थे जो तोड़ फोड़ की नीति अपनाना चाहते थे, साम्प्रदायिक नीति अपनाना चाहते थे और वे ही लोग चले गए हैं। इस देश के अन्दर बहुत सी जातियां हैं, बहुत से पढ़े-लिखे लोग

(श्री दीपंकर)

हैं, वैज्ञानिक लोग हैं जिनको कांग्रेस ने आज इस स्थिति में पहुंचाया है। इस मुल्क के कर्णधारों ने कितने वैज्ञानिकों को बाहर भेजा है, कितने शिक्षकों को बाहर भेजा है, कितने साईन्टिस्टों को ऊपर उठाया है। जहां पहले यहां पर सुई तक नहीं बनती थी उसकी जगह अणु परमाणु बनाने के कितने ही काम हुए हैं, देश का निर्माण हुआ है। आज सारी बातों को भुला कर यह कहना कि उनके यहां नाली नहीं बनी, इस तरीके से ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उनको रोटी नहीं दी, ऐसा हुक्म नहीं दिया वैसा हुक्म नहीं दिया यह उचित नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस भाषण के अन्दर जो बातें कही गई हैं वह शत प्रतिशत सही हैं। इसका मैं समर्थन करता हूँ और प्रस्तावक महोदय ने जिन शब्दों में इस भाषण का समर्थन किया है और धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है मैं इसका अनुमोदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी कहा जाता है वह महज इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस के लोगों की भी नाराजगी है। आज राजस्थान के अन्दर कोई कह दे कि दिल्ली में हुकूमत दूसरी है और राजस्थान में वही है, यह ठीक नहीं है। हम जानते हैं, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में बराबर चिंतन करते रहेंगे और यहां की जनता के कल्याण के लिए बराबर कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर दिल्ली के नाम पर हव्वा खड़ा करने का मकसद पूरा नहीं होगा। हमारे नेता हरिदेव जोशी हैं। वे जो कुछ भी रास्ता अपनायेंगे हमारा दल, हमारे दल की फौज उनके पीछे है। हम बराबर आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरे राज्यों के मुकाबले बराबर प्रगति पर आगे बढ़ते रहेंगे। हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे चाहे जनता के सामने दुबारा जाना पड़े। हम पहले भी गए हैं और आगे भी जायेंगे। हम नहीं कहते लेकिन कई लोगों ने उलाहना दिया है कि हमारी सर्विसेज किस तरह की है, जिसका नमूना है, राजस्थान की राजधानी जयपुर की सीट का। यह वही सर्विस क्लास है जिसके लिए हमने सब कुछ किया है, हमने सारी फैसेलिटिज उनको दी है लेकिन सर्विस क्लास का क्या रुख है यह काउंटिंग उसका रिजल्ट है। सर्विस क्लास में छुपे हुए हैं साम्प्रदायिक लोग, आर.एस.एस. के लोग इसी तरीके से जातिवादी लोग हमारे में घुसे हुए हैं, सर्विसेज में घुसे हुए हैं। उनको छांट कर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज उनके सामने इस देश की महान तस्वीर नहीं है। उनके सामने भारत माता का चित्र नहीं है, राजस्थान की प्रगति की नहीं है, गरीबों के कल्याण की बात नहीं है, भूमिहीनों का सवाल उनके सामने नहीं है। उनके सामने कोई जो बीमार हैं बेकार हैं उनकी समस्या हल करने का प्रश्न नहीं है। उनके सामने तो इतनी ही बात है, हम जो अच्छे कानून बनाते हैं, जो हम गरीबों को बराबर रखना चाहते हैं उसको वे पसन्द नहीं करते हैं। वे फेल करना चाहते हैं, दिवाला निकालना चाहते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस तरह की नीति सरकारी कर्मचारियों की है, जो ले डूबे हैं। इसलिए हमको चाहिये कि कम से कम ऐसे लोगों को अलगकरें···

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री दीपंकर : समाप्त कर रहा हूं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में चिंतन करें,

(श्री दीपंकर)

देखें, जिनके हित में हम काम करते हैं, जिनके इंट्रेस्ट में काम करते हैं, जिनको हम भाई समझते हैं वे किस तरह से काम कर रहे हैं।

जहां तक सवाल नसबन्दी का, एक हव्वा खड़ा कर दिया गया है। यह कहा गया है कि यहां पर नसबन्दी कर दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसी को बुखार चढ़ा हुआ है। उसको डाक्टर को न दिखा कर कहा जाय कि घर पर चलो, तुम्हारे को राबड़ी पिला देंगे, छाछ पिला देंगे और बुखार उतर जाएगा दवाई मत लो तो भी वह कहता है कि नहीं दवाई लूंगा। आज का जमाना है उसके अनुसार डाक्टर की दवाई लूंगा। उसी तरह से वह खुद जायेंगे डाक्टर के पास जब उनका परिवार बढ़ जायगा और कहेंगे कि मुझे आपरेशन करवाना है। दूसरा कहेगा कि आज मत कराओ, कल कराना और वह कहेगा कि नहीं मैं तो आज ही कराऊंगा, डाक्टर ने टाईम दिया है। जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है, कानूनी रूप देने की बात कही है। तो फिर भोले-भाले लोगों को बहका कर वोट प्राप्त कर लेना, युवक कांग्रेस और इन्दिरा गांधी को तानाशाह बताना और यह कहना कि इस तरीके से यह कर दिया वह कर दिया, यह सब बिल्कुल असत्य है, कतई गलत है।

एक बात लास्ट में और कहना चाहता हूं। हमारे देवकान्त बरूवा, हमारे अध्यक्ष ने कहा था, 'सम्भवामि युगे युगे'। जब जब भी पाप बढ़ता है तो युग पुरुष के रूप में भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। तो यह मान कर चलना चाहिए कि यह हिन्दुस्तान की आजादी को 27 वर्ष हो गये हैं। इन 27 वर्षों में कितना कुछ हुआ है। गांवों में रहने वाले भंगी हैं, रेगर हैं, चमार-सांसी हैं, ढोली हैं, डोम हैं, बणजारे हैं, उनके लिए कहा जाता था कि तुम मकान मत बनाओ, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था मत करो, दवाइयों की व्यवस्था मत करो, उचित तौर पर इनको सम्मान मत दो जिस तरह से हुकूमत चल रही थी उसमें बड़े बडे सेठ-साहूकार कांग्रेस की धर्मशाला में घुस गये। बड़े-बड़े राजा-महाराजा और उनके दलाल कांग्रेस के अन्दर घुस गये और वही जीत कर आये और बड़े-बड़े अच्छे प्रस्ताव और कानून पास किये। वह इन्दिरा गांधी ही थीं जिन्होंने कांग्रेस के घोषणा-पत्र में घोषित किया कि यह राज्य चन्द आदमियों के लिए नहीं गरीब आदमियों के लिए है। मुझे वह दिन याद है जब हम बम्बई में एक जगह चाय पीने गये तो उन्होंने कहा कि आपकी इन्दिरा गांधी का क्या है। पहले जवाहरलाल नेहरू आते थे तो बड़े बड़े झाड फानूसों वाले बंगलों के अन्दर, सेठ साहूकारों के यहां ठहरते थे और इन्दिरा गांधी झोंपड़ियों में ठहरती हैं। यह इन्दिरा गांधी का ही प्रोग्राम है कि इन तमाम गरीबों को ऊपर उठाने का, गरीबों की तरक्की करने का, उनके अधिकारों की रक्षा करने का सारा का सारा प्रयत्न किया गया है। ये पूंजीपतियों के दलाल और चौकड़ी हैं, इनका काम किसी तरह से देश के अन्दर छोटे लोगों को दबाए रखना, गरीब आदमियों को दबाए रखना ही है। मैं समझता हूं कि इससे हिन्दुस्तान पीछे हटेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हिन्दुस्तान के लिए यह कहना कि यहां क्रांतिकारी आन्दोलन हो जाता, मैं कहता हूं कि आन्दोलन अब होगा। मैं कहता हूं गरीब आदमी आन्दोलन अब करेंगे।

(श्री दीपंकर)
अगर इस तरीके को तोड़ कर बदलने की कोशिश की गई तो गरीब आदमी आन्दोलन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री दीपंकर ने अपने भाषण में XXX जो शब्द का प्रयोग किया है, उसको कार्यवाही से हटाया जाये।

श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में कुछ शब्द मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने बजट सत्र का उद्घाटन करते हुए चुनाव की चर्चा की है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि शान्तिमय तरीके से सम्पन्न हुए हैं। सभापति महोदय, इस अभिभाषण के सम्बन्ध में जो उपलब्धियां हमें पिछले वर्ष मिली हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा। साथ ही जो बातें इस सदन के सामने आयी हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं आदरणीय महारावल साहब का भाषण ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने इमर्जेन्सी के बारे में जिस दिन जो घोषणा हुई उसे ब्लैक डे कहा है। मैं, सभापति महोदय, अधिक समय नहीं लूंगा, मैं थोड़े में यह कहना चाहता हूं कि एमर्जेन्सी क्यों लगाई गई। एमर्जेन्सी क्यों लागू की गई यह सारे संसार को मालूम है, राजस्थान के हर व्यक्ति को मालूम है, एक ऐसा समय आ गया था, ऐसी अराजकता आ गयी थी जिससे ला एण्ड आर्डर मेण्टेन नहीं हो सकता था। कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई जिससे एमर्जेन्सी लगानी पड़ी मैं मान सकता हूं और समझ सकता हूं कि एमर्जेन्सी से कहीं कुछ हानि हुई होगी। कहीं दबाव भी हुआ होगा। लेकिन जब हम देश का हित देखते हैं तो पार्टी का हित राष्ट्र हित के आगे नगण्य है। राष्ट्र हित के लिए इमर्जेन्सी का लगाना आवश्यक था। उन्होंने इसे अधिनायकवाद कहा है, ऐसा उन्होंने भावुकता में कहा है। मैंने उनको इस प्रकार भावुकता में कम ही देखा है। उन्होंने इसे विद्रोह की संज्ञा दी। ऐसा उन्होंने भावुकता में कहा है। मैं मानता हूं, हमें देश में शान्तिमय तरीके से चलना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस समय के उन हालात को देखते हुए आपातकालीन स्थिति लागू करना आवश्यक था। माननीय सभापति महोदय, आज के युग में आवश्यक है। जमाना बदल रहा है। Change is the law of nature. Time and trade never waits for any one यह कभी रुका नहीं है। इस आधार को देखते हैं तो मैं यह मानता हूं कि यदि कोई ऐसी नीतियां हैं, ऐसे परिवर्तन हैं जो देश के विकास में बाधक हैं तो उनको हटाएं। यह नहीं हो सकता है कि उन्हीं पुरानी नीतियों पर चलें और आगे आने वाली चीजों को रोक दें। इसलिये प्रगतिशील नीतियों के आधार पर जो करोड़ों लोग संतप्त हैं, दबे हुए हैं, उनकी स्थिति को बदलने का प्रयत्न किया गया है। सभापति महोदय, यह भी बहुत आवश्यक था।

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाली गई।

(श्री औंकार लाल चौहान)

सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ रहा था राज्यपाल महोदय ने सभी उपलब्धियों का जिक्र किया है लेकिन परिवार नियोजन का नहीं किया ?, क्या कमजोरी आ गयी है परिवार नियोजन में कि इस का इस डाक्युमेंट में जिक्र नहीं किया गया है ? हो सकता है, इसमें कुछ गलती हो लेकिन खानदानी मंसूबाबन्दी परिवार नियोजन, यह तो आवश्यक है। कोई कितना ही शक्तिशाली देश हो जब तक परिवार नियोजन का कार्यक्रम उसके सामने नहीं होगा तब तक वह शक्तिशाली नहीं रह सकता। नेपोलियन के सामने यह प्रश्न आया था। It was one of the reason of his down fall. आबादी बढ़ती जा रही थी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था फूड के लिए। It was the main reason of the down fall of Nepolean empire. यही कारण था कि आपात्कालीन स्थिति लागू की गई है। आज आप पाकिस्तान, अमेरिका, इंगलेण्ड कहीं भी देखें। आपको यह देखना पड़ेगा जिस चीज को हम करना चाहते हैं, वह अच्छी होनी चाहिये, सही होनी चाहिये, स्वेच्छा से होनी चाहिये। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, आप स्टर्लाइजेशन की बात करते हैं कुछ दिन पहले चरणसिंह ने यह कहा है, जनता पार्टी का राज आ गया तो वह इसको कानूनन अनिवार्य करेगी कि तीन बच्चों के बाप को कम्पलसरी आवश्यक रूप से परिवार नियोजन कराना होगा। सभापति महोदय, गलती जो एक आदमी कर दे उसे दुहराना नहीं चाहिये। ठीक है, विरोधी पक्ष विरोध की बात कहता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जनतन्त्र का सिद्धान्त है, डेमोक्रेसी का सिद्धान्त है, विरोधी पक्ष मजबूत हो, यह एक डेमोक्रेटिक कन्वेशन है, परम्परा है। लेकिन जो राज आ रहा है, वह क्या कम्पलसरी स्टर्लाईजेशन करेगा। महारावल साहब ने कहा है, मैं निवेदन करूंगा कानून से देश को इस प्रकार से नहीं बांध सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को राहत मिली है हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से और प्लाट्स के अलाटमेंट के माध्यम से। कहीं कहीं गलतियां हैं, उनको दूर करना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जब भी कोई कानून व नियम बने तो वह सही ढंग से लागू होने चाहिये। इसी प्रकार से रोस्टर प्रणाली के बारे में कहा गया है, वह भी सही रूप में लागू नहीं हुई है। मैं चाहता हूं छोटी जातियों को पूरे तौर से संरक्षण दें। आखिर में जिक्र किया गया है, 9 लाख 13 हजार परिवार जनजाति के हैं उनकी सहायता के लिए। कार्यवाही की जा रही है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से दो दो रुपये चन्दा किया है, सोसाइटी बनाई है फिर भी इनके मकान नहीं बने। इसलिए व्यवस्था उतनी ही करनी चाहिये जितना हमारे पास प्रावधान हो, जितना हमारे पास बजट हो, जितना रुपया हो उसी के आधार पर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे हमारी तस्वीर सही तरीके से सामने आयेगी।

सभापति महोदय, कोटा में थर्मल पावर प्लान्ट के सम्बन्ध में भी जिक्र किया गया है। हाइडल पावर पर जोर आता जा रहा है

(श्री ओंकार लाल चौहान)
इसको सब्स्टेन्शियेट करने के लिये, उसको हलका करने के लिये जो काम किया गया है उसको सबसे पहले करना पड़ेगा। यह बहुत ही खुशी की बात है इससे देश को काफी लाभ होगा।

इण्डस्ट्रियलाइजेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जिनमें पूरा औद्योगिकरण नहीं हुआ है। मैं अपने कोटा डिवीजन की बात करना चाहता हूं। झालावाड़ जिला इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किया गया है लेकिन वहां पर काम होना चाहिये था, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहां कुछ भी काम नहीं हुआ है। वहां पर तीन चार सालों से कुछ अमला भी रखा हुआ है लेकिन लघु उद्योग या किसी प्रकार का उद्योग लगाने की बात नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने की बात करे।

इसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बात कही गई हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन यह निवेदन करना चाहूंगा। इसमें यह बताया गया है कि 1976–77 में शिक्षा-व्यय 84.84 करोड़ रुपये हो जायगा लेकिन कोई अधिक ध्यान शिक्षा की उन्नति की ओर नहीं दिया गया है। आज भी 71 की जनगणना के अनुसार 8.4 पर्सेन्ट रेट आफ लिट्रेसी है, महिलाओं की संख्या भी कम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जायगा तो जनता की अधिक सेवा हो सकेगी।

इसी के साथ साथ परिवहन साधनों को बढ़ाने और 40 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का जिक्र है। यह एक अच्छी पालिसी है। लेकिन इससे लोगों को राहत मिले और उनकी असुविधायें कम हों इस तरह का प्रयास होना चाहिये। आज बसों की प्रोपर मेन्टीनेन्स नहीं है और लोगों को कई प्रकार की दिक्कतें हैं जिससे लोगों को तकलीफें होती हैं। सरकार एक नीति बनाती है, देश के हित में, जनहित में लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जनहित न होकर उस नीति से लोगों को तकलीफ पहुंचे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पालिसी बनायें नेशनलाइजेशन की उसका स्वागत है, लेकिन प्रोपरली इम्प्लीमेंट तो होनी चाहिए, बसेज ठीक प्रकार से चलनी चाहिए, कहीं कहीं तो कई घंटे लेट पहुंचती हैं। जो मशीनरी सरकारी इसमें हैं उसको टाइट करने की जरूरत है?

अभी रोड्स की जब मांगें आयेंगी तब मैं निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राज्य में इसका सर्वे करा कर योजना बनानी चाहिए और प्रायोरिटी के आधार पर उस पर अमल होना चाहिए।

एक बात और कहकर मैं समाप्त करता हूं। आज राजस्थान में बहुत सारे छोटे-छोटे नाले और नदियां हैं, उनका उपयोग होना चाहिए। लिफ्ट इरिगेशन की बात आई है, उसका प्रोपर सर्वे होना चाहिए, सारे राजस्थान में प्रोपर सर्वे किया जाना चाहिए कि कहां-कहां पर इसके सोर्सेज हैं। जहां पर छोटे-छोटे नदियां और नाले हैं उनको बांधकर कृषि में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

Page No 78

(78)

(श्री ओंकार लाल चौहान)

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री विट्ठल भाई !

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : सभापति महोदय, अभी जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, उससे मुझे ज्ञात हुआ है कि चुनाव शान्तिपूर्ण रहे यह अच्छी बात है ठीक है, मैं भी मानता हूं, चुनाव शांतिपूर्ण रहे। एक बात जरूर है कि जो कुछ कहा गया है वह पूरा ठीक नहीं है। कई जगह कांग्रेस की ओर से इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा चाहे ऊपर के नेताओं की राय हो या नहीं हो, झगड़े हुए। ऊपर की तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बांसवाड़ा जिले से आता हूं, वहां पर काफी झगड़े इनके कार्यकर्ताओं ने किये, पत्थरबाजी की, मीटिंगों में नारेबाजी की, कई को ठोका, कई के सिर भी फूटे। यह हमारी तरफ की बात है जिधर मैं रहता हूं, जापुरा गांव है, वहां पर कुछ पिछड़े हुए आदिवासी और हरिजन लोग रहते हैं, कुछ चमार थे उन्होंने जनता पार्टी को वोट दिया कुछ कार्यकर्ता, हालांकि आदिवासी हैं, मुझे कहा जाकर उन हरिजनों के घर पर उनकी बुरी तरह से पिटाई की और उनको कहा कि तुमने क्यों कांग्रेस को वोट नहीं दिया, हमारे कहने पर नहीं चले, गांव से बाहर चले जाओ हम नहीं रहने देंगे। आदिवासियों की बस्ती है, हरिजन लोग हैं, भंगी बहुत कम हैं वहां पर उनको बहुत परेशान किया, एक चमार का तो सर फूट गया। 17 तारीख की बात है मामला पुलिस में दिया, वहां पर इत्तला दी, तो उनकी बुरी तरह से पिटाई की कि जनता पार्टी को वोट क्यों दिया ? मैंने कहा रिपोर्ट कर देना। वह आदिवासी थानेदार के पास थाने में गये और कहा तो उल्टा उन पर इल्जाम लगा दिया कि रात में जा रहे थे, चमार आये तो मेरे 1100/– निकाल लिये। उल्टा इल्जाम लगाया। मैंने थानेदार को कहा कि उसके घर पर क्यों गये और और झगड़ा क्यों हुआ। उन्होंने कहा झूंठी बात है, इल्जाम लगा रहे हैं। इस तरह यह बात गलत है, कोई झगड़ा नहीं हुआ, पिटाई नहीं की। यह साफ झूंठ है।

दूसरी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो भूमि बांटी गई, जमीन बांटी गई, उसके सम्बन्ध में मेरे से पहले महारावल साहब भी बोल चुके हैं, कि वह खाली कागजों में है। हो सकता है और जिलों में दी हो, लेकिन बांसवाड़ा जिले में अभी तक एक इंच भी खेती करने के लिए नहीं दी गई है, खाली आंकड़े बता दिये उन्हें मैं नहीं मानता हूं। दूसरी बात जो मकान के लिये प्लाट्स दिये गये, तो हमारे जिले में तो देने का सवाल ही नहीं है। थोड़े बहुत दिये हैं, उसके साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि हम प्लाट्स दे रहे हैं और चार हजार और कर्जा देंगे जिससे आपके मकान बन सकेंगे। लेकिन एक भी आदमी को कर्जा नहीं मिला, न कोई मकान पक्का बना। तो वह भी जो कहा गया है उसे मैं झूठ साबित करता हूं। आप कहते हैं गरीबों को आगे लायेंगे उसके लिए बीस सूत्रीय कार्यक्रम है। इसके दौरान 19 महीने इन नेताओं को

(श्री विट्ठल भाई)

जेल में रखा और अपने संगठन वाले और लालच के लिये बोलने वाले बाहर रखे जो दबाकर जनता को कह देंगे कि तुमको जमीनें दे रहे हैं, प्लाट्स दे रहे हैं और आसानी से जीत जायेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि आपने जो कार्यक्रम रखा वह करते तो जनता ने जो आज फैसला दिया वह नहीं दीखता।

नसबंदी के विषय में मेरा निवेदन है कि ठीक है, आपने अनिवार्य नहीं किया लेकिन अनिवार्य से ज्यादा अत्याचार हुआ बांसवाड़ा जिले में। जोशीजी का गांव भी वहां पर है। क्या किया नसबंदी में ? सबसे छोटा जिला डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। वहां पर 11 हजार लोगों को, आदिवासियों को पुलिस के जरिए पकड़ पकड़ कर नसबंदी की मेरे गांव में थानेदार व डीवाई. एस. पी. ने जबर्दस्ती नसबन्दी करवाई। कुशलगढ़ में थानेदार व डीवाई. एस. पी. ने जबर्दस्ती करवाई। आप कहते हैं कि लोगों ने खुशी से करवाई। ठीक है, फार्म आता है डाइरेक्टर के पास से, उसमें लिखवाते हैं कि खुशी से नसबंदी करवाई, फार्म पर अंगूठा लगवा दिया लेकिन एक भी आदमी ने खुशी से नहीं करवाई।

एक किस्सा मैं और सुनाता हूं। मैं घोटाल गया था चुनाव के दिनों में। एक गांव है, रास्ते में रात भर ठहरा। नसबंदी के बारे में लोगों ने कहा कि ज्यादतियां कीं। उन्होंने कहा कि एक आदमी यह बैठा हुआ है। उसने कहा मेरी हालत खराब हो गई। जब से नसबंदी कराई तब से बीमार हो गया। उसने कहा, मेरे साथ जबर्दस्ती तो की ही लेकिन मेरे पर 150) रु. जुर्माना कर रखा था, पैनल्टी लगा रखी थी। तो मेरे पास पटवारी व सरपंच आए और कहा कि तुम्हारी पैनल्टी माफ करवायेंगे और जमीन तुम्हारी एलाट करवा देते हैं, हमारे साथ चलो। उनके साथ गया तो नसबंदी करवा दी। उसकी दो औरतें थीं, दोनों औरतों से पूछा, उन्होंने कहा करवा दो, उसने नसबंदी करवादी। उसके 4 दिन बाद पटवारी आया और कहा कि 150) पैनल्टी के दो नहीं तो तुम्हारी कुर्की करते हैं। उसी समय मैंने 150) लेकर जमा करवा दिए। मैंने उनसे पूछा कि जमीन तुम्हारे नाम से हो गई ? सरपंच व पटवारी से उसने पूछा था तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जरूरी थोड़े ही है कि जमीन तुम्हारे नाम हो जाये, अभी कैसे हो जाएगी ? तुमने जबरदस्ती कब्जा किया है तो नहीं होगा। तो आप जमीन नहीं दे सके, पैनल्टी माफ नहीं करवा सके। उसने घर पर नौकर रखा है, क्योंकि वह खुद काम नहीं कर सकता, वह आदमी कमजोर हो गया।

एक दूसरे गांव में मैं गया। एक आदमी टांके कटवाने गया था तो 5-7 आदमी नसबंदी वाले थे, उनमें से एक मर गया। सुबह को सांप रख दिया और कह दिया कि सांप ने उसको काट खाया, कोई जांच नहीं की। यह नसबंदी है क्या ? इसलिए आज जो कांग्रेस डूबी है, वह इस नसबंदी की वजह से डूबी है। संजय गांधी का 5 सूत्री कार्यक्रम था उसमें एक नसबंदी का था। संजय को आगे लाने के लिए देश का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उसका जोरदार स्वागत हुआ। बांसवाड़ा में 2-3 लाख रुपए खर्च हुए थे संजय के आने के

(श्री विट्ठल भाई)

समय। जबर्दस्ती नसबंदी की फिर कहते हो कि हमने कुछ नहीं किया। नसबंदी अच्छी चीज है, मैं भी मानता हूं लेकिन सही ढंग से करवायें। लोगों को समझाओ तो ठीक है। लेकिन यह क्या कि जबर्दस्ती पुलिस के जरिए करायें। किसी को लोन लेना है, किसी को जमीन लेनी है किसी को कन्ट्रोल का कपड़ा लेना है तो भी नसबंदी। किसी को नौकरी के लिए जाना है तो वहां पर भी पहले नसबंदी। सरकारी मास्टर थे उनकी नसबंदी की सो तो ठीक लेकिन उनसे कहा गया कि दो दो आदमी और लाओ नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। मास्टर क्या नेता थे कि दो दो आदमियों को लाते ? वे अपने वेतन में से 100–200 देकर केसेज लाए। भंगी, चमार ले जाकर पेश किए। सरकार के 100 रुपये अलग लेकिन मास्टरों ने अपनी जेब से अलग पैसे दिए क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी थी। जो सरकारी कर्मचारी 250–300 रुपए लेते हैं उनको भी आपने परेशान कर दिया। यह नीति आपको खा गई।

दूसरी बात, आपने जो टैक्स लगाया वह कब से लगाया ? इमर्जेन्सी में लगाया। कोई 25) रुपये लगान भरता था उसके 75–80 रु. आए। लोगों ने पूछा लगान कैसे बढ़ा दिया ? उन्होंने कहा, कपास, मूंगफली, धनिए पर टैक्स लगाया। लेकिन पटवारियों ने क्या किया ? एक बीघा में कपास बोई, उसके 10 बीघे कर लिए। नापा भी नहीं कि एक बीघा है या दो बीघा। मूंगफली का भी ऐसे ही किया। तो उस कारण से टैक्स बढ़ा। इधर लगान उधर टैक्स। हमारे पर 25) रुपये लगता था उसके बजाय अब 50) लगे। नसबंदी और टैक्स।

तीसरी बात, राज्य सरकार का आदेश था, उसका पालन नीचे के लोगों ने नहीं किया। 15–16 साल पहले सहकारी समितियों को खाद दिया, कुछ उधार दिया। ग्राम सेवक बेच खा गए जब घाटा हुआ तो रजिस्टरों में लिखा एक बोरी खाद की, एक बोरी मक्का का, एक बोरी गेहूं की। अब 15–16 साल बाद काश्तकार भूल जाता है, न वसूली करने से पहले उनसे पूछा। वे कहते हैं, हमने खाद नहीं लिया, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। किसान कहता है कि एक बीघा जमीन भी हमारी नहीं है। तो जो बेच खा गए उन्होंने वह सारा काश्तकारों पर लगा दिया। पटवारी आए वसूली के लिए, किसी पर 500) रुपये की वसूली थी किसी पर 700) रुपये की। हर काश्तकार पर वसूली दिखाई, इधर चुनाव आ गया, कुछ लोग कलक्टर के पास पहुंचे। मैंने उनसे कहा कि जांच कराओ गलत वसूली हो रही है लोग कहते हैं कि हमने नहीं लिया है पटवारी डंडे के बल पर वसूल कर रहे हैं और जांच नहीं करेंगे तो ये लोग मारे जायेंगे। कलेक्टर ने जांच की। उन्होंने यह कहा कि मालूम पड़ा है कि ग्राम सेवक और सरपंच ने मिल कर जो घाटा हुआ है, जिन्होंने नहीं लिया उन पर थोपा। तो मैंने कहा, वसूली रोको उन्होंने रोकी भी होगी और चुनाव भी हो गया लेकिन सही जांच नहीं हुई। सरपंच और ग्राम सेवक खा गये और जनता पर थोपा। यह क्या न्याय है ?

सभापति महोदय, इसकी जांच भी नहीं की इसके बाद में इधर तो लोगों पर जबर-

(श्री विट्ठल भाई)

दस्ती वसूली की मार पड़ी और इधर चुनाव आ गये । सरकार ने कर्ज की वसूलियां जोरों से कीं और जितने भी दुनियां भर के जो टैक्स थे वह वसूल किये जबर्दस्ती, जबर्दस्ती आपने लोगों की नसबन्दियां कीं और फिर आप चुनाव में लोगों से वोट मांगने गये तो लोग आपको वोट क्यों देंगे ? आपने यहां पर यह कहा कि हमारे साथ में जनता है, कांग्रेस के साथ जनता है, यह बात बिल्कुल गलत है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है जनता कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है । अगर कांग्रेस के साथ जनता होती तो आप आज केन्द्र में सत्ता में होते । अगर आप जुल्म और ज्यादतियों की जांच करते, अगर आप जो गलत वसूलियां हुई उनकी जांच करते, दोषी व्यक्तियों को सजा देते, जबरदस्ती नसबन्दी नहीं कराते तो इस बुरी तरह से आप मुंह की नहीं खाते । आज आपके सदस्य यहां पर कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, सभी कुछ किया वह सरकारी कर्मचारियों ने किया, हमने जबर्दस्ती नहीं की । यह गलत है । हम तो जेल में थे आप लोगों के हाथ में सत्ता थी और आप बाहर थे आप तो जेल में नहीं गये थे । आप तो हुक्म देने वाले थे । आपने गरीब अध्यापकों की और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें तक रोक लीं थीं । पुलिस के थानेदारों, डी. वाई. एस. पी. और दूसरे अफसरों से जबर्दस्ती नसबन्दियां करायीं, उस वक्त आपने यह क्यों नहीं कहा कि यह गलत है । आप हुक्म दे सकते थे । अगर आप हुक्म नहीं देते तो क्या हम हुक्म देते । जोशीजी जब बांसवाड़ा आये तो लोगों ने उनसे कहा कि यहां पर ज्यादतियां हो रही हैं तो उन्होंने बाहर तो यह कह दिया कि नसबन्दी के लिए जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है पर अन्दर अपने अधिकारियों को पुलिस के डी. वाई. एस. पी. को कह दिया कि जबरन नसबन्दी करो । तो आपके बाहर कहने की बात दूसरी थी और अन्दर कुछ और । वहां इमर्जेन्सी में कोई सुनने वाला भी नहीं था ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । कोरम नहीं है ।

(गणपूरक घन्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

हां, अब आप शुरू करिये । लेकिन जल्दी समाप्त करें ।

श्री विट्ठल भाई : सभापति महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं । मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं वह आपको जरूर निवेदन करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, हमारे बांसवाड़ा के एरिया से लगता एक माही बान्ध बन रहा है उसमें कई गरीब आदिवासियों की जमीन डूब में आ गयी है । आज उस एरिया के बहुत से गरीब आदिवासी लोग बेघरबार हो गये हैं । उनको सरकार ने यह वायदा किया था कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जायेगी । लेकिन इसके बदले, मैं उन लोगों को एक इन्च जमीन आपने नहीं दी । मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप उन्हें बसाने के लिए जमीन तो वहां नहीं दे सकते लेकिन आप····

(3.55 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति पीठासीन)

(श्री विट्ठल भाई)

कम से कम इतना तो करिये कि उन आदिवासी लोगों को प्रति परिवार 15 बीघा जमीन तो दिलवावें जो कि बहुत जरूरी है। वैसे मुख्य मंत्रीजी बांसवाड़ा आये थे तो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हो सका। आपने उन लोगों की सोना जमीन तो ले ली और अब आप जिनको भी जमीन देना चाहते हैं वह ऐसी दे रहे हैं जो कि पहाड़ी है जहां पर कुछ पैदा नहीं हो सकता। आपने उन लोगों को मुआवजा देने की बात कही, ठीक है साहब आप मुआवजा दे रहे हैं या देंगे लेकिन जमीन के बिना तो उनका काम बिल्कुल नहीं चल सकता। पैसे तो वह गरीब लोग खा पीकर पूरा कर लेंगे। अगर आप अब भी उन लोग के साथ न्याय नहीं करेंगे तो आपको उनका समर्थन जिस तरह से लोक सभा चुनावों में नहीं मिला वह आगे भी नहीं मिलने वाला है। आपने आपात् काल में बहुत ज्याद-तियां की हैं आपने और आपकी नेता इन्दिरा गान्धी ने गरीब लोगों पर बहुत जुल्म ढाये हैं। उस समय आपने जयप्रकाश नारायण को बदमाश कहा। देश के एक बड़े नेता को बुरा-भला कहा, जेल मे रखा। आपको आपात् स्थिति के समय यह ध्यान नहीं था कि जनता बहुत बड़ी शक्ति है। आप कुर्सी के नशे में चूर थे। आप यह नहीं जानते थे कि समय बदलते टेम नहीं लगता। आपको सत्ता का घमन्ड इतना नहीं रखना चाहिए था। आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिये थी, उनको न्याय दिलाना चाहिए था वह आपने नहीं किया तो आखिर आपकी सरकार केन्द्र से हटा दी गयी। अगर आप सेवा करते तो आपकी सत्ता नहीं हटती। अब भी समय है आपको ध्यान देना चाहिये। आपकी नीतियों के कारण जनता का आपके ऊपर से विश्वास उठ गया। अब भी आप नहीं चेतेंगे समय रहते तो आपको जनता यहां से भी खत्म कर देगी। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है। जय हिन्द।

श्री सभापति : रामगोपाल।

(अनुपस्थित)

श्री चतरभुज।

श्री चतरभुज (टोडा रायसिंह) : सभा-पति महोदय, आज सदन में राज्यपाल महो-दय के अभिभाषण पर बहस चल रही है। सदन में जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चायें कीं। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी चुनाव हमारे देश में हुए उसमें लोगों ने अलग अलग वातावरण बनाये। चुनाव के जो रिजल्ट आये हैं वह इस बात की चेतावनी देते हैं कि आखिर क्या बात थी जिससे चुनावों में हार हुई। यहां पर लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को तानाशाह और एकतन्त्रवाद के लिये दोषी बताने की कोशिश की। यह बात सही नहीं है। जहां तक यहां पर गलतियों की बात कही गयी तो सरकार जब चलाते हैं तो कहीं न कहीं गलती हो सकती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमसे गलतियां नहीं हुईं लेकिन आज अगर हम देखें हमारे यहां देश में और विदेश में तो हमारे देश की

(श्री चतरभुज)

साख विदेशों में बहुत बढ़ी है। हमारे यहां बहुत उन्नति हुई। एक ऐसा समय था, सभापति महोदय, हमने सन् 64 में एक टेम रोटी खायी थी। एक टेम खाकर हम सोये थे। लेकिन आज हमारे देश की नेता इन्दिरा गान्धी की नीतियों के कारण हमारे पास इतना अनाज है कि हमें दो साल तक अनाज की कोई कमी नहीं आने वाली है। सरकार ने जो भी कदम जनता के फायदे के लिये उठाये वह सभी सामने हैं। आज चाहे चुनाव में हार गये हों, इसके लिये लोगों ने कई बातें कहीं लेकिन जब आपात् स्थिति लगायी गयी थी उस वक्त अगर आपात् स्थिति नहीं लगायी जाती तो लोग हमारे देश की सम्पत्ति को नष्ट कर डालते, हमारे देश का बहुत नुकसान होता। कोई भी सरकार हो अगर लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करने वाले होंगे तो उनको जेल में वह सरकार रखेगी। राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट नहीं होने देगी चाहे आप और मैं और कोई हों। जहां तक सवाल चुनाव की बात है चुनाव अगर अभी हम हार गये तो क्या बात है। चुनाव में, पोलीटिक्स में हार जीत तो होती ही है। हां, इसको हमें चेतावनी के रूप में लेने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं चाहता कि सरकार एक ही बनी रहे। हारने से सबक मिलेगा। जितनी कमी थी जिसके लिये एक सबक हमें मिलना चाहिये था वह मिला। हारने का हम हमारा अपना दोष मानेंगे। हो सकता है कि हमने लापरवाही बरती हो। जनता ने हमारा विश्वास किया था लेकिन जनता के सामने जो कठिनाइयां थीं उनको दूर नहीं किया जा सका और जिसके परिणामस्वरूप जो हमारी स्थिति हुई है वह हमारे सामने है।

सरकार के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि परिवार नियोजन की जो परेशानियां आयी थीं उनको दूर करना चाहिये। ज्यादतियों के लिये भी कहना चाहता हूं कि ज्यादतियां हुई हैं तो किसके कारण से हुई यह देखना है। हमारा यह कहना था कि परिवार नियोजन के जरिये से पापूलेशन को नियन्त्रित किया जाय। जो नागरिक अपना भला बुरा नहीं सोचता है वह देश के लिये क्या सोचेगा। जो अपने परिवार के लिये नहीं सोच सकता वह देश के लिये क्या सोचेगा। हम खुद अपनी व्यवस्था नहीं सोचेंगे तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस व्यवस्था को हमने छोड़ दिया, अफसरों के पीछे छोड़ दिया उनके जो परिणाम हमारे सामने आने चाहिये थे वे आये ही। किसान और गरीब की जो स्थिति है वह केवल कानून पास कर देने से दूर नहीं हो सकती। किसान और गरीब के लिये जो अभियान चलाया उससे लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। ऐसा अभियान चलाया, भूमिहीनों के आंकड़े बनाये कि इतने भूमिहीनों को हजारों लाखों एकड़ जमीन बांटी। लेकिन सच कहता हूं कि हमारी तहसील में जमीन नहीं है। वह जमीन अलाट करनी चाहिये थी जिस पर खातेदारी अधिकार नहीं थे। इससे गरीब भी मर गये। आज जो किसान जमीन पर कब्जा कर बैठा है उसको न्याय नहीं देना चाहते हैं और उसकी फसल को आये दिन कुर्क करना चाहते हैं। उस किसान गरीब को न्याय न मिलने के कारण यह स्थिति है। कलेक्टर के पास, राज्य सरकार के पास

(श्री चतरभुज)

आंकड़े होंगे। अर्थ नहीं कर रहे हैं अनर्थ कर रहे हैं। गरीब को जमीन मिलनी चाहिये। उसको संतोष हो जाय तब ही आपको उसका लाभ मिल सकता है वरना उसका पेट नहीं भर सकता।

दरअसल हमारे सामने यह परिस्थितियां हैं। जो चीज हमें देनी चाहिये थीं, न तो जमीन किसान को मिल सकी और न ही गरीब का पेट भर सका इसलिए आज न किसान और न ही गरीब राजी है।

परिवार नियोजन का आखरी मामला था। आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में ज्यादतियां की गयी हैं उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और जो ज्यादतियां हुई हैं उनकी जांच होकर उनका परिणाम सामने आना चाहिये। आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या कारण थे जिन कारणों से यह स्थिति पैदा हुई? जो भी हो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं यह अच्छा नहीं है। जो आदमी बच्चों के पोषण करने का दिमाग नहीं रखता है वह देश का भला करने का दिमाग नहीं रखता। यदि उस पर कोई आक्रमण करेगा तो भला वह क्या मर मिटेगा।

सभापति महोदय, राज्यपाल के भाषण में एक बात सामने आयी आवंटन के बारे में। मैं यह कहना चाहता हूं कि हजारों एकड़ जमीन के आंकड़े हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं हमने इस अभियान में क्या किया? कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ता है। अभियान की पूरी तरह से जांच की जाय। नामान्तरण की बात करते हैं। आज गांवों में क्या हालत है उसको कौन देखे। देखा जाय तो सारी बातों पर पानी फिर गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को खुद को परेशान होना पड़ रहा है। यह पहले नहीं देखा गया कि आगे बड़ी परेशानी हो सकती है।

उत्पादन के बारे में कहते हैं। सभापति महोदय, उत्पादन के बारे में यह स्थिति है कि जहां बिजली है वहां बिजली नहीं मिलती है। लोगों ने हमारे क्षेत्र में डीजल लाकर पानी दिया अपने खेतों में जब कि उनके यहां पर बिजली की मोटरें फिट हैं। इनको भारी नुकसान हुआ। उनकी फसल बरबाद हो गयी। और आज भी वह फसल जल जाती है तो उसके बाद में भी हमारे आंकड़े वही आते हैं। इसलिए हमारी नीतियों में कितने रोड़े अटक रहे हैं इसको सरकार को देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेगी तो चाहे खूब सदन में भाषण दें या बाहर दें या कुछ भी करें कुछ फायदा नहीं होगा। हमारा पुराना इतिहास हम खो बैठेंगे और खो बैठे हैं। कांग्रेस की उत्तम नीति को हमने खो दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिजली के बारे में किसानों को सन्तोष दें। आप चाहें जितना पैसा ले लें लेकिन किसानों को समय पर पानी दो और बिजली दो। पानी और बिजली नहीं मिलने से किसानों को लाखों रुपये की फसल खराब हो जाती है। सुनाई करने वाला कोई नहीं है। इसको हमको देखना पड़ेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शासन में भयंकर बीमारियां हैं। किसान की क्या हालत हो रही है इसको हमें देखना होगा। जनता ने

(श्री चतरभुज)

हमको एक नोटिस दिया है। हमको जनता को संभालना चाहिए। आपको गांवों में जाकर देखना पड़ेगा यह जनता का दोष नहीं है हमारा दोष है गांवों में जाकर ग्रामीणों की बात सुनेंगे तो आपको उनका समर्थन मिलेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सरकार के भागीदार हैं। हम जनतंत्र में भागीदार हैं। हमें जिम्मेदार बनाया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसके साथ साथ मैं यह और सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि आज क्या जरूरत है हमको सहकारिता की ? गांवों में शक्कर के लिए कोटा लेने के पीछे लोग भागते हैं और ईमानदारी से शक्कर का वितरण करें तो 50 रुपये घाटे के देने पड़ें। आज हर गांव के अन्दर होड़ लग रही है कि शक्कर का कोटा कौन ले। इसका मतलब यही है कि बेईमानी होती है। यह हमारी सरकार आये दिन आलोचना करवाती है। हम शक्कर नहीं लेना चाहते हैं। पैसे देकर कोटा खरीदते हैं और बदनामी होती है।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान टोडा-रायसिंह से मालेड़ा रोड की चर्चा कई वर्ष से करता आया हूं लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनी। जो मिनिस्टर बन जाते हैं वह अपने ही क्षेत्रों में काम करायें और दूसरे के क्षेत्रों में नहीं करायें यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को सारे राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि हर स्थान पर जनता की मांग के अनुसार काम कराया जाये। जनता को मालूम होना चाहिए कि यह काम सरकार ने किया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यही कह कर मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी : कल बोलूंगा।

श्री सभापति : कोई बोलना चाहते हैं ?

श्री रामकुमार (सपोटरा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चुनावों की बात कही गयी है। हमारे राजस्थान के विकास की बात भी कही है। मैं सारी बातों का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चुनावों की जो बात कही गयी है चुनावों के परिणाम एक दुखद परिणाम हुए हैं। यह बात तो छिपाई नहीं जा सकती। मेरे पूर्व वक्ताओं ने चुनावों के बारे में भिन्न भिन्न बातें रखीं। कुछ हमारी तरफ से गलतियां हो सकती हैं, हमारी व्यवस्थाओं की तरफ से भी हो सकती हैं लेकिन अभी चतरभुजजी ने जो बात कही है कि जनता जनता की जगह है, जनता ने हमको नोटिस दिया है–मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि विरोधी सन् 1952 से लेकर कांग्रेस के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाते आये

(श्री रामकुमार)

हैं। कांग्रेस के खिलाफ अनेकों तरह की बातें कही हैं। एक यह शोचनीय प्रश्न है कि जो सत्ता तीस साल राज्य करे उन तीस सालों में कुछ कमियां रह गयीं, कुछ गलत काम भी हो सकते हैं लेकिन यह बात भी छिपी हुई नहीं है कि तीस साल के शासन में राज्य के अन्दर और देश के अन्दर जो बहुमुखी विकास हुआ है वह ऐतिहासिक विकास है। आप सभी तरफ देखें, चाहे सिंचाई की तरफ देखें, चाहे शिक्षा की तरफ देखें, चाहे रोड की तरफ देखें चाहे बिजली की तरफ देखें, गरीब और काश्तकार की आर्थिक स्थिति ऊंची उठी है। हर मनुष्य ऊपर उठा है और इन तीस सालों में जनता को सुख और सुविधाएं मिली हैं। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लेकर कुछ परेशानियां हुई हैं। चौधरी चरणसिंह ने यह बात कही थी कि हम इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अनिवार्य बना देंगे। लेकिन प्रशिक्षित लोग, जो ग्रामों के अन्दर बैठे हैं, इस नतीजे के अन्दर तक नहीं पहुंच पाये। सिटीज तो कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं क्योंकि वहां व्यापारी वर्ग है और व्यापारी तबके और काश्तकार और गरीब में मेल नहीं था और यह चांस मिल गया इन लोगों को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी जनता पार्टी चुनाव करा ले, कल करा ले, चाहे छः महीने बाद करा ले जो आज दिन देखने को मिला वह कल देखने को नहीं मिलेगा। यह पूंजीपति और व्यापारी वर्ग गरीबों के हित की बात नहीं कर सकते। इसलिए मैं यह निवेदन करूं, परिवार नियोजन के अन्दर कुछ गलतियां हुई, कुछ तहसीलदार, थानेदार और जंगलात विभाग के अधिकारियों की तरफ से कुछ कमियां हुई, कुछ पंचायतों की वजह से कमियां हुई, 12 साल से सरपंच बैठे हैं और मनमानी कर रहे हैं। कोआपरेटिव सोसायटीज ने चीनी का गबन किया। यह बात सही है कि यह चीनी की वितरण व्यवस्था है वह गलत है वह सरकार के लिए कलंक है। व्यापारी वर्ग अन्दर बैठा है सोसायटी के अन्दर वह हमारी सरकार को खा रहे हैं हर जगह सोसायटी के अन्दर उन्होंने ब्लैक किया है। तीस साल के शासन में खाली काश्तकार और गरीब ने ब्लैक नहीं किया। माल इन लोगों ने मारे हैं। ज्यादातर व्यापारी लोगों ने और खास तौर पर जनसंघियों ने माल खाया है तो यह अव्यवस्थायें रही हैं।

दूसरी बात विकास के बारे में कही गई है। विकास के बारे में छिपा नहीं है, हुआ है और खूब होगा। जनता पार्टी बनाई। कोई नई बात नहीं हैं। जनता पार्टी सन् 52 में रही है। एक होकर भी चुनाव में हार गई और हर एक जगह। इसी सदन के अन्दर 145 का बहुमत स्थापित हुआ। पार्लियामेन्ट के अन्दर इससे भी ज्यादा था। इस बार हार करके भी हम अगले चुनाव में विजय प्राप्त कर के आयेंगे क्योंकि हमारी सेवायें किसी से छिपी नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। राजस्थान के मंत्री हों चाहे उप मंत्री हों। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 30 सालों के अन्दर जनता को भूल गये हैं। यह नतीजा इन लोगों के कारण है। सभापति महोदय, गरीबों के लिये भूमि आवंटन कर रहे हैं लेकिन सारी घोष-

(श्री रामकुमार)

एणायें कागजों के अन्दर रहती हैं। उन गरीबों का शोषण किया गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आगे के लिए अपने को सुधार लें और जनता के दुख और तकलीफों को देखें। दूसरा कोई काम नहीं आने वाला है। कांग्रेस ही इन गरीबों के काम आने वाली है।

बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं वह प्रशंसनीय हैं और मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तो गागर में सागर भर दिया।

श्री सभापति : श्री रामलाल !

श्री रामलाल (बाड़ी) : सभापति महोदय, चुनाव के बारे में बातें कहीं गई। कहते हैं चुनाव में कांग्रेस वाले हमला करते हैं। इस तरह से चुनाव में कांग्रेस को बदनाम किया जाता है। मैं इसके बारे में अपनी खुद की बात कहना चाहता हूं। 13 तारीख को मुख्य मंत्रीजी हमारे यहां गये। रात साढ़े ग्यारह बजे मीटिंग समाप्त करते हुए मुख्य मंत्री रवाना हुए। जनता पार्टी के बदमाशों ने रात को 11॥ बजे आकर घेर लिया। मुझे जंगल में ले गये, एक–दो किलो मीटर और दूर ले जाकर कुएं में डालने के लिये कहने लगे, कुएं में डाल दो। मैंने कहा, डाल दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब कहा कि कुए में नहीं डालो, पैट्रोल लगा कर आग लगा दो। यह जनता पार्टी के आदमी हैं। कहते हैं कि जनता पार्टी में शामिल हो और कांग्रेस से इस्तीफा दो। इसी के ऊपर मार रहे थे मुझे। ले चलो चौराहे पर। उस चौराहे पर मेरे साथी भाई खड़े थे। कांग्रेसियों की पिटाई की। जनता पार्टी ने की। नदवई में 17 तारीख को पहुंचे। वहां लोगों ने कांग्रेसियों को लाठियों से मारा। हाथ टूट गया। दोष लगा रहे हैं कांग्रेस वालों पर। कांग्रेस वाले तो हमेशा कटते आये हैं और कटते रहेंगे · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतनी वारदातें हुई लेकिन इनका भाषण जारी रहेगा।

श्री रामलाल : जो देश के शहीद हुए हैं, जो जिन्होंने अंग्रेजों से मार पिटाई खाई थी जेल में गये हैं उन्होंने देश को आजाद किया।

एक बात और बताई राज्यपाल महोदय ने वह है विकास की। सबको मालूम है कितना विकास हुआ है, देश ने कितनी प्रगति की है। आज तीन साल पहले कितने आने जाने के साधन थे। धौलपुर से बाडी पैदल चल कर आते थे और बड़ी परेशानी होती थी। आज छः घंटे में पहुंच जाते हैं। कितने साधन बढ़ गये। 25 साल पहले कितनी मोटर गाडियां थीं, कितनी रेल गाड़ियां थीं, आज कितनी बढ़ गई। माननीय सदस्यों को मालूम है हमारे यहां बंजारे इधर से उधर पहुंचाते थे और आज एक मिनट में · ·

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: सभापति महोदय, कोरम बिलकुल गायब है। भीखा भाई के 7 वोट भी गिन लिये जायं तो भी कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री रामलाल : पहुंच जाते हैं। यह बात वाकई राज्यपाल महोदय ने रखी है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।

जो अनुसूचित जाति और जनजाति को सुविधायें दी गई हैं वह हमको याद हैं। राजा महाराजा थे दिन रात मजबूरन काम लेते थे। ये राजा महाराजा अपनी तानाशाही चलाते थे। आज जो कुछ दिया है, बहुत दिया है। हमेशा यह सोचना चाहिये कि शिड्यूल्ड कास्ट को कुछ देने जा रहे हैं, सरकार लेने नहीं जा रही है। भूमि अलाट हुई उसमें भी कर्मचारियों की गलती है लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ मिला है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि कागज में ही रह गई, कागज में नहीं कागज की जो बात है वह गलत है। जो कर्मचारी हैं, वे जनसंघी हैं सोशलिस्ट हैं, उन्होंने भड़का कर अपने खाने के लिए काम किया है। किसी को हम अलॉटमेंट करने जा रहे हैं। मौके पर पूछते हैं क्यों भाई खाली जमीन है, पटवारी कहता है खाली है तो हमने अलाटमेंट कर दिया। तो जो नीचे के कर्मचारी है, जो नीचे का काम देखने वाले हैं यही कर्मचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया है और गलत रिपोर्ट दी है। वास्तव में कागज में नहीं रही है।

हम काम करने वाले हैं। हम एक एप्लीकेशन देते हैं तो जो उस एप्लीकेशन को देखने वाले हैं वे 6–6 महीने उस एप्लीकेशन को लिये पड़े रहते हैं। इस प्रकार लाइसेन्स की बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। हम चिल्लाते हैं और एस डी. एम. साहब को कहते हैं तो वे कहते हैं ऊपर से इन्तजार करे। तो कमी जरूर है।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि गलतियों का समाधान करना चाहिए। ऐसी गलतियां दुखदायी हुई हैं· · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कई ऐसे मामले हैं भू-खण्डों के उनमें गलतियां हुई हैं। गलती क्या हुई, उस समय पटवारी ने जगह खाली बता दी, यह गलती है। जो गांवों के सरपंच हैं, उनका भी 12 साल से चुनाव नहीं हुआ। वे चीनी कहीं की कहीं बेच देते हैं लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेसी सच्चे दिल से काम करें तो आपके सामने समस्या नहीं आयेगी। जो समस्या है उनको देख कर चलें। मैं इतना ही कह कर अपने विचार खत्म करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री लालाराम।

श्री लालाराम (फलासिया) : सभापति महोदय, फलासिया के लिये मैंने कई बार विधान सभा में निवेदन किया लेकिन अभी तक फलासिया और फोर्ट में बिजली नहीं लगी। बार बार वहां की जनता चिल्लाती है लेकिन आपने अभी तक कोई भरोसा नहीं दिया। आपने पिछले साल में नींव का पत्थर रखा था एक तालाब का, वह भी शुरू नहीं किया गया। जो राजस्थान सरकार की योजना है उसको हमें स्पष्ट बताना चाहिए कि हम आशा रखें या नहीं रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके आदिवासी क्षेत्र में और है क्या ! आप तो बिजली को रो रहे हो।

श्री लालाराम : वहां कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। अब इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीलाल ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर मैं भी कुछ अपने क्षेत्र के बारे में प्रकाश डालूं। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्तर्गत बहुत सी बातें कही गई....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आदिवासी क्षेत्र में है क्या ?

श्री देवीलाल : मैं जिस चीज पर प्रकाश डालना चाहता हूं वह यह है कि आदिवासी क्षेत्र में कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह तो कहा जा सकता है कि काफी कार्य किया गया है, उन गरीबों के लिये लेकिन इसमें कई गलतियां महसूस हुई हैं कि वह गलतियां राज्य सरकार माने या नहीं माने। उन गलतियों के कारण कई काम अधूरे है। आज सरकारी मशीनरी ने भूमि अलाटमेंट में उन काश्तकारों को भी परेशान किया है। 91 के अन्तर्गत आज गरीब आदिवासी व ग्राम काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। उन काश्तकारों पर कई जुर्माने हुये हैं और बहुत बड़ी तादाद में हुये हैं जिनको गरीब काश्तकार सहन नहीं कर सकता।

अभी अभी महीने पहले, 15-20 दिन पहले इलेक्शन के पीरियड में भी उनको पेशी करने से महरूम नहीं रखा था। इस प्रकार 250-300 गरीब काश्तकारों पर जुर्माने किये हैं जिनको वे दे नहीं सकते। अपनी जमीन बेचकर भी नहीं दे सकते हैं, ऐसी हालत कर दी है। पटवारियों ने यह नम्बर नहीं बनाये कि किस नम्बर के ऊपर काश्तकार का नाजायज कब्जा है और कितनी भूमि पर है। यह रिपोर्ट कर दी कि नाजायज कब्जा है वह इस नम्बर में इतना है। जमीन किसी की देखी नहीं कि दो बीघा है या तीन बीघा है। इस प्रकार की रिपोर्ट करके उन काश्तकारों पर पचास गुना जुर्माना करके उनको परेशान कर दिया है। इसलिए मेरी यही राय है कि बिना किसी वजूहात से और नाजायज कब्जा जमीनों पर बता कर जुर्माना किया है उस जुर्माने को राज्य सरकार को समाप्त कर देना चाहिए। मेरी तो यही राय है वरना गरीब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार इस जुर्माने को माफ कर दे और उन काश्तकारों को जिनसे जुर्माना वसूल कर लिया गया है मैं तो कहता हूं कि वह वापस लौटा देना चाहिए। उन गरीबों में यह रोष हो गया है। सरकारी मशीनरी द्वारा उनको परेशान करके उनकी यह हालत कर दी है।

दूसरी मेरी एक प्रार्थना यह है कि जो काश्तकार मिर्ची, सरसों और थोड़ी थोड़ी कैश क्रोप पांच बीघा में अपने घर के खर्च के लिए बोता है और उस पर कैश क्रोप का पैसा चार्ज होता है, कैश क्रोप का लगान लगा लिया जाता है। काश्तकार आदिवासी हैं उनके घर में पूरा पड़ता नहीं है, फिर भी कितना उन पर भार डाल दिया जाता है। पटवारी जो वहां पर होते हैं उनके द्वारा मिर्ची पर भी लगान लगा दिया जाता है। उसको समाप्त कर देना चाहिए। यह लगाने के काबिल नहीं है। काश्तकार के यहां मिर्ची थोड़ी बहुत घर के खर्च के लिए पैदा हो जाती है और थोड़ी बहुत बेच भी दे तो उससे उसका कपड़ा-लत्ता निकल जाता है उसके अलावा कितनी इन्कम हो जाती है। आज

(श्री देवीलाल)

देखा जाता है कि मिर्ची बोता है और बेचता भी है तो भी अनाज कपड़ा उसके पास नहीं है। ऐसी हालत में उस काश्तकार पर मिर्ची का विशेष लगान लगा दिया गया है। सरसों पर विशेष लगान लगा दिया गया है। मेरी राय में यह कम कर देना चाहिए और लगाना भी नहीं चाहिए। इनको बिल्कुल उठा देना चाहिये।

दूसरी मेरी यही प्रार्थना है कि कई बातें इस तरह की बताई हैं कि काश्तकार लोगों को वास्तव में जमीन अलाट हुई या नहीं। यह ठीक है कि काफी काम हुआ है लेकिन फायदा पूर्णरूप से नहीं मिला। मकान के अलाटमेंट हुए, जिस अभियान के अन्तर्गत मकानों के पट्टे दिए गए हैं, तो यह भी आदेश था कि चरनोट में पट्टा दिया गया है जंगलात का और वहां भी पट्टे दे दिए जायं जहां पर भी वह बस सकें, वहां पर पट्टे दे दिये जावें। पट्टे दे दिये गए हैं लेकिन उनकी जमीनें जंगलात के अन्दर है। जंगलात के पट्टे दे दिये गए हैं लेकिन वह-जमीन जंगलात के अन्दर है। जंगलात के पट्टे लेकर किसान फिर रहा है लेकिन मकान नहीं बनाने दिया जाता है। वह इजाजत भी राज्य सरकार को देनी चाहिये ताकि काश्तकार मकान बना सकें और बस सके। सारे के सारे लोग पट्टे लेकर फिरते हैं। पट्टे काफी दिये गये हैं तो क्या उनको घोल कर पीयेगा या क्या करेगा। मैं तो यही कहता हूं कि उनको इजाजत मकान बनाने की दी जाय चाहे जंगलात हो, चाहे चरनोट हो चाहे कहीं भी हो।

दूसरा चरनोट के अन्दर काबिल काश्त भूमि दे दी गई है। काश्तकार काफी अर्से से बैठा है। हमने विशेष प्रयास किये हैं लेकिन वह जमीन निकालने का प्रोसीजर कुछ ऐसा महंगा पड़ रहा है कि काश्तकार के पास बिल्कुल जमीन नहीं है और वह जमीन निकल नहीं पाती है और हम अलाटमेंट नहीं करते हैं। सरकारी मशीनरी चरनोट में दिखाती है जब कि गांव वाले नहीं चाहते हैं। ग्राम पचायत का प्रस्ताव दिया जाता है, पंचायत का प्रस्ताव आया कि यह चरनोट की जमीन अलाट कर दी जाय फिर भी कोई सुनता नहीं, कोई निकालता नहीं है। तो इस मसले को भी हल करना चाहिए तभी काश्तकारों की, गरीबों की समस्या हल हो सकेगी। बार-बार जुर्माने नहीं हों, बार-बार किसान परेशान नहीं हों। मैं यही राज्य सरकार से प्रार्थना करता हूं।

दूसरे कई जंगलों के अन्दर जमीन थी, काश्तकारों ने उस जमीन को आबाद कर दिया और आबाद करके कुआ खोद दिया, मकान बना लिया फिर भी जंगलात वाले कहते हैं कि यह जमीन हमारी है। आपकी जमीन कहां से आ गई? काश्तकार जानता नहीं बाउन्ड्री कहां पर है काश्तकार काफी परेशान हो रहा है। यह समस्या भी हल करनी चाहिए। राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये, जमीन निकाल कर काश्तकारों को पट्टे दिये जावें ताकि काश्तकार बार-बार परेशान नहीं हो। दूसरे जो खातेबन्दी की जमीन का अलाटमेंट कर दिया गया है उन जमीनों को भी जंगलात विभाग ने बाउण्ड्री में ले लिया है। वह जमीन वन बन्दोबस्त में ले ली गई है वह जमीन भी निकाली जानी चाहिए। इस बारे में तत्काल कार्यवाही करके उन जमीनों को निकाल कर जिन पर काश्तकारों का कब्जा है उनको बराबर वहां पर रखा जाय और जिनको जमीन का अलाटमेंट हो गया है वह

(श्री देवीलाल)

जमीन निकाली जावे। जब कि एक तरफ जंगलात का, रेवेन्यू का पट्टा है दूसरी तरफ जंगलात वालों का जंगल रेवेन्यू का पट्टा है, तब भी अपनी मान कर जमीन नहीं निकालते। इसलिए ऐसी जमीन को उनसे लिया जावे ताकि जमीनों का जुर्माना नहीं हो।

मान्यवर सभापति महोदय, दूसरा आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई तरह की तकलीफें जो काश्तकारों को परेशान करती हैं, उन तकलीफों के बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। जैसे नेशनल हाई-वे, पी. डब्ल्यू. डी के अन्तर्गत है। नेशनल हाई वे नम्बर आठ में आम तौर ने काश्तकारों की जमीनें थोड़ी थोड़ी, बिस्वा दो बिस्वा, चार बिस्वा ले ली है लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. ने आज तक काश्तकारो को मुआवजा नहीं दिया है। काश्तकार बहुत परेशान होते हैं, उनकी हालत खराब हो गई है। उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, है इसलिए मुआवजा दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

जो सिंचाई योजनायें तैयार हो रही हैं उन योजनाओं के अन्तर्गत जो काश्तकार जमीन से उठने वाले हैं उन काश्तकारों के लिए भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करता चाहता हूं कि आपके द्वारा उन काश्तकारों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। अब वे बेघरबार हो रहे हैं, कहीं कहीं मिट्टी उठाने के लिए फसलें ले ली गई लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। वह काश्तकार खायेंगे क्या। तो उनके खाने की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जमीनें ली हैं उनका मुआवजा जल्दी दिलाया जाय और जो बेघरबार हो रहे हैं, उठ रहे हैं उनका बन बन्दोबस्त में काबिल काश्त भूमि है वह निकाल कर अलाटमेंट कर दिया जाय ताकि वह अपने स्थान पर बस जावें। अपने मवेशियों को ले जाकर बस जावें और बाल बच्चों को जमा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वरना ऐसी स्थिति में वह बड़े दुखी हो गए हैं डाई योजना के अन्दर काफी किसान जमीन पर से उठे हैं उनको मुआवजा दिया जाय। यही मेरी प्रार्थना है। दूसरा सोमकीकर योजना है, काफी आदिवासी किसान उठ रहे हैं उनको बसाने के लिए, चाहे जंगलात की जमीन हो, चाहे किसी जगह की जमीन हो उनको उठा कर बसाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री देवीलाल : माननीय सभापति जी, सिंचाई योजनायें हैं जिनके नीचे नहरें तो निकाली गई हैं लेकिन नहरों से सीपेज की वजह से काफी भूमि ऊसर हो गई है। ऊसर भूमि में चाहे काश्त हो या न हो तो भी सिंचाई विभाग उसकी पिलाई वसूल कर लेता है। काश्त नहीं होती उस भूमि में, भूमि खराब हो गई, फसल पैदा नहीं होती फिर भी सिंचाई विभाग द्वारा उसकी पिलाई वसूल करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। यह भयंकर दिक्कत है किसानों को। फसल चाहे पैदा हुई हो या नहीं हो, सिंचाई हुई हो या नहीं हुई हो, ऊसर भूमि का भी लगान वसूल हो जाता है। नहरें चलती हैं, जिन काश्तकारों के खेतों में चाहे एक बार पानी मिला हो या दूसरी बार मिला हो, फसल सूख गयी या क्या हुआ, उसके नुकसान को

Page No 92

(९२)

(श्री देवीलाल)

कोई देखता नहीं है। वहां पर पटवारी बैठा रखा है, रेवेन्यू के ये सारे के सारे अधिकारी बैठा रखे हैं लेकिन काश्तकार को क्या नुकसान हुआ इसको तो कोई नहीं देखता लेकिन पिलाई जरूर पूरी वसूल होगी चाहे 11 रु. बीघा हो चाहे 12 रु. बीघा हो। यह ठीक नहीं है। काश्तकार की फसल नहीं होती है तो वह कहां से देगा। पूरी पिलाई मिले यह नहीं है। इसीलिए रिकार्ड देखकर बनाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी प्रकार से छोटे तालाब हैं। अगर बड़े तालाबों में भूमि एलाटमेण्ट होता है तो और बात है लेकिन जो छोटे तालाब हैं, जैसे केजड का तालाब है। तो उनके ऊपर जैसे जयपुर में 275 रु. लगा देते हैं इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यह समाप्त होना चाहिए। यह काश्तकार दे नहीं सकेगा। मेरी राज्य सरकार से यह प्रार्थना है, सरकार इस पर ध्यान दे, मैं यही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में काफी काम हुआ है। जो काफी काम हुए हैं, उनके बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है। जो काश्तकारों की समस्या है उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, बिना मकान वालों को राज्य सरकार ने भूमि दी है। लेकिन जहां जहां भूमि का आवण्टन किया गया है, उस भूमि का उनको कब्जा नहीं मिला है। जहां भी किया गया है, वहां पर उस गांव में पटवारी ने कागजों पर किया है। भूमि का मौके पर कब्जा नहीं दिया गया है। कागज पर ही यह किया गया है मौके पर कब्जा नहीं दिया गया है। कहीं ऐसी जमीन का पट्टा दिया गया है जिसमें दूसरे की फसल खड़ी है। इसके अलावा जिन लोगों को कई वर्षों से जमीन, चाहे चरागाह की जमीन है या सरकार की जमीन है, अभी तक उनको नहीं मिली है। जो भूमिहीन लोग हैं, जिन्होंने ऐसी जमीन पर कब्जा कर रखा है, वह उनकी हो जानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा ऐसी भूमि जिसके पास है और जो भूमिहीन हैं वह उनको मिल जानी चाहिए जिससे गरीब आदमी को राहत मिले। इस प्रकार से गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए। जिनके पास मकान नहीं थे, उनको मकान के लिए जमीन के पट्टे दिये हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसी जमीन दी गई है जिसमें किसी दूसरे का बाड़ा बना हुआ है। किसी की और झगड़े की जमीन है। ऐसे केसेज में ए. डी. एम. को मौके पर कब्जा कराने के लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो यह कागजों में ही हो सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मौके पर पटवारी को साथ लेकर कब्जा दिलाना चाहिए। इसी तरह से कोटा और बून्दी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, एक लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जिस पर खेती नहीं होती है। कई बीघों में पानी भरा हुआ है लेकिन फिर भी जमीन का लगान लिया जाता है। अगर पैदा नहीं होती है तो लगान नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन नहीं हैं जो भूमिहीन की परिभाषा में आते हैं। जिस जमीन में

(श्री नन्दलाल बैरवा)

पानी भरा रहता है उसका लगान नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि दोहरों के बारे में कुर्की कराई जाती है। जहां पर दोहरे खोदे गये हैं, वहां पर वसूली की जानी चाहिए। जहां पर नहीं खोदे गये हैं, वहां पर नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग ने कई नये कानून निकाले हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सिंचाई विभाग की ओर से जो अनियमितताएं की जा रही हैं और गलत तरीके से वसूली की जा रही है, उसको रोका जाना चाहिए।

इसी प्रकार से सीलिंग की जमीन के बारे में निवेदन करूंगा, जो जमीन सीलिंग में आ गई है, सीलिंग के बारे में दो प्रकार के केसेज हैं। हमारा अनुरोध है कि पहले कानून लागू किया है या तो वह रहने दें या जो दूसरा कानून लागू किया है, वह रहने दें।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 25-3-77 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. 5.00 बजे शुक्रवार दिनांक 25 मार्च, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)